

पुनरीक्षित पेंशन पी०पी०ओ० विवरण

क्र०सं०	कोषागार	पेंशनर का नाम सर्वश्री/श्रीमती	से०नि० पद	फाइल सं०	पुनरीक्षित पी०पी०ओ० संख्या एवं	
					संख्या	दिनांक
1	कोषागार लखनऊ	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	कार्यालय सहायक-तृतीय	13261	5967	10.01.19
2	कोषागार लखनऊ	श्रीमती माया मिश्रा पत्नी स्व० जमुना प्रसाद मिश्रा	उप मुख्य लेखाधिकारी	8721	6111	14.01.19
3	कोषागार अलीगढ़	श्री कृष्ण कुमार	उप खण्ड अधिकारी	12814	6150	16.01.19
4	कोषागार वाराणसी	श्रीमती माया सिंह पत्नी स्व० सुभाष चन्द्र सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	11622	7086	08.02.19
5	कोषागार आगरा	श्री राकेश कुलश्रेष्ठ	अधीक्षण अभियन्ता	11759	7276	20.02.19
6	कोषागार लखनऊ	श्री चन्द्र कुमार गुप्ता	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	11754	7278	13.02.19
7	कोषागार मेरठ	श्री लक्ष्मी चन्द्र शर्मा	लेखाकार	7765	7281	22.02.19
8	कोषागार लखनऊ	श्री अशोक कुमार टण्डन	अधिशाली अभियन्ता	10861	7292	13.02.19
9	कोषागार मेरठ	श्री जय चन्द्र मल जैन	अधिशाली अभियन्ता	7821	7304	15.02.19
10	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती सुमन लता पत्नी स्व० त्रिलोक चन्द्र	मुख्य अभियन्ता	7810	7305	15.02.19
11	कोषागार लखनऊ	श्रीमती भागदेई पत्नी स्व० सूरज लाल	चपरसी	7828	7312	15.02.19
12	कोषागार कानपुर	श्री योगेन्द्र पाल सिंह	सहायक अभियन्ता	9726	7315	15.02.19
13	कोषागार लखनऊ	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	अधिशाली अभियन्ता	9300	7318	15.02.19
14	कोषागार बिजनौर	श्री बलवन्त सिंह रवि	सहायक अभियन्ता	7811	7320	15.02.19
15	कोषागार फतेहगढ़	श्रीमती रजिया बेगम पत्नी स्व० फसीह उल्लाह खाँ	सहायक अभियन्ता	7830	7322	15.02.19
16	कोषागार लखनऊ	श्री रमा नाथ श्रीवास्तव	लेखाधिकारी	10025	7324	15.02.19
17	कोषागार फैजाबाद	श्री बाबू राम वर्मा	सहायक अभियन्ता	7833	7326	15.02.19
18	कोषागार बुलन्दशहर	श्री शिव हरि कौशिक	लेखाधिकारी	7837	7330	15.02.19
19	कोषागार कानपुर	श्री अशफाक अहमद खान	सहायक अभियन्ता	7553	7336	13.02.19
20	कोषागार लखनऊ	श्रीमती सुमन श्रीवास्तव पत्नी स्व० नारायण प्रकाश	प्रशासनिक अधिकारी	7875	7351	15.02.19

21	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नी स्व० सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल	अधिकासी अभियन्ता	7884	7353	20.02.19
22	कोषागार मेरठ	श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी स्व० राम रिछ पाल सिंह शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	7889	7355	18.02.19
23	कोषागार लखनऊ	श्री महेश चन्द्र गुप्ता	वैयक्तिक सहायक	8176	7360	15.02.19
24	कोषागार लखनऊ	श्री मोहम्मद अहमद	सहायक अभियन्ता	8117	7361	15.02.19
25	कोषागार लखनऊ	श्री अशोक कुमार	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	11838	7362	14.02.19
26	कोषागार मुरादाबाद	श्री शिव नारायण गुप्ता	उपमहाप्रबन्धक	8606	7363	14.02.19
27	कोषागार वाराणसी	श्री कैलाश पति यादव	सहायक अभियन्ता	13673	7366	15.02.19
28	कोषागार सोनभद्र	श्रीमती खुशींदुन निशा पत्नी स्व० मो० इरफान	सहायक अभियन्ता	8120	7367	15.02.19
29	कोषागार उन्नाव	श्री मुरारी लाल	सहायक लेखाधिकारी	9731	7369	18.02.19
30	कोषागार आगरा	श्री सुरेश चन्द्र गोयल	सहायक अभियन्ता	9974	7370	15.02.19
31	कोषागार आगरा	श्री वीर बहादुर सक्सेना	सहायक लेखाधिकारी	11766	7371	15.02.19
32	कोषागार लखनऊ	श्रीमती विमला पत्नी स्व० किशोरी	दफ्तरी	11771	7372	15.02.19
33	कोषागार कानपुर	श्री छोटे लाल शाक्य	सहायक अभियन्ता	7841	7374	15.02.19
34	कोषागार कानपुर	श्री मुन्ना लाल रावत	लेखाधिकारी	7839	7375	15.02.19
35	कोषागार लखनऊ	श्री शैलेन्द्र कृष्णा	अधिकासी अभियन्ता	7844	7400	14.02.19
36	कोषागार लखनऊ	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अधीक्षण अभियन्ता	12537	7404	16.02.19
37	कोषागार लखनऊ	श्रीमती विमलेश कुमारी पत्नी स्व० सुरेन्द्र सहाय सक्सेना	अनुभाग अधिकारी	7403	7405	18.02.19
38	कोषागार वाराणसी	श्रीमती स्नेहलता गोपाल पत्नी स्व० नरेन्द्र गोपाल	सहायक अभियन्ता	7929	7407	20.02.19
39	कोषागार बुलन्दशहर	श्री राज कुमार गुप्ता	लेखाकार	10871	7409	20.02.19
40	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती इन्द्रा बुटान पत्नी स्व० दयानंद बुटान	मुख्य अभियन्ता	7301	7410	20.02.19
41	कोषागार गाजियाबाद	श्री राम कुमार त्यागी	अधिकासी अभियन्ता	8150	7411	20.02.19

42	कोषागार वाराणसी	श्रीमती साधना श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रकाश श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	9385	7412	20.02.19
43	कोषागार अलीगढ़	श्रीमती आशा सहगल पत्नी स्व० एल०एल० सहगल	सहायक अभियन्ता	7291	7413	20.02.19
44	कोषागार आगरा	श्री विनोद पांडया	वैयक्तिक सहायक	6563	7414	20.02.19
45	कोषागार गाजियाबाद	श्री महेन्द्र देव शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	8018	7415	20.02.19
46	कोषागार लखनऊ	श्री मो० अहमद	उप सचिव	9294	7416	21.02.19
47	कोषागार वाराणसी	श्री पन्तू सिंह	लेखाकार	8032	7417	21.02.19
48	कोषागार इलाहाबाद	श्री त्रिलोक नाथ सिंह	सहायक लेखाधिकारी	12911	7418	21.02.18
49	कोषागार लखनऊ	श्री माधुरी यादव पत्नी स्व० जगदीश कुमार	महाप्रबन्धक	8340	7419	21.02.19
50	कोषागार हापुड़	श्रीमती रुषा गुप्ता पत्नी स्व० जय प्रकाश	अधिसासी अभियन्ता	7843	7422	14.02.19
51	कोषागार सहारनपुर	श्रीमती कृष्णा जैन पत्नी स्व० रवीन्द्र कुमार जैन	मुख्य अभियन्ता	7976	7426	16.02.19
52	कोषागार लखनऊ	श्री सन्तोष कुमार शुक्ला	सदस्य	7981	7429	20.02.19
53	कोषागार लखनऊ	श्री हामिद अली काजी	अधिसासी अभियन्ता	7960	7431	18.02.19
54	कोषागार सहारनपुर	श्रीमती धर्मवती देवी पत्नी स्व० महेन्द्र पाल सिंह	सहायक अभियन्ता	7973	7434	17.02.19
55	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती विजय गोयल पत्नी स्व० आसेराम गोयल	अधीक्षण अभियन्ता	7940	7436	15.02.19
56	कोषागार लखनऊ	श्री सुभाष चन्द्र	अधिसासी अभियन्ता	7912	7439	18.02.19
57	कोषागार लखनऊ	श्री बलबीर सहाय	अधिसासी अभियन्ता	7908	7440	18.02.19
58	कोषागार बरेली	श्री तेज बहादुर सिंह	सहायक अभियन्ता	11772	7441	16.02.19
59	कोषागार कानपुर	श्री राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	11760	7443	15.02.19
60	कोषागार वाराणसी	श्री रघुनन्दन प्रसाद यादव	सहायक अभियन्ता	12784	7445	20.02.19
61	कोषागार वाराणसी	श्री जय शंकर उपाध्याय	सहायक अभियन्ता	11164	7446	20.02.19
62	कोषागार वाराणसी	श्री अजीत कुमार कर	सहायक अभियन्ता	11166	7447	20.02.19

63	कोषागार वाराणसी	श्री बॉके लाल सिंह	सहायक अभियन्ता	12406	7448	20.02.19
64	कोषागार वाराणसी	श्री बृजेन्द्र खन्ना	सहायक अभियन्ता	11154	7449	21.02.19
65	कोषागार लखनऊ	श्री राम प्रसाद	जमादार	11247	7450	21.02.19
66	कोषागार वाराणसी	श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी	सहायक अभियन्ता	13038	7451	20.02.19
67	कोषागार लखनऊ	श्री गयासउददीन अहमद	अनु सचिव	7939	7452	18.02.19
68	कोषागार लखनऊ	श्री कुँवर वीरेन्द्र पाल सिंह	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	7934	7460	18.02.19
69	कोषागार गाजियाबाद	श्री धर्मेश्वर नाथ	उपमहाप्रबन्धक	9427	7510	18.02.19
70	कोषागार आगरा	श्री शिव कृष्ण दास	सहायक लेखाधिकारी	10766	7518	18.02.19
71	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्रीमती सुप्ति बोस पत्नी स्व० चितरंजन बोस	अधिकासी अभियन्ता	6372	7532	20.02.19
72	कोषागार गाजियाबाद	श्री धन प्रकाश गर्ग	सहायक अभियन्ता	8438	7574	21.02.19
73	कोषागार मेरठ	श्रीमती सोशन लता जैन पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र जैन	सहायक अभियन्ता	9297	7575	21.02.19
74	कोषागार लखनऊ	श्री बनारसी लाल कोहली	वैयक्तिक सहायक	6019	7576	21.02.19
75	कोषागार गाजियाबाद	श्री मदन लाल	सहायक अभियन्ता	12043	7577	21.02.19
76	कोषागार सहारनपुर	श्री सेवक सिंह भाटिया	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	6677	7578	21.02.19
77	कोषागार वाराणसी	श्री शिवशंकर पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	11398	7579	21.02.19
78	कोषागार लखनऊ	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	सहायक अभियन्ता	10986	7580	21.02.19
79	कोषागार फैजाबाद	श्री मथुरा प्रसाद तिवारी	सहायक अभियन्ता	11340	7581	21.02.19
80	कोषागार मिर्जापुर	श्री जगनारायण मिश्रा	सहायक अभियन्ता	12401	7582	21.02.19
81	कोषागार लखनऊ	श्री उमाकान्त तिवारी	सहायक अभियन्ता	12323	7583	21.02.19
82	कोषागार रायबरेली	श्री अर्जुन सिंह	सहायक अभियन्ता	12329	7584	21.02.19
83	कोषागार लखनऊ	श्री बृज मोहन मित्तल	अधिकासी अभियन्ता	10787	7585	21.02.19
84	कोषागार कानपुर	श्री वीरेन्द्र मेहरोत्रा	अधीक्षण अभियन्ता	7923	7586	21.02.19
85	कोषागार लखनऊ	श्री सुनील कुमार गर्ग	निदेशक वक्स एण्ड प्रोजेक्ट	12848	7587	21.02.19
86	कोषागार लखनऊ	श्री विनय कुमार सक्सेना	सहायक अभियन्ता	13215	7588	21.02.19
87	कोषागार गोरखपुर	श्री रामायण धर दुबे	सहायक अभियन्ता	11541	7589	21.02.19

88	कोषागार लखनऊ	श्रीमती सोनिया भाटिया पत्नी स्व० सुशील कुमार भाटिया	अधिकासी अभियन्ता	9701	7590	21.02.19
89	कोषागार लखनऊ	श्री देवी सिंह	दफादार	9892	7591	21.02.19
90	कोषागार मेरठ	श्रीमती प्रभा एलहेन्स पत्नी स्व० वीरेन्द्र कुमार एलहेन्स	सहायक लेखाधिकारी	10167	7592	21.02.19
91	कोषागार अलीगढ़	श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	10789	7593	21.02.19
92	कोषागार कानपुर	श्रीमती आशारानी वर्मा पत्नी स्व० राजाराम वर्मा	उपमहाप्रबन्धक	10993	7594	21.02.19
93	कोषागार लखनऊ	श्रीमती खुर्शीदा मोईन पत्नी स्व० मोईनुद्दीन	मुख्य अभियन्ता	6266	7595	21.02.19
94	कोषागार वाराणसी	श्रीमती आशा कुमारी पत्नी स्व० लाल बहादुर	सहायक अभियन्ता	12835	7596	21.02.19
95	कोषागार आगरा	श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल	महाप्रबन्धक	12635	7597	21.02.19
96	कोषागार मेरठ	श्री देवेन्द्र कुमार	अधीक्षण अभियन्ता	13159	7598	21.02.19
97	कोषागार गोरखपुर	श्री राधेश्याम लाल श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	11770	7600	20.02.19
98	कोषागार कानपुर	श्री इन्द्रदेव प्रसाद	उपमहाप्रबन्धक	9269	7601	20.02.19
99	कोषागार वाराणसी	श्रीमती देवी सिंह	सहायक अभियन्ता	11056	7602	20.02.19
100	कोषागार लखनऊ	श्री दुष्यन्त वीर सिंह रावत	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	11085	7604	20.02.19
101	कोषागार लखनऊ	श्री राम यादव	पेट्रोल मेन	12449	7605	20.02.19
102	कोषागार लखनऊ	श्री शशि कान्त राय	अधीक्षण अभियन्ता	13486	7606	21.02.19
103	कोषागार अलीगढ़	श्री योगेन्द्र सिंह	सहायक अभियन्ता	10217	7607	21.02.19
104	कोषागार अलीगढ़	श्री कृष्ण कुमार वार्ष्णेय	अधीक्षण अभियन्ता	8002	7609	21.02.19
105	कोषागार लखनऊ	श्री त्रिलोकी नाथ सिंह गंगवार	सहायक अभियन्ता	8003	7610	21.02.19
106	कोषागार कानपुर	श्री शारदा चरन श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी	8004	7611	21.02.19
107	कोषागार झाँसी	श्री योगेन्द्र सिंह जादौन	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	8006	7612	21.02.19
108	कोषागार लखनऊ	श्री सुनील कुमार निगम	अधिकासी अभियन्ता	10905	7613	21.02.19
109	कोषागार गाजियाबाद	श्री राम नाथ सिंह	सहायक अभियन्ता	8033	7614	21.02.19

110	कोषागार मिर्जापुर	श्रीमती प्रभा देवी मिश्रा पत्नी स्व० अर्जुन मिश्रा	सहायक अभियन्ता	8054	7615	21.02.19
111	कोषागार सहारनपुर	श्री रघुवीर सिंह मलिक	सहायक अभियन्ता	8055	7616	21.02.19
112	कोषागार सोनभद्र	श्री वेद प्रकाश	अधीक्षण अभियन्ता	8051	7618	21.02.19
113	कोषागार देवरिया	श्री बालेश्वर तिवारी	सहायक अभियन्ता	8065	7619	21.02.19
114	कोषागार कानपुर	श्री राजेन्द्र कुमार कोहली	सहायक अभियन्ता	12337	7621	21.02.19
115	कोषागार वाराणसी	श्री मोहम्मद महमूद	लेखाधिकारी	12339	7622	21.02.19
116	कोषागार गाजियाबाद	श्री धन नरेन्द्र सिंह राघव	लेखाकार	10828	7623	21.02.19
117	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती ऊषा अरोरा पत्नी स्व० जगदीश चन्द्र	सहायक अभियन्ता	9992	7624	21.02.19
118	कोषागार फर्रुखाबाद	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व० छोटे लाल	सहायक अभियन्ता	10788	7625	21.02.19
119	कोषागार लखनऊ	श्री सैयद महमूद हुसैन	महाप्रबन्धक	9117	7626	21.02.19
120	कोषागार बहराइच	श्री अशोक कुमार सिंह	सहायक अभियन्ता	13178	7628	21.02.19
121	कोषागार बागपत	श्री नरसिंह वर्मा	सहायक अभियन्ता	8077	7631	22.02.19
122	कोषागार शाहजहाँपुर	श्री सगीर अहमद खॉ	सहायक अभियन्ता	9700	7632	22.02.19
123	कोषागार लखनऊ	श्रीमती बचन देवी पत्नी स्व० लच्छूधर प्रसाद	इलेक्ट्रीशियन	10015	7633	22.02.19
124	कोषागार वाराणसी	श्री श्रीन्द्र कुमार विद्यार्थी	सहायक अभियन्ता	11719	7634	22.02.19
125	कोषागार रामपुर	श्री सिफातुन नबी खान	अधीक्षण अभियन्ता	7677	7635	22.02.19
126	कोषागार आगरा	श्रीमती सुमन सिंह पत्नी स्व० ओमवीर सिंह	सहायक अभियन्ता	10796	7637	22.02.19
127	कोषागार लखनऊ	श्री श्रीराम जी	अधिशाली अभियन्ता	11745	7640	22.02.19
128	कोषागार गोरखपुर	श्री रामदुलारे सिंह	अधिशाली अभियन्ता	6552	7641	22.02.19
129	कोषागार गोरखपुर	श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा	अधिशाली अभियन्ता	11415	7642	22.02.19
130	कोषागार प्रयागराज	श्री हीरा लाल	अधिशाली अभियन्ता	11647	7643	22.02.19
131	कोषागार लखनऊ	श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी स्व० राम सुचित सिंह	अधिशाली अभियन्ता	10797	7644	22.02.19
132	कोषागार वाराणसी	श्री लल्लन उपाध्याय	सहायक अभियन्ता	10800	7645	22.02.19

133	कोषागार कासगंज	श्री रमेश सिंह	अधिशाली अभियन्ता	8794	7646	22.02.19
134	कोषागार गोरखपुर	श्री बबन सिंह	सहायक अभियन्ता	12346	7647	22.02.19
135	कोषागार वाराणसी	श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	12335	7648	22.02.19
136	कोषागार लखनऊ	श्री राधेश्याम अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	8180	7649	22.02.19
137	कोषागार लखनऊ	श्रीमती मुन्नी देवी	चपरासी	13407	7650	22.02.19
138	कोषागार झाँसी	श्री हरि प्रसाद	सहायक अभियन्ता	8981	7651	22.02.19
139	कोषागार कानपुर	श्री जगदीश कुमार अरोरा	अधिशाली अभियन्ता	12475	7652	22.02.19
140	कोषागार लखनऊ	श्री राकेश कुमार सक्सेना	सहायक अभियन्ता	12399	7653	22.02.19
141	कोषागार कानपुर	श्री रमेश चन्द्र जायसवाल	सहायक अभियन्ता	12476	7654	22.02.19
142	कोषागार वाराणसी	श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता	चपरासी	12460	7655	22.02.19
143	कोषागार जौनपुर	श्रीमती अंजू शॉ पत्नी स्व० कृष्णा शॉ	सहायक अभियन्ता	12432	7656	22.02.19
144	कोषागार मेरठ	श्री सुभाष मोहन मित्तल	मुख्य अभियन्ता	13523	7657	22.02.19
145	कोषागार बुलन्दशहर	श्रीमती राज बाला देवी पत्नी स्व० जवाहर सिंह राना	अधिशाली अभियन्ता	6374	7658	22.02.19
146	कोषागार कानपुर	श्री राजेन्द्र कुमार पाल	वरि० लेखाधिकारी	12667	7659	22.02.19
147	कोषागार लखनऊ	श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	13174	7660	22.02.19
148	कोषागार वाराणसी	श्री सुधेश्वर राय	सहायक अभियन्ता	12431	7661	22.02.19
149	कोषागार लखनऊ	श्रीमती मनोरमा सक्सेना पत्नी स्व० जे०बी०	अधिशाली अभियन्ता	6399	7662	22.02.19
150	कोषागार मुरादाबाद	श्री विजय कुमार	सहायक अभियन्ता	12332	7663	22.02.19
151	कोषागार गाजियाबाद	श्री ब्रह्म दत्त	अधिशाली अभियन्ता	12333	7664	22.02.19
152	कोषागार लखनऊ	श्री राना आबिदी पत्नी स्व० सैयद हसन सज्जाद आबिदी	सहायक अभियन्ता	12413	7665	22.02.19
153	कोषागार लखनऊ	श्री लाल चन्द्र गुप्ता	सहायक लेखाधिकारी	12410	7666	22.02.19
154	कोषागार लखनऊ	श्री हीरा सिंह नेगी	कार्यालय सहायक-प्रथम	12435	7667	22.02.19
155	कोषागार प्रयागराज	श्रीमती राजकली पत्नी स्व० राम हर्ष यादव	सहायक लेखाकार	12477	7668	22.02.19
156	कोषागार वाराणसी	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	12472	7669	22.02.19
157	कोषागार वाराणसी	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	12459	7670	22.02.19
158	कोषागार मथुरा	श्री जगमोहन सिंह	अधिशाली अभियन्ता	12458	7671	22.02.19

159	कोषागार लखनऊ	श्री चन्द्र बिहारी गुप्ता	अधिकासी अभियन्ता	12425	7672	22.02.19
160	कोषागार लखनऊ	श्री आसिफ मसूद सिद्दीकी	सहायक अभियन्ता	12457	7673	22.02.19
161	कोषागार बरेली	श्री लोकेन्द्र गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता	12452	7674	22.02.19
162	कोषागार बरेली	श्री राधेश्याम	सहायक अभियन्ता	11971	7675	22.02.19
163	कोषागार लखनऊ	श्रीमती सरला सिंह पत्नी स्व० वीरेश्वर सिंह	मुख्य अभियन्ता	7878	7676	22.02.19
164	कोषागार अलीगढ़	श्री रमेश चन्द्र भारद्वाज	अधिकासी अभियन्ता	9392	7677	22.02.19
165	कोषागार वाराणसी	श्रीमती कुमुद देवी पत्नी स्व० मुरारी पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	9400	7678	22.02.19
166	कोषागार मेरठ	श्रीमती अनीता गुप्ता पत्नी स्व० मदन मोहन गुप्ता	सहायक अभियन्ता	8952	7680	22.02.19
167	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री रमेश चन्द्रा	अधिकासी अभियन्ता	11874	7681	22.02.19
168	कोषागार लखनऊ	श्री अशोक कुमार	दफादार	12356	7681	22.02.19
169	कोषागार सुल्तानपुर	श्रीमती हरिहर देवी पत्नी स्व० झमई राम	लेखाकार	10786	7682	22.02.19
170	कोषागार अलीगढ़	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	सहायक अभियन्ता	7920	7683	22.02.19
171	कोषागार लखनऊ	श्री नरेन्द्र सहाय सक्सेना	कार्यालय सहायक-प्रथम	10794	7684	22.02.19
172	कोषागार लखनऊ	श्री मु० उजैर सिद्दीकी	संयुक्त सचिव	7114	7686	22.02.19
173	कोषागार गाजियाबाद	श्री ओम प्रकाश धमीजा	मुख्य अभियन्ता	6455	7687	22.02.19
174	कोषागार लखनऊ	कु० शकीला खातून पत्नी स्व० मुजीबुल हसन	अधिकासी अभियन्ता	6457	7688	22.02.19
175	कोषागार अलीगढ़	श्रीमती अनु चक्रवर्ती पत्नी स्व० अनिल कुमार चक्रवर्ती	सहायक अभियन्ता	6456	7689	22.02.19
176	कोषागार लखनऊ	श्रीमती शशि जैन पत्नी स्व० जागेश जैन	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	6459	7690	22.02.19
177	कोषागार सहारनपुर	श्री मोहिन्द्र सिंह थांडी	सहायक अभियन्ता	6467	7691	22.02.19
178	कोषागार आगरा	श्री नैमी चन्द्र गुप्ता	सहायक अभियन्ता	9391	7692	22.02.19
179	कोषागार लखनऊ	श्री लक्ष्मी दत्त उपाध्याय	प्रशासनिक अधिकारी	9228	7693	22.02.19

180	कोषागार गाजियाबाद	श्री राजेन्द्र कुमार गोयल	अधीक्षण अभियन्ता	10930	7701	22.02.19
181	कोषागार मुरादाबाद	श्री गोविन्द सिंह	सहायक अभियन्ता	9382	7702	22.02.19
182	कोषागार अलीगढ़	श्री विजय किशोर अनिल	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	8019	7703	22.02.19
183	कोषागार लखनऊ	श्रीमती विभा देवी पत्नी स्व० लाल चन्द्र	लेखाधिकारी	8027	7704	22.02.19
184	कोषागार कन्नौज	श्री हीरा लाल	सहायक अभियन्ता	8514	7707	22.02.19
185	कोषागार सुल्तानपुर	श्रीमती अनीता प्रसाद पत्नी स्व० चुन चुन प्रसाद	सहायक अभियन्ता	8035	7709	22.02.19
186	कोषागार लखनऊ	श्री राम चन्द्र गुप्ता	निजी सचिव	8930	7710	22.02.19
187	कोषागार लखनऊ	श्री हिमांशु शेखर बोस	सहायक अभियन्ता	6436	7713	23.02.19
188	कोषागार लखनऊ	श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी स्व० नरेन्द्र बहादुर सिंह	वित्त परामर्शी एवं मुख्य लेखाधिकारी	8081	7717	23.02.19
189	कोषागार वाराणसी	श्री कौशल कुमार राय	वरि० कार्मिक अधिकारी	8636	7720	25.02.19
190	कोषागार आगरा	श्री शिवदान सिंह वर्मा	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	8068	7730	23.02.19
191	कोषागार गोरखपुर	श्रीमती राधिका देवी पत्नी स्व० कृष्ण कुमार पाण्डेय	सहायक अभियन्ता	8091	7731	23.02.19
192	कोषागार बरेली	श्री राम अवतार गुप्ता	लेखाकार	8041	7736	23.02.19
193	कोषागार कानपुर	श्री आशीष कुमार मित्रा	मुख्य अभियन्ता स्तर-2	7744	7738	23.02.19
194	कोषागार लखनऊ	श्रीमती खातून निशा पत्नी स्व० मो० लतीफ अंसारी	दफ्तरी	8924	7741	25.02.19
195	कोषागार रामपुर	श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी स्व० जहीरुद्दीन हैदर खान	सहायक अभियन्ता	8080	7744	25.02.19
196	कोषागार सहारनपुर	श्री सुरेन्द्र कुमार चौहान	सहायक अभियन्ता	11114	7746	25.02.19
197	कोषागार कानपुर	श्री रामेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	लेखाधिकारी	8130	7747	25.02.19
198	कोषागार सहारनपुर	श्रीमती मनजीत कौर पत्नी स्व० सोविन्दर सिंह	अधिकासी अभियन्ता	9077	7750	25.02.19
199	कोषागार वाराणसी	श्री परमेश्वर चौधरी	सहायक अभियन्ता	10088	7751	23.02.19
200	कोषागार मेरठ	श्री कैलाश चन्द्र गोविल	लेखाधिकारी	7314	7752	23.02.19
201	कोषागार लखनऊ	श्री राम सुमन	चपरासी	12655	7755	25.02.19

202	कोषागार अलीगढ़	श्री रिजवानुल हसन फाजली	अधिकासी अभियन्ता	12408	7757	25.02.19
203	कोषागार गोरखपुर	श्री मोहम्मद सलीम	सहायक अभियन्ता	12423	7758	25.02.19
204	कोषागार लखनऊ	श्रीमती रेखा निगम पत्नी स्व० रवीन्द्र कुमार निगम	सहायक अभियन्ता	12424	7759	25.02.19
205	कोषागार लखनऊ	श्री रवि प्रकाश मिश्र	कार्मिक अधिकारी	12203	7760	25.02.19
206	कोषागार लखनऊ	श्री धर्म चन्द्र	महाप्रबन्धक	10791	7761	25.02.19
207	कोषागार लखनऊ	श्री घनश्याम प्रसाद शाह	अनुभाग अधिकारी	10790	7762	25.02.19
208	कोषागार लखनऊ	श्रीमती गीता सिंह पत्नी स्व० राजेन्द्र पाल सिंह	अधिकासी अभियन्ता	9650	7763	25.02.19
209	कोषागार लखनऊ	श्री फारुख अहमद	आशुलिपिक	10808	7764	25.02.19
210	कोषागार लखनऊ	श्री जागेश्वर प्रसाद	दफ्तरी	10807	7765	25.02.19
211	कोषागार लखनऊ	श्रीमती विमल चन्द्रिका मित्तल पत्नी स्व० भगवान स्वरूप मित्तल	मुख्य अभियन्ता	4916	7766	25.02.19
212	कोषागार लखनऊ	श्री मुनीश्वर सहाय	अधिकासी अभियन्ता	9381	7767	25.02.19
213	कोषागार हाथरस	श्री परशुराम शर्मा	सहायक अभियन्ता	11731	7768	25.02.19
214	कोषागार मुरादाबाद	श्री बलजीत सिंह	सहायक अभियन्ता	12430	7769	25.02.19
215	कोषागार लखनऊ	श्री उमा शंकर गुप्ता	सहायक अभियन्ता	12309	7770	25.02.19
216	कोषागार लखनऊ	श्री रमेश चन्द्र कपूर	अधिकासी अभियन्ता	10896	7771	25.02.19
217	कोषागार मेरठ	श्री सुभाष चन्द्र	अधिकासी अभियन्ता	10809	7772	25.02.19
218	कोषागार लखनऊ	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय पत्नी स्व० दशरथ प्रसाद	दफ्तरी	8079	7773	25.02.19
219	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री शशिकान्त	उपमहाप्रबन्धक	9374	7774	25.02.19
220	कोषागार लखनऊ	श्री कुलदीप चन्द्र रस्तोगी	अधिकासी अभियन्ता	10977	7775	25.02.19
221	कोषागार गोरखपुर	श्री मसूदुल हक	सहायक अभियन्ता	12442	7776	25.02.19
222	कोषागार बरेली	श्री राजेन्द्र सिंह	सहायक लेखाधिकारी	13722	7777	25.02.19
223	कोषागार लखनऊ	श्री चन्द्र मोहन शर्मा	अधिकासी अभियन्ता	7915	7778	25.02.19
224	कोषागार लखनऊ	श्री उमेश नारायण तिवारी	सहायक लेखाधिकारी	14165	7779	25.02.19
225	कोषागार लखनऊ	श्री विजय कुमार	सहायक अभियन्ता	10798	7780	25.02.19

226	कोषागार लखनऊ	श्री रामधनी गुप्ता	सहायक अभियन्ता	10053	7781	25.02.19
227	कोषागार गोण्डा	श्री देवेश मिश्रा	लेखाधिकारी	12672	7782	25.02.19
228	कोषागार लखनऊ	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	अधिकासी अभियन्ता	13397	7783	25.02.19
229	कोषागार अलीगढ़	श्री राजपाल सिंह	सहायक अभियन्ता	8766	7785	25.02.19
230	कोषागार हरिद्वार	श्री विष्णु प्रसाद	सहायक अभियन्ता	6220	7786	25.02.19
231	कोषागार फैजाबाद	श्री रमेश कुमार सिंह	सहायक अभियन्ता	12966	7787	25.02.19
232	कोषागार लखनऊ	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता	11344	7788	25.02.19
233	कोषागार जौनपुर	श्री विजय प्रकाश लाल	सहायक लेखाधिकारी	9210	7789	25.02.19
234	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री प्रेमनाथ सिंह	सहायक अभियन्ता	12324	7790	25.02.19
235	कोषागार जौनपुर	श्री राम कुमार गुप्ता	सहायक अभियन्ता	12434	7791	25.02.19
236	कोषागार मथुरा	श्री कंवरजीत सिंह	सहायक अभियन्ता	12352	7792	25.02.19
237	कोषागार देवरिया	श्री भोला प्रसाद सिंह	सहायक लेखाधिकारी	12326	7793	25.02.19
238	कोषागार बदायूँ	श्री फरहत उल्ला खॉ	लेखाकार	12354	7794	25.02.19
239	कोषागार मेरठ	श्री सतीश कुमार सच्चर	सहायक अभियन्ता	12371	7795	25.02.19
240	कोषागार मेरठ	श्री राम कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता	12374	7796	25.02.19
241	कोषागार लखनऊ	श्री कृष्ण सरन माथुर	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	6385	7797	25.02.19
242	कोषागार लखनऊ	श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नी स्व० राकेश कुमार वर्मा	कार्यालय सहायक-तृतीय	13789	7798	25.02.19
243	कोषागार आगरा	श्री जगदीश स्वरूप चावला	अधिकासी अभियन्ता	6340	7799	25.02.19
244	कोषागार लखनऊ	श्रीमती मंजू भटनागर पत्नी स्व० राजेन्द्र मोहन भटनागर	अनुभाग अधिकारी	12954	7801	26.02.19
245	कोषागार वाराणसी	श्री गंगाराम सिंह	सहायक अभियन्ता	10178	7821	25.02.19
246	कोषागार लखनऊ	श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्व० दुर्गादत्त भट्ट	हेड सिक्क्योरिटी गार्ड	6682	7826	25.02.19
247	कोषागार हरदोई	श्री मिश्री लाल कनौजिया	लेखाकार	6386	7836	25.02.19
248	कोषागार अलीगढ़	श्री जुल्फिकार अली बेग	सहायक अभियन्ता	12436	7837	25.02.19
249	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी स्व० राम कुमार शर्मा	लेखाकार	12422	7838	25.02.19

250	कोषागार मुरादाबाद	श्रीमती रोशन आरा बैगम पत्नी स्व० ए०ए० खान	अधिकासी अभियन्ता	6369	7839	25.02.19
251	कोषागार लखनऊ	श्री प्रेम प्रकाश दीक्षित	अधीक्षण अभियन्ता	12396	7840	25.02.19
252	कोषागार लखनऊ	श्री भानु प्रताप राम	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	12330	7841	25.02.19
253	कोषागार लखनऊ	श्री शेख मुहम्मद नूरुल हक	मुख्य अभियन्ता	13497	7842	25.02.19
254	कोषागार कानपुर	श्री अवध बिहारी त्रिपाठी	अधिकासी अभियन्ता	12427	7843	25.02.19
255	कोषागार आगरा	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	सहायक अभियन्ता	12395	7844	25.02.19
256	कोषागार लखनऊ	श्री कृष्ण चन्द्र वाष्ण्य	उपमहाप्रबन्धक	7462	7845	25.02.19
257	कोषागार अलीगढ़	श्रीमती जाहिदा खातून पत्नी स्व० राशिदुल्लाह खान	सहायक अभियन्ता	6357	7849	25.02.19
258	कोषागार लखनऊ	श्रीमती संतोषलता श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रेम नारायण श्रीवास्तव	उप सचिव	7966	7850	25.02.19
259	कोषागार लखनऊ	श्रीमती चन्द्र प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० कैलाश नाथ श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	6351	7853	25.02.19
260	कोषागार शाहजहाँपुर	श्रीमती कमलेश्वरी गुप्ता पत्नी स्व० रिक्की लाल गुप्ता	सहायक अभियन्ता	6356	7854	25.02.19
261	कोषागार लखनऊ	कु० रुचि श्रीवास्तव पुत्री स्व० कृष्णा राम श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	6352	7855	25.02.19
262	कोषागार लखनऊ	श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० जुगुल किशोर	चपरासी	12962	7856	25.02.19
263	कोषागार लखनऊ	श्री कृष्ण कान्त सिंह	अनुभाग अधिकारी	8284	7857	25.02.19
264	कोषागार लखनऊ	श्री खेम चन्द्र चोपड़ा पति स्व० श्रीमती रमन	आशुलिपिक	12492	7858	25.02.19
265	कोषागार वाराणसी	श्री राम सुधार	सहायक अभियन्ता	12882	7859	25.02.19
266	कोषागार गोरखपुर	श्री उमाकान्त त्रिपाठी	उपमहाप्रबन्धक	9500	7862	25.02.19
267	कोषागार गाजियाबाद	श्री अशोक कुमार गोयल	अधिकासी अभियन्ता	10907	7863	25.02.19
268	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री राधा रानी गौड़ पत्नी स्व० रमेश दत्त गौड़	मुख्य अभियन्ता	6738	7867	26.02.19
269	कोषागार लखनऊ	श्री दीप चन्द्र सनवाल	सहायक अभियन्ता	10826	7868	26.02.19

270	कोषागार मेरठ	श्री राधेश्याम अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	9395	7869	26.02.19
271	कोषागार आजमगढ़	श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० छोटे लाल मौर्या	सहायक अभियन्ता	12522	7870	26.02.19
272	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री वीरी सिंह वर्मा	सहायक अभियन्ता	12350	7872	26.02.19
273	कोषागार सोनभद्र	श्री देवा ब्रता वासु	अधीक्षण अभियन्ता	12348	7873	26.02.19
274	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री रामेश्वर सिंह	अधीक्षण अभियन्ता	6417	7874	26.02.19
275	कोषागार आगरा	श्री गोपाल मिश्रा	लेखाकार	6346	7876	26.02.19
276	कोषागार झोंसी	श्री दिनेश प्रसाद भटनागर	अधिशाली अभियन्ता	8016	7876	26.02.19
277	कोषागार लखनऊ	श्री महेश सिंह	अधिशाली अभियन्ता	6398	7877	26.02.19
278	कोषागार लखनऊ	श्री आदित्य कुमार सक्सेना	अधीक्षण अभियन्ता	12437	7878	26.02.19
279	कोषागार गोरखपुर	श्री राजेन्द्र पति त्रिपाठी	सहायक अभियन्ता	6416	7879	26.02.19
280	कोषागार लखनऊ	श्री सैयद मोहम्मद उमर पुत्र स्व० सैयद मोहम्मद जफर	मुख्य अभियन्ता	6343	7880	26.02.19
281	कोषागार बुलन्दशहर	श्रीमती सुधा सिंह पत्नी स्व० सुरेन्द्र पाल सिंह	लेखाकार	13463	7881	26.02.19
282	कोषागार लखनऊ	श्री अरुण कुमार तिवारी	सहायक अभियन्ता	13732	7882	26.02.19
283	कोषागार लखनऊ	श्री मधुसूदन सिंह	अधिशाली अभियन्ता	11421	7893	26.02.19
284	कोषागार लखनऊ	श्री राम बचन राम	चालक	10806	7894	26.02.19
285	कोषागार लखनऊ	श्री इस्मदार शेख	अधीक्षण अभियन्ता	11923	7895	26.02.19
286	कोषागार गाजियाबाद	श्रीमती सुरक्षा मोहन पत्नी स्व० विश्वामित्र	अधीक्षण अभियन्ता	7883	7897	26.02.19
287	कोषागार कानपुर	श्री राजेन्द्र कुमार महेश्वरी	सहायक लेखाधिकारी	7838	7898	26.02.19
288	कोषागार आगरा	श्रीमती विजय कुमारी कुलश्रेष्ठ पत्नी स्व० जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ	लेखाकार	7979	7899	26.02.19
289	कोषागार लखनऊ	श्री ब्रह्म प्रकाश पाठक	सहायक अभियन्ता	6387	7900	26.02.19
290	कोषागार लखनऊ	श्री राम बाबू पाण्डेय	सुरक्षा प्रहरी	12376	7901	26.02.19
291	कोषागार कानपुर	श्री राजू कुमार मिश्र	सहायक अभियन्ता	12390	7902	26.02.19
292	कोषागार मेरठ	श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग	अधिशाली अभियन्ता	10825	7903	26.02.19
293	कोषागार लखनऊ	श्री रवि कुमार सक्सेना	अधिशाली अभियन्ता	10465	7904	26.02.19

294	कोषागार लखनऊ	श्री अरुण कुमार	अनुसेवक	11832	7909	27.02.19
295	कोषागार कानपुर	श्री राम प्रकाश	चपरासी	12525	7910	27.02.19
296	कोषागार लखनऊ	श्री हरि प्रकाश श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	12380	7911	27.02.19
297	कोषागार लखनऊ	श्रीमती अनीस फातिमा पत्नी स्व० कमरुज्जमा अंसारी	अनुभाग अधिकारी	9222	7912	27.02.19
298	कोषागार वाराणसी	श्रीमती उषा देवी पत्नी स्व० शिवानन्द तिवारी	सहायक अभियन्ता	9075	7913	27.02.19
299	कोषागार देवरिया	श्री सियाराम राय	सहायक अभियन्ता	9218	7915	27.02.19
300	कोषागार लखनऊ	श्री पुष्पा देव शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	10707	7916	27.02.19
301	कोषागार गौतमबुद्धनगर	श्री राम सिंह	अधिकासी अभियन्ता	9360	7917	27.02.19
302	कोषागार मेरठ	श्री मांगे राम सिंह धनखड़	सहायक अभियन्ता	9377	7918	27.02.19
303	कोषागार गाजियाबाद	श्री विनोद कुमार अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता	9371	7919	27.02.19
304	कोषागार गाजियाबाद	श्री शक्ति सिंह	अधिकासी अभियन्ता	10810	7920	27.02.19
305	कोषागार सीतापुर	श्रीमती ज्ञान प्रभा पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह	उपविधि अधिकारी	9364	7921	27.02.19
306	कोषागार लखनऊ	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक अभियन्ता	12386	7922	27.02.19
307	कोषागार लखनऊ	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	अधिकासी अभियन्ता	13679	7923	27.02.19
308	कोषागार वाराणसी	श्री धर्मपालजी श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता	11928	7932	27.02.19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(विद्युत आपूर्ति निगम, उत्तर प्रदेश)

पैन-PENSIONING/132201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13261

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

कार्यालय

सहायक-तृतीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6164	दिनांक 03-08-2013
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.08.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800(6600)
(घ)	वेतन	₹	31,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹	15625
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6250
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9375
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		य० 15625/- दि० 30.06.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9375
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		09 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	82,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	41300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	41300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6250
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	35020
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर) आदेश सं० 1204 दि० 16.12.18	₹	₹० 41,300/- दि० 30.06.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	24780
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

5967

13261

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 10/11/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-तृतीय, पता-म०नं०-8/820, विकास नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



सं0/6 पावर कारपोरेशन लि0

(सं0/00-0000/0000)



पत्र सं0

8721

2000-2001

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माया मिश्रा पत्नी स्व0 जमुना प्रसाद सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	1408 दिनांक 16-04-2001
(ग)	जन्मतिथि	25.01.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माया मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	26.07.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2001/09.08.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

6/11

8721

2000-2001

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक: 14/11/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती माया मिश्रा पत्नी स्व0 जमुना प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त उप मुख्य लेखाधिकारी, पता-3/165, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

18/07/2017 कोषाधिकारी/कोषागार

18/07/2017 कोषाधिकारी/कोषागार

पंजीकरण संख्या: 18/07/2017/18/07/2017/2017/2017



पत्र सं०

12814

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

16/11/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार

सेवानिवृत्त

उप खण्ड
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5739 दिनांक 06-07-2012
(ग)	जन्मतिथि	10.04.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उषा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.12.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 32,015/- दिनांक 09.04.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹ -

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी) 27 प्रतिशत दण्ड	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ ₹ 83,050/- दिनांक 09.04.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 30 प्रतिशत अतिरिक्त	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6150

12814

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।
- श्री कृष्ण कुमार सेवानिवृत्त उपखण्ड अधिकारी पता-एफ०सी०आई० रोड, कासिमपुर, पावर हाउस, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7086

11622

09-10

उम०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माया सिंह पत्नी स्व० सुमाष चन्द्र सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4555

दिनांक

02.09.2009

(ग) जन्मतिथि

02.07.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती माया सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

14.01.1957

2 (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2009/08.05.2014

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 GP. 10000

(घ) वेतन

₹

71,720

(ङ) मूल पेंशन

₹

-

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

35860 दि० 01.07.2014 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

21,516

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,88,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

₹ 94100 दि० 01.07.2016 तक तदुपरान्त ₹ 56460/-प्र०म०

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7086

11622

09-10

उम०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

8/2/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी

2. श्रीमती माया सिंह पत्नी स्व० सुमाष चन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता बी-38/42-43 मोहनीकुंज कालोनी, महारुमगंज, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

के साथै सम्पर्क/स्वीकृति कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उम०प्र०पा०कालोनी, शांति गवन, लखनऊ।

विमर्श
लेखाधिकारी (पेंशन)

सं० प्र०
प्रति



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7276

11759

09-10

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश कुलश्रेष्ठ

सेवानिवृत्त

अधीक्षण

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता
(ख)	पीपीओओ संख्या	2724 दिनांक 30.05.2011
(ग)	जन्मतिथि	10.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्री मंजू कुलश्रेष्ठ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.11.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/10000
(घ)	वेतन	₹ 71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त धटी पेंशन	₹ 23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 40

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12432
(च)	राशिकरण के बाद धटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न किया जाये	₹ 81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आशयित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7276

11759

09-10

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचक एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री राकेश कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता 20, पुष्पजलि नगर, फेज तृतीय, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

आगरा।

को प्रेषित पत्रांक 9051 दिनांक 21.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

20/02/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

राजिंदर, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7278

11754

2009-2010 उ०म०प्र०/

दिनांक-13.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्द्र कुमार गुप्ता

सेवानिवृत्त

मुख्य

अभियन्ता

स्तर-2

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4684 दिनांक 30.11.2009	
(ग)	जन्मतिथि		03.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नीरजा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07.07.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹	35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12964
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22896
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12964
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	81136/- दि०-20.01.2025 तक तदुपरान्त 94100/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 93650/- का	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7278

11754

2009-2010 उ०म०प्र०/

दिनांक-13.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
2. श्री चन्द्र कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पता-12/705, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9053 दिनांक-14.02.2019 के सापेक्ष समीक्षा/स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7281

7765

1997-1998 उ०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लक्ष्मी चन्द्र शर्मा

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

414 दिनांक 19.01.1998

(ग) जन्मतिथि

05.08.1939

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

लागू नहीं

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.08.1997

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे-8700

(घ) वेतन

₹

14,700

(ङ) मूल पेंशन

₹

23050

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

23050

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

लागू नहीं

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

11 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,23,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

61550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

-

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

61550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

61550

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

36930

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 61550

₹

12310/- दि० 05.08.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7281

7765

1997-1998 उ०प्र०/ले

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्री लक्ष्मी चन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्ता, लेखाकार, पता-578 नियर फूल बाग कालोनी मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मेरठ।

को प्रेषित पत्रांक 9056 दिनांक-23.02.2019 के साथै सफाई प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7292

10861

2005-2006 उपग्रो/

दिनांक-13.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार टंडन

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	3587 दिनांक 27.05.2006
(ग)	जन्मतिथि	05.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	अन्नपूर्णा टंडन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.12.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	31.01.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9202
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18403
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9202
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 74398/-दि० 10.07.2021 तक तदुपरान्त 83600/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 93650/- का	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7292

10861

2005-2006 उपग्रो/

दिनांक-13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री अशोक कुमार टंडन, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-के-888, अशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9067 दिनांक-14.02.2019 के सापेक्ष संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गिता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7304

7821

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय चन्द मल जैन

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

688 दिनांक 21.05.1999

(ग) जन्मतिथि

06.09.1940

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती संतोष कुमारी जैन

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.01.1945

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.09.1998

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000

(घ) वेतन

₹

20,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

27350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

27350

(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

15900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,53,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

76500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

76500

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

76500

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

45900

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7304

7821

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्री जय चन्द मल जैन, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता- ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, आर्दश नगर, लखनऊ-20, लखनऊ मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मेरठ।

को प्रेषित पत्रांक 9079 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7305

7810

1997-1998

उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुमन लता पत्नी स्व० त्रिलोक चन्द्र

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

560 दिनांक 16.11.1998

(ग) जन्मतिथि

15.06.1940

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सुमन लता

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

08.09.1942

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.1998 / 25.01.2016

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000

(घ) वेतन

₹

20,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत माग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,53,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

76500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

45900

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7305

7810

1997-1998

उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्धित विद्युत वितरण नियम लि०, गाजियाबाद।

2. श्रीमती सुमन लता पत्नी स्व० त्रिलोक चन्द्र, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-प्लैट-14121, ए०टी०एस० अडवेंटेज, अहिंसा खंड-1, इन्दिरापुरम् गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक 9080 दिनांक-16.02.2019 के साथै साक्ष्य स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7312

7828

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मागदेई पत्नी स्व० सूरज लाल सेवानिवृत्त वपरासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	452 दिनांक 21.04.1998
(ग)	जन्मतिथि	10.10.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मागदेई
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1951
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	23.12.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4200-6400 / 5200-20200 ग्रेड पे-2600
(घ)	वेतन	₹ 1,510
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 3500
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 44
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका सं० 4
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 31,500
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 15750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 के निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन किया जावे	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 9450
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपयुक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपयुक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7312

7828

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती मागदेई पत्नी स्व० सूरज लाल, सेवानिवृत्ति वपरासी, पता हैदराबाद, बिरहिमपुर, बहसईच, कैसरगंज, उत्तर प्रदेश 271903।

के इस आदेश से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9087 दिनांक 16.02.2019 के सापेक्ष सम्यक भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7315

9726

03-04

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री योगेन्द्र पाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2656 दिनांक 21.06.2004
(ग)	जन्मतिथि	30.08.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शारदा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.09.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.08.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹० 66510 दि० 16.08.2019 तक तदुपरान्त ₹० 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7315

9726

03-04

उ०म०प्र० / दिनांक:15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोचल विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
2. श्री योगेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ब्लाक-सी, मकान नं० 420, पनकी, कानपुर-208020।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रों 9090 दिनांक: 16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर।

3. अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

15/02/19



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7318

9300

2002-2003

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2099 दिनांक 28.12.2002

(ग) जन्मतिथि

04.07.1944

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

लागू नहीं

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2002

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000

(घ) वेतन

₹

21,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

27350

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

4000

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

23350/- दि० 28.03.2018 तक तदुपरान्त 27350/-

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

15900

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,57,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

78800

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

78800

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

4000

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

74800/- दि० 28.03.2018 तक तदुपरान्त 78800/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

47280

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7318

9300

2002-2003

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता- 38/80, आजाद नगर कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9093 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7320

7811

1997-1998

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
बिजनौर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बलवन्त सिंह रवि

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	663 दिनांक 19.04.1999	
(ग) जन्मतिथि		01.01.1939
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.1997
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750 / 10650-15200 / 19600-39100 / ग्रेड पे-6600	
(घ) वेतन	₹	14,225
(ङ) मूल पेंशन	₹	15930
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुर्नस्थापित
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15930
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹	85,800
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	42900
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	42900
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	पुर्नस्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	42900
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 42900 का	₹	8580/- दि० 01.01.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7320

7811

1997-1998

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, धामपुर।
2. श्री बलवन्त सिंह रवि, सेवानिवृत्ता, सहायक अभियन्ता, पता-रविदासनगर, नूरपुर, बिजनौर-246734

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार,

बिजनौर

को प्रेषित पत्रांक 9095 दिनांक-18.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7322

7830

1998-1999

उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रजिया बेगम पत्नी स्व० फसीह
उल्लाह खाँ

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	503 दिनांक 13.07.1998
(ग)	जन्मतिथि	03.08.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रजिया बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.02.1939
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1995/16.09.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750/10560-15200/15600-39100 ग्रेड पे-6600
(घ)	वेतन	₹ 4,375
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5062
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 80,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 40450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24270
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 24270 का	₹ 4854/- दि० 25.02.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तस-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7322

7830

1998-1999

उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, भोलेपुर, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)।

2. श्रीमती रजिया बेगम पत्नी स्व० फसीह उल्लाह खाँ, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-3/33, धीनी ग्राम, वार्ड नं०-31, फर्रुखाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

फतेहगढ़

(फर्रुखाबाद)

को प्रेषित पत्रांक 9097 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पन्न सुगति को मुगतान प्राप्त करें।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7324

10025

2004-2005 उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमा नाथ श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

2780 दिनांक 23.09.2004

(ग) जन्मतिथि

01.09.1946

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रमा श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

10.12.1947

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.08.2004

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-6900

(घ) वेतन

20,000

(ङ) मूल पेंशन

24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

4674

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

19621

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

14730

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,39,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

69550

(ङ) राशिकृत पेंशन

4674

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

64876/- दि० 20.12.2019 तक तदुपरान्त 69550/-

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

41730

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7324

10025

2004-2005 उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री रमा नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-मदन सं ए०ए०-127, मोतीझील कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9099 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष समकक्ष स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7326

7833

98-99

उ०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, फैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बाबू राम वर्मा

सेवानिवृत्त

उपखण्ड
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1705	दिनांक 31-01-02
(ग)	जन्मतिथि		24-07-1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-97
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3188
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24162 दि० 30.04.2017 तक तदुपरान्त 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	148,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	79800
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3188
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	71062 दि० 30.04.2017 तक तदुपरान्त 74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44000
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	14850 दि० 24.07.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लम्बप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7326

7833

98-99

उ०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फैजाबाद

2. श्री बाबू राम वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- म०न०-202, आचार्य नरेन्द्र देवनगर दिया अस्पताल के पीछे, फैजाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फैजाबाद को प्रेषित पत्रांक 9101 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष

भुगतान प्राप्त करें। 15/02/19

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शांति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शांति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7330

7837

1998-1999

उ०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव हरि कौशिक

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	494 दिनांक 29.06.1998	
(ग)	जन्मतिथि		04.10.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उमा कौशिक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	16,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 65550 का	₹	13110/- दि० 04.10.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7330

7837

1998-1999

उ०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2. श्री शिव हरि कौशिक, सेवानिवृत्त, लेखाधिकारी, पत्र सं०-340, कृष्णा नगर, बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार,

बुलन्दशहर

को प्रेषित पत्रांक 9105 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

स० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7336

7553

1996-1997 उ०म०प्र० /

दिनांक-13.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशफाक अहमद खान

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	869 दिनांक 03.12.1999	
(ग)	जन्मतिथि		31.12.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		--
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	17,550
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)		67500/- दि० 30.12.2018 तक
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	67500+13500=81000/- दि० 31.12.2018 से

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7336

7553

1996-1997 उ०म०प्र० /

दिनांक-13.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उप मुख्य लेखाधिकारी, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, के०सा हाउस-14/71, सिविल लाइन, कानपुर।
- श्री अशफाक अहमद खान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-25, एल०आई०जी०, के०डी०ए० कालोनी, जाजमऊ, कानपुर-10।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक 9111 दिनांक-14.02.2019 के सापेक्ष सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7351

7875

98-99

उ०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुमन श्रीवास्तव पत्नी स्व० नारायण प्रकाश सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	528 दिनांक 25.08.1998
(ग) जन्मतिथि	10.02.1940
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुमन श्रीवास्तव
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.11.1948
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.1998/24.11.2001
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पाचवां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	2600-4000/8550-13500/9300-34800 ग्रेड पे 5400/6600
(घ) वेतन	₹ 11,575
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7850
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	9 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 71,300
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 35650
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 21390
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7351

7875

98-99

उ०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती सुमन श्रीवास्तव पत्नी स्व० श्री नारायण प्रकाश, प्रशासनिक अधिकारी पता- गोपाल भवन हाता, कुम्हार वाली गली, राम मंदिर लेन, हुसैनगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9126 दिनांक-18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7353

7884

98-99

उ०म०प्र०/

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, नोएडा गौतमबुद्धनगर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नी स्व० सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	573 दिनांक 07.12.1998
(ग)	जन्मतिथि	30.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीना अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.01.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	27.11.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 48

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका साक्ष्य न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ति होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7353

7884

98-99

उ०म०प्र०/

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।
- श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नी स्व० सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता तृतीय ए 105, रचना वैशाली, गाजियाबाद।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार, नोएडा गौतमबुद्ध को प्रेषित पत्रांक 9128 दिनांक-21.02.2019 के साथे संपर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राफिा भवन, लखनऊ।

मीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7355

7889

1998-1999

उ०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी स्व० राम रिछ
पाल सिंह शर्मा

सेवानिवृत्त

अधीक्षण

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1014 दिनांक 12.05.2000
(ग)	जन्मतिथि	11.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रेमलता शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.07.1944
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1998 / 12.09.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7355

7889

1998-1999

उ०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मेरठ।

2. श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी स्व० राम रिछ पाल सिंह शर्मा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता डी 160, शास्त्री नगर, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मेरठ।

को प्रेषित पत्रांक 9130 दिनांक-19.02.2019 के सापेक्ष सम्पक स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7360

8176

1999-2000 उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

वैयक्तिक

सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिदर्वता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

817 दिनांक 05.10.1999

(ग) जन्मतिथि

01.07.1941

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती संतोष गुप्ता

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

11.07.1948

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.1999

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

10650-15200 / 15600-39100 ग्रेड पे-6600

(घ) वेतन

₹

12,275

(ङ) मूल पेंशन

₹

13606

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

13606

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

8325

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

11 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

76,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

38100

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

38100

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

38100

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

22860

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

7620/- दि० 01.07.2021 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7360

8176

1999-2000 उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री महेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक, पता- बी-1246, इन्दिरानगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9135 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थिति का भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7361

8117

1999-2000 उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहम्मद अहमद

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	745 दिनांक 04.08.1999	
(ग)	जन्मतिथि		03.12.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शहनाज बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.11.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23191
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23191
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		65550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	64432
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	65550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	65550
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7361

8117

1999-2000 उ०म०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री मोहम्मद अहमद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-18 एवं 19, अवध इन्क्लेव, फेज-1, मोहम्मदपुर खत्री, रिंग रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9136 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7362

11838

2009-2010 उ०म०प्र०/

दिनांक-14.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार

सेवानिवृत्त

मुख्य

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

स्तर-2

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4915 दिनांक 28.05.2010
(ग)	जन्मतिथि	14.04.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नीता अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	31.12.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12964
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22896
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12964
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 81136
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7362

11838

2009-2010 उ०म०प्र०/

दिनांक-14.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, पता-चन्द्रलोक कालांनी, अलीगंज, लखनऊ-226024
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9137 दिनांक-15.02.2019 के सापेक्ष समय-सीमा के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7363

8606

2000-2001 उ०म०प्र०/

दिनांक-14.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव नारायण गुप्ता

सेवानिवृत्त

उप

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1270 दिनांक 03.01.2001	
(ग)	जन्मतिथि		03.10.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मिथलेश गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.09.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	18400-22400 ग्रेड पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3966
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23384
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	76413
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	76413
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3966
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72447/- दि०-26.03.2016 तक तदुपरान्त 76413/-
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7363

8606

2000-2001 उ०म०प्र०/

दिनांक-14.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद।

2 श्री शिव नारायण गुप्ता, सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक, पता-3-सी/141 बुद्धिबिहार, आवास विकास कालोनी मझौला मुरादाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

मुरादाबाद।

को प्रेषित पत्रांक 9138 दिनांक-15.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

श्रीमती मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7366

13673

2014-2015 उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश पति यादव

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6714 दिनांक 18.02.2015
(ग)	जन्मतिथि	15.09.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1981
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 72,060
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 36030
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14412
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21618
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	36030/- दि० 14.09.2019 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21618/- तदुपरान्त
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,86,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 93450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 93450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14412
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 79038
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 93450/- दि० 14.09.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56040/- तदुपरान्त
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7366

13673

2014-2015 उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिमरा, वाराणसी।
- श्री कैलाश पति यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम-मिसौडी, पोस्ट-डाण्डी, जनपद-बन्दीली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 9141 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7367

8120

1999-2000 उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
सोनमद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती खुशीदुन निशा पत्नी स्व० मो०
इरफान

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1314 दिनांक 14.02.2001
(ग)	जन्मतिथि	19.10.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती खुशीदुन निशा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	09.05.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1999 / 15.05.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 16,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 11323
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7367

8120

1999-2000 उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, जल विद्युत संयंत्र खण्ड, ओबरा (सोनमद्र)।

2. श्रीमती खुशीदुन निशा पत्नी स्व० मो० इरफान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता: 2 ए-37, ओबरा कालोनी, ओबरा, पनारी, सोनमद्र-231219

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

सोनमद्र

को प्रेषित पत्रांक 9142 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7369

9731

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

उन्नाव।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुरारी लाल

सेवानिवृत्त

सहायक

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3739 दिनांक 15.09.2006	
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रामरती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिगंत तिथि		31.07.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2860
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21435
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2860
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66690/- दि०-15.12.2021 तक तदुपरान्त 69550/-
(फ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7369

9731

2003-2004

उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, उन्नाव।

2. श्री मुरारी लाल, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता ग्राम व पोस्ट, पाटन, जगपद उन्नाव 209506

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

उन्नाव

को प्रेषित पत्रांक 9144 दिनांक-19.02.2019 के साथै सम्मान स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राकिा भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति विद्युत, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7370

9974

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेश चन्द्र गोयल

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2786 दिनांक 24.09.2004
(ग)	जन्मतिथि	09.04.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रेमलता गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.12.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ ₹ 66510 दि० 24.12.2019 तक तदुपरान्त ₹ 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7370

9974

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री सुरेश चन्द्र गोयल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-2, नेहरू नगर, आगरा-282002।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

आगरा।

को प्रेषित पत्रांक 9145 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7371

11766

09-10

उ०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीर बहादुर सक्सेना

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5395	दिनांक	17-08-11
(ग)	जन्मतिथि			07-11-49
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती राजकुमारी सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			18647
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30-11-09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹		60,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		30200
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9498
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20702
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18120

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		155,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		77950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		77950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9498
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹		68452
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		77950 दि० 06.11.16
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		तदुपरान्त 46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7371

11766

09-10

उ०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 उम्मुख्य लेखाधिकारी अंचल लेखा कार्यालय दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, हाइडिल कालोनी, सिविल लाइन्स, जॉर्जी-284001

2 श्री वीर बहादुर सक्सेना, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त पता-51, विष्णु कालोनी, शाहगंज, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक 9146 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

सिविल लाइन्स, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7372

11771

09-10

उ०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमला पत्नी स्व० किशोरी

सेवानिवृत्त

दफ्तरी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4653 दिनांक 12.11.2009
(ग)	जन्मतिथि	23.01.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.04.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	10.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे-4200
(घ)	वेतन	₹ 18,480
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 9240 दि० 10.12.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5544 तदोपरान्त
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 6
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 48,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 24000 दि० 10.12.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 14400 तदोपरान्त
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7372

11771

09-10

उ०प्र० / दिनांक:15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती विमला पत्नी स्व० किशोरी, सेवानिवृत्ति दफ्तरी, पता-58/48, तिलपुरवा, हुसैनगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9147 दिनांक: 16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7374

7841

1998-1999

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री छोटे लाल शाक्य

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	676 दिनांक 05.05.1999	
(ग)	जन्मतिथि		16.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे-8700	
(घ)	वेतन	₹	15,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23050
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	63400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7374

7841

1998-1999

उ०म०प्र० /

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, पनकी पावर हाउस कानपुर।

2. श्री छोटे लाल शाक्य, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-51ए/1-सराई मशबनपुर कल्याणपुर कानपुर नगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

कानपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9149 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थिति को भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

(Signature)

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० कोषाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7375

7839

1998-1999

उ०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुन्ना लाल रावत

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार) 20% 65550 का

अधिवर्षता

519 दिनांक 04.08.1998

15.12.1939

लागू नहीं

अंकित नहीं

31.12.1997

पांचवा वेतनमान

16400 / 20000 / 37400-67000 ग्रेड पे-8900

16,850

24295

पुर्नस्थापित

24295

लागू नहीं

लागू नहीं

66 छमाहियां

13 तालिका नं०

1,31,100

लागू नहीं

65550

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

लागू नहीं

पत्र सं०

7375

7839

1998-1999

उ०प्र०/

दिनांक-15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप-मुख्य लेखाधिकारी, केसको 14/71, सिविल लाइन्स, कानपुर।

2. श्री मुन्ना लाल रावत, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-272, गो० खेलदार, हृदय राय की कोठी, जी०टी० रोड, फतेहपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

कानपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9150 दिनांक-16.02.2019 के सापेक्ष समक स्थिति प्राप्त करे।

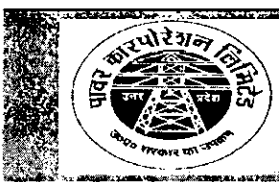
3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7400

7844

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-14.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री/श्रीमती शैलेन्द्र कृष्ण

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	553 दिनांक 10-11-98
(ग)	जन्मतिथि	19-02-47
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधुरिका कृष्णा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25-09-49
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	22-11-96
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26107
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 26107
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 144,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 68823
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7400

7844

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-14.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री शैलेन्द्र कृष्ण, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता- 39 गन रॉक इन्क्लेव, फेज-1 सिकन्दराबाद-500009, (तेलंगाना)

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9211 दिनांक-15.02.2019 के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7404

12537

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक: 16.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र प्रसाद

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5993 दिनांक 23.02.2013
(ग)	जन्मतिथि	11.07.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नूतन श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.11.1955
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-6700 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	36940
(व)	पेंशन का राशिकृत भाग	14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	1,93,800
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	82124
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7404

12537

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक: 16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-1/16, विकास नगर, कुर्सी रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9215 दिनांक 17.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7405

7403

95-96

उ०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमलेश कुमारी पत्नी स्व० सुरेन्द्र सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी
सहाय सक्सेना

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	44 दिनांक 24.02.1996
(ग)	जन्मतिथि	15.10.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमलेश कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.11.1947
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1995/25.11.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750/10650-15200/15600-39100 ग्रेड पे-6600
(घ)	वेतन	₹ 4,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 8891
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 11
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 80,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 40450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एव ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24270
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7405

7403

95-96

उ०प्र० / दिनांक:18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती विमलेश कुमारी पत्नी स्व० सुरेन्द्र सहाय सक्सेना, सेवानिवृत्ति अनुभाग-अधिकारी, पता-ए-1058, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9216 दिनांक: 19.02.2019 के साथ सक्सेना के मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7407

7929

98-99

उ०प्र०/

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती स्नेहलता गोपाल पत्नी स्व० नरेन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

पारिवारिक पेंशनर	
(क) पेंशन का प्रकार	1231 दिनांक 29.11.2000
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	15.09.1940
(ग) जन्मतिथि	श्रीमती स्नेहलता गोपाल
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	10.07.1946
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.09.1998 / 15.07.2011
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	पांचवां वेतनमान
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18,900
(घ) वेतन	लागू नहीं
(ङ) मूल पेंशन	लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	16410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख) निर्धारित वेतन	1,44,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	72100
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(च) राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	43260
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7407 7929 98-99 उ०प्र०/ दिनांक:20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्रीमती स्नेहलता गोपाल पत्नी स्व० नरेन्द्र गोपाल, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-डी 58/7-5 सिंगरा, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक 9218 दिनांक: 21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
सहायक निरीक्षक
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7409

10871

06-07

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, बुलन्दशहर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राज कुमार गुप्ता

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

अधिवर्षता	
(क) पेंशन का प्रकार	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	3681 दिनांक 03.08.2006
(ग) जन्मतिथि	01.01.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.10.1955
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000/8700
(घ) वेतन	₹ 17,500
(ङ) मूल पेंशन	₹ 23050
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3965
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19085
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 12
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,34,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67250
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67250
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ 3965
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 63285
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40350
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7409

10871

06-07

उ०म०प्र० / दिनांक:20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अमियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2 श्री राज कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्ति लेखाकार, पता-313 देवीपुरा-द्वितीय साकेत गली, बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बुलन्दशहर। को प्रेषित पत्रांक 9220 दिनांक: 21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांसी अमियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7410

7301

94-95

उ०प्र०/

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती इन्द्रा बुटान पत्नी स्व० दयानंद बुटान

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9874 दिनांक 06.05.1995
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती इन्द्रा बुटान
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.03.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	22.01.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/10000
(घ)	वेतन	₹ 7,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7410

7301

94-95

उ०प्र०/ दिनांक:20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर गाजियाबाद।

2. श्रीमती इन्द्रा बुटान पत्नी स्व० दयानंद बुटान, सेवानिवृत्ति मुख्य अभियन्ता, पता-2/सी नेहरू नगर- गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक 9221 दिनांक: 21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7411

8150

99-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम कुमार त्यागी

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

(ग) जन्मतिथि

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

(घ) वेतन

(ङ) मूल पेंशन

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

(ङ) राशिकृत पेंशन

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7411

8150

99-2000

उ०म०प्र० / दिनांक:20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिरासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री राम कुमार त्यागी, सेवानिवृत्ति अधिरासी अभियन्ता, पता-शिवपुरी गली नं० 8, मोदी नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गाजियाबाद।

को प्रेषित पत्रांक 9222 दिनांक: 21.02.2019 के सापेक्ष समर्थ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मन
लेखा
उ०प्र०
शक्ति

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7412

9385

02-03

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती साधना श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रकाश सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता श्रीवास्तव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2218 दिनांक 03.05.2003
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती साधना श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.02.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	30.08.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचावा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-2000/37400-67000/8900
(घ)	वेतन	₹ 19,550
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13256
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7412

9385

02-03

उ०म०प्र० / दिनांक:20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल वाराणसी।

✓ 2 श्रीमती साधना श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रकाश श्रीवास्तव, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-40 काशी इन्कलेव अकथा, पहड़िया, वाराणसी, सारनाथ उत्तर प्रदेश-221007।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक 9223 दिनांक: 21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7413

7291

94-95

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती आशा सहगल पत्नी स्व० एस. एल. सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9828 दिनांक 01.03.1995
(ग)	जन्मतिथि	अंकित नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा सहगल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.04.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1993
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	3400-4750 / 15600-39100 / 6600
(घ)	वेतन	₹ 4,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5466
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 58

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 11
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 85,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2010 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2010 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25740
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7413

7291

94-95

उ०म०प्र० / दिनांक:20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर अलीगढ़।
- श्रीमती आशा सहगल पत्नी स्व० एस. एल. सहगल सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-19/190 सेक्टर नं०-4 महेन्द्र नगर अलीगढ़।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक 8224 दिनांक 21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लेखनक।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7414

6563

90-91

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद शंकर पांडया

सेवानिवृत्त

वैयक्तिक सहायक
(एम)

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8635 दिनांक 24.10.1991
(ग)	जन्मतिथि	22.08.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती वीनू पांडया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	25.12.1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2600-4000 / 15600-39100 / 5400
(घ)	वेतन	₹ 2,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 9673
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9673
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4009
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 10
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 56,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 28050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 28050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 28050
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 16830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.2016 से दि० 31.07.2017 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹० 5810/ दि० 01.08.2017 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त ₹० 8415

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7414

6563

90-91

उ०म०प्र० / दिनांक:20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

2. श्री विनोद पांडया, सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक (एम), पता-04 नैरव नगर, हटवाडा मार्ग ई एस आई अस्पताल सोडाला जयपुर,आर एस, राजस्थान-302006।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा। को प्रेषित पत्रांक 9225 दिनांक: 21.02.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

भने मेहरोत्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
पा० व
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7415

8018

1998-1999 उ०म०प्र०/

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेन्द्र देव शर्मा

सेवानिवृत्त

अधीक्षण

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1035 दिनांक 06.06.2000	
(ग)	जन्मतिथि		11.02.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमन शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.11.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000	
(घ)	वेतन	₹	20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7415

8018

1998-1999 उ०म०प्र०/

दिनांक-20.02.2019

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री महेन्द्र देव शर्मा, सेवानिवृत्ता अधीक्षण अभियन्ता, पता-9/919, वसुन्धरा गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार,

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक 9228 दिनांक-21.02.2019 के साथ संलग्न किया जा रहा है।
भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० वितरण निगम लि० (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7416

9294

2011-2012 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मो० अहमद

सेवानिवृत्त

उप सचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1951 दिनांक 26.08.2002	
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3556
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20739/- दि० 30.10.2017
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3556
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	₹	65994
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7416

9294

2002-2003 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिरासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2 श्री मो० अहमद, सेवानिवृत्ता उप सचिव, पता-3/356, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ। लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9227 दिनांक-22.02.2018 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7417

8032

2011-2012 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री पन्चू सिंह

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	875 दिनांक 08.12.1999	
(ग)	जन्मतिथि		30.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शारदा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 ग्रेड-पे-8700	
(घ)	वेतन	₹	15,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹	20955
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20955
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	60 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	61550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7417

8032

1998-1999 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 पेंशन वितरण अधिकारी एवम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

2 श्री पन्चू सिंह, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-3/40-बी-14, नवलपुर बसही, तरना, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 9228 दिनांक-22.02.2019 के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7418

12911

2011-2012 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
इलाहाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री त्रिलोक नाथ सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5839 दिनांक 27.09.2012

(ग) जन्मतिथि

08.07.1952

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती सरोज सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

10.10.1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2012

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड-पे-8900

(घ) वेतन

₹

65,960

(ङ) मूल पेंशन

₹

32980

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

13192

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

19788

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

32980/- दि० 07.07.2019 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19788

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,71,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

85550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

-

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

85550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

13192

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

72358

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

51330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7418

12911

2012-2013 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, 57-जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

2 श्री त्रिलोक नाथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-254-सी तिलक नगर, पुरा दलेल, अल्लापुर, इलाहाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

इलाहाबाद

को प्रेषित पत्रांक 9229 दिनांक-22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लेखनक।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7419

8340

2011-2012 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती माधुरी यादव पत्नी स्व० जगदीश कुमार

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1229 दिनांक 28.11.2000
(ग)	जन्मतिथि	05.11.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माधुरी यादव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.04.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2000/08.09.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	55 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ -
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7419

8340

1999-2000 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- श्रीमती माधुरी यादव पत्नी स्व० जगदीश कुमार, सेवानिवृत्ता महाप्रबन्धक, पता-एल-2/42, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9230 दिनांक-22.02.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें। 21/02/19

3

अधिकांसी अभियन्ता, देबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर का लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1422

7843

98-99

उ०प्र० /

दिनांक-14.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, हापुड़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ऊषा गुप्ता पत्नी स्व० जय प्रकाश सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशनर का प्रकार	पारिवारिक
(ख) पेंशनर का क्रमांक	488 दिनांक 20.06.1998
(ग) जन्मतिथि	10.10.1948
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ऊषा गुप्ता
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.01.1953
2 (क) सेवानिवृत्त/देवगत तिथि	12.01.1998
(ख) पेंशनर का वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) पेंशनर का वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ) देयक	₹ 19,400
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का रशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) रशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ञ) पेंशन में कोई अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 47

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पेंशनर का प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दिनांक 30.06.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72100
(ख) पेंशनर का अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित वेतन	₹ लागू नहीं
(ग) पेंशनर का वेतन दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के अनुसार पेंशन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) आदेश सं०-777 के तहत से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (रशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) रशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) रशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन यदि रशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढी दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260 लागू नहीं
(झ) पेंशनर का वेतन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त दिनांक 01.01.2018 से अंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1422

7843

98-99

उ०प्र० / दिनांक:14.02.2019

कोषागार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- कोषागार को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- श्रीमती ऊषा गुप्ता पत्नी स्व० श्री जय प्रकाश, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-336, गीतामार्ग, श्रीनगर, हापुड़ (गाजियाबाद)।

कोषागार से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श हापुड़ को प्रेषित पत्रांक 9232 दिनांक 15.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7426

7976

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-16.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कृष्णा जैन पत्नी स्व० रवीन्द्र कुमार सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	634 दिनांक 12.03.1999
(ग) जन्मतिथि	10.02.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कृष्णा जैन
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.04.1940
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.1999/26.10.2011
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ) वेतन	₹ 21,900
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(व) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,57,600
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78800
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 47280
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7426

7976

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिघमौचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2 श्रीमती कृष्णा जैन पत्नी स्व० रवीन्द्र कुमार जैन, सेवानिवृत्ति मुख्य अभियन्ता, पता-43, प्रोफेसर कालोनी, बेरीवल रोड, ए-ब्लाक, लुधियाना।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर। को प्रेषित पत्रांक 9236 दिनांक: 17.02.2019 के सापेक्ष संपादन कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

बिमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7429

7981

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री संतोष कुमार शुक्ला

सेवानिवृत्त

सदस्य (पारेषण)

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	612	दिनांक 17.02.1999
(ग) जन्मतिथि		01.01.1941
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुषमा शुक्ला
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.001.1947
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1998
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		21350-23975/63000-78000
(घ) वेतन	₹	23,450
(ङ) मूल पेंशन	₹	33500
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	33500
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	7035
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		शासन की तालिका नं० 53
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,87,700
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	93850
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	93850
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	93850
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	56310
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7429

7981

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री संतोष कुमार शुक्ला, सेवानिवृत्ति सदस्य पारेषण, पता-बी-31 सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9239 दिनांक: 21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7431

7960

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हामिद अली काजी

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	700 दिनांक 10.06.1999
(ग)	जन्मतिथि	15.03.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कैसर अंजुम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21.03.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7431

7960

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री हामिद अली काजी सेवानिवृत्ति अधिशाली अभियन्ता पता-एम-53 संजय गोंधी पुरम, फैजाबाद रोड, लखनऊ-16

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9241 दिनांक: 19.02.2019 के साथै समर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7434

7973

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-17.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती धर्मवती देवी पत्नी स्व० महेन्द्र पाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

802

दिनांक

09.09.1999

(ग) जन्मतिथि

01.01.1941

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती धर्मवती देवी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.07.1941

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.12.1998/29.06.2004

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पॉचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900

(घ) वेतन

₹

18,650

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14,730

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,35,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

67,500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

40,500

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7434

7973

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-17.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2. श्रीमती धर्मवती देवी पत्नी स्व० महेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता पता- म०नं०-1752, निकट एल०पी०एस० स्कूल, नवीन नगर, सहारनपुर-247001।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

सहारापुर

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र० कारपोरेशन लि०, शांति गवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विद्युत नगरीय परीक्षण

उ०म०प्र० कारपोरेशन लि०, शांति गवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7436 7940 98-99 उ०म०प्र०/ दिनांक-15.02.2019
कोषाधिकारी,
कोषागार, गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विजया गोयल पत्नी स्व० आसेराम सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	973 दिनांक 31.03.2000
(ग)	जन्मतिथि	31.03.2000
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विजया गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.03.1940
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1998/12.12.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 60

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7436 7940 98-99 उ०म०प्र०/ दिनांक:15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम परधिमार्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्रीमती विजय गोयल पत्नी स्व० आसेराम गोयल, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-एस० बी० 23 शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक 9246 दिनांक: 16.02.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7439

7912

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुमाष चन्द्र

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	643 दिनांक 23.03.1999
(ग)	जन्मतिथि	18.12.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रतनेश शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.08.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 17,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23050
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 12
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 67250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7439

7912

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिरासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री सुमाष चन्द्र, सेवानिवृत्ति अधिरासी अभियन्ता, पता-507 एफ० एफ० कनिस्का रेजीडेंसी, अशोक इन्क्लेव तृतीय सेक्टर-35, फरीदाबाद हरियाणा-121003।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 9249 दिनांक: 19.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7440

7908

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बलवीर सहाय

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	561 दिनांक 16.11.1998
(ग)	जन्मतिथि	02.10.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा सहाय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.05.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 26500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ रु० 14850 दि० 01.10.2019 से लागू

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7440

7908

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिरासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री बलवीर सहाय, सेवानिवृत्ति अधिरासी अभियन्ता पता-49, माडल हाउस, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9250 दिनांक: 19.02.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7441

11772

09-10

उ०म०प्र० /

दिनांक: 16.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री तेज बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4670 दिनांक 18.11.2009
(ग)	जन्मतिथि	25.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-6700 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	80650
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	10022
(ङ)	राशिकृत पेंशन	70628
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7441

11772

09-10

उ०म०प्र० /

दिनांक: 16.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।
- श्री तेज बहादुर सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्ति पता- म०न०-132 उत्सव पार्ट-2 महानगर पीलीभीत बाई पास रोड, बरेली।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार, बरेली को प्रेषित पत्रांक 9251 दिनांक 17.02.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 7443 11760 2009-2010 उ०म०प्र०/ दिनांक: 15.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4802 दिनांक 09.03.2010	
(ग)	जन्मतिथि		01.12.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मंजू श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.05.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-6700 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	?	59,480
(ङ)	मूल पेंशन	?	29740
(घ)	पेंशन का राशिकृत भाग	?	10898
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	?	18842
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	?	17844
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	?	1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	?	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	?	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	?	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	?	76500
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	?	10898
(ङ)	राशिकृत पेंशन	?	65602
(घ)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	?	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	?	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	?	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	?	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7443 11760 2009-2010 उ०म०प्र०/ दिनांक: 15.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।
- श्री राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता- 73-ए 'ई' ब्लाक, स्टेशन रोड-पनकी, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, कानपुर को प्रेषित पत्रांक 9253 दिनांक 16.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7445

12784

2011-2012 उपग्रो /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रघुनन्दन प्रसाद यादव

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिदरिद्रता

(ख) पीपीओ संख्या

5709 दिनांक 07.06.2012

(ग) जन्मतिथि

01.01.1952

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती उर्मिला यादव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.07.1955

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.12.2011

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

₹

65,960

(ङ) मूल पेंशन

₹

32980

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

13192

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

19788

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

32980/- दि० 31.12.2016

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19788/- तदुपरांत

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,71,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

85550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

85550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

13192

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जायें

₹

72358

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

51330

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7445

12784

2011-2012 उपग्रो /

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी।

2. श्री रघुनन्दन प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता: सिद्धार्थपुरम कालोनी (कलश मण्डल के पीछे), भुगतनसराय, चंदौली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 9255 दिनांक-21.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपाकरणकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

20/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

वाराणसी



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7446

11164

2006-2007 उपग्रो/

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जय शंकर उपाध्याय

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	3886 दिनांक 23.12.2006	
(ग)	जन्मतिथि		10.10.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती फूलमती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		31.07.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	56,870
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7402
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21033
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7402
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	66398
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7446

11164

2006-2007 उपग्रो/

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- पेंशन वितरण अधिकारी एवम् अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।
- श्री जय शंकर उपाध्याय, सेवानिवृत्ता सहायक अभियन्ता, पता-बी-36/43 एफ-2, कैवल्याम, दुर्गाकुन्द, वाराणसी।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार, वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 9256 दिनांक-21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावकाओलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र०

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7447

11166

2006-2007 उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अजीत कुमार कर

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3870 दिनांक 15.12.2006
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बन्धना कर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.11.1956
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 56,870
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 28435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 7402
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21033
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 7402
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 66398
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7447

11166

2006-2007 उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

2. श्री अजीत कुमार कर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 20/3, कबीर नगर, दुर्गाकुण्ड, पत्रालय, बी०एच०यू०, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार,

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 9257 दिनांक-21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

1448

12406

2011-2012 उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन का आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बी.के. लाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशनर का नाम

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०आर० संख्या

5289 दिनांक 26.05.2011

(ग) जन्मतिथि

14.01.1951

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती निर्मला सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

03.09.1954

2. (क) सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त तिथि

31.01.2011

(ख) तत्कालीन वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

64,030

(ङ) मूल पेंशन

32015

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

12806

(छ) राशिकृत भाग उपरान्त छटी पेंशन

19209

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

19209

(ण) पेंशन योग्य कार्यकारी सेवा

40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे मैट्रिक्स का नंबर तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,66,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

लागू नहीं

01.01.2018 को संशोधित पेंशन

(क) मूल वेतन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

83050

(ख) वेतन का कार्यकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स

लागू नहीं

के अनुसार वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त वेतन में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल

लागू नहीं

(घ) वेतन

लागू नहीं

(ङ) दिनांक 01.01.2018 के निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

83050

(च) राशिकृत भाग

12806

(छ) राशिकृत भाग उपरान्त छटी पेंशन

70244

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

49830

(ण) वेतन

लागू नहीं

(त) वेतन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन का आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिंदु (क) में अंगीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 के दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में प्रस्ताव से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1448

12406

2011-2012 उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

पेंशन/पारिवारिक पेंशन को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कोषाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी।

2. श्री बी.के. लाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता खुशहाल नगर, सेक्टर बी, सारनाथ लमही, वाराणसी।

कोषागार से प्रेषित कि वह

कोषागार,

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 9258 दिनांक-21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र०

कोषाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

संशोधित वेतन

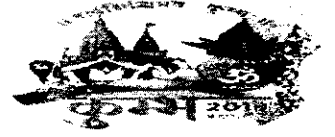


उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7449

11154

2006-2007 उ०म०प्र०/

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृजेन्द्र खन्ना

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3852 दिनांक 30.11.2006	
(ग)	जन्मतिथि		15.08.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती क्षमा खन्ना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.11.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/देतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	56,870
(ङ)	मूल पेंशन	₹	28435
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21249
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17061
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 के संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	73800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	73800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66614
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (ख)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7449

11154

2006-2007 उ०म०प्र०/

दिनांक-21.02.2019

प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन निरीक्षण अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

2. श्री बृजेन्द्र खन्ना, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-35, मानस नगर कालोनी, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी-221005

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार,

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 9259 दिनांक-22.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

20/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० सरकार का उपक्रम
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7450

11247

2007-2008 उ०म०प्र०/

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम प्रसाद

सेवानिवृत्त

अनुसेवक/ज

मादार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3976 दिनांक 13.04.2007

(ग) जन्मतिथि

24.03.1947

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती पार्वती

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.03.2007

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

9300-34800 ग्रेड पे-4200

(घ) वेतन

₹

17,360

(ङ) मूल पेंशन

₹

8680

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

2874

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

5806

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

5208

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क) पे मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

06 बी० तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

45,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

-

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

22600

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (सशिकरण से पूर्वी)

₹

22600

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

2874

(च) सशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि सशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

19726

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

13560

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7450

11247

2007-2008 उ०म०प्र०/

दिनांक-21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2 श्री राम प्रसाद, सेवानिवृत्त, जमादार, पता 1/94, इन्दूलोक हाइडिल कालोनी, कृष्णनगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9260 दिनांक-22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

20/2/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7451

13038

2012-2013 उपग्रो/

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	6081 दिनांक 23.05.2013
(ग)	जन्मतिथि	12.10.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उर्मिला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.10.1957
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 62,790
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31395
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12558
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18837
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 31395/- दि० 11.10.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18837/- तदुपरान्त
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12558
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70492
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050/- दि० 11.10.2019 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830/- तदुपरान्त
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7451

13038

2012-2013 उपग्रो/

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवम् अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

2. श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी, सेवानिवृत्ता सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम-निमाईच, पो-देवचन्दपुर (बड़ागाँव), जिला-वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार,

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 9261 दिनांक-21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपाकरणलि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

वाराणसी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7452

7939

1998-1999 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गयासउददीन अहमद

सेवानिवृत्त

अनुसचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	620 दिनांक 26.02.1999	
(ग)	जन्मतिथि		02.06.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	67500
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7452

7939

1998-1999 उ०म०प्र० /

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री गयासउददीन अहमद, सेवानिवृत्ता अनुसचिव, पता 207/44, चौधरी गढ़िया, (हेल्थ स्कवायर), पी०ओ०, चौक, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ। लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9262 दिनांक-19.02.2019 के संपन्न संचयन स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7460

7934

1998-1999 उ०प्र०/

दिनांक-18.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कुँवर वीरेन्द्र पाल सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य

अभियन्ता

स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	580 दिनांक 28.12.1998	
(ग)	जन्मतिथि		10.10.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पूर्णिमा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.09.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड-पे (10000)	
(घ)	वेतन	₹	20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	26500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7460

7934

1998-1999 उ०प्र०/

दिनांक-18.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2. श्री कुँवर वीरेन्द्र पाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-2/90, विकास नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9270 दिनांक-19.02.2019 के साथ ही स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

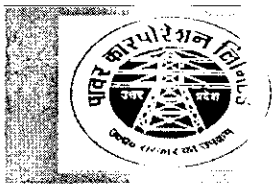
अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0

9427

2002-2003

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/02/19

कोषाधिकारी, कोषागार

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री धर्मेश्वर नाथ

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	2201	दिनांक 09.04.2003
(ग)	जन्मतिथि		01.05.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमति गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		17.12.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ड पे)		18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4126
(छ)	राशिकरण के उपरान्त धटी पेंशन	₹	22374
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी का नाम		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं0	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी का वेतन कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त (क) एवं (ग) में से अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4126
(च)	राशिकरण के बाद धटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹0 77024/-दि0 07.07.18 तक तदुपरान्त ₹0 81150/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-13 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (1)(अ)/(ब) में अंगीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

7510

9427

2002-2003

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूचना सं0-13 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (1)(अ)/(ब) में अंगीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा।
- श्री धर्मेश्वर नाथ, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पत्रा-फैकल्टी रेजीडेन्स, ए0बी0ई0ए0 इन्जीनियरिंग कालेज, एन0एच0-24 दिल्ली हापुड़ बाईपास रोड, गाजियाबाद-201009, को इस आदेश से प्रेरित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूचना सं0-13 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (1)(अ)/(ब) में अंगीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10766

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 18/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिव कृष्ण दास

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3448 दिनांक 25.02.2006
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कुसुम गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	14.07.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 8700
(घ)	वेतन	₹ 18,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23,050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 4,140
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18,910
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	अंकित नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13,830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67,250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 4,140
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 63,110
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40,350
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ -

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7518

10766

05-06

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

2. श्री शिव कृष्ण दास, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता ए-1, इन्द्रपुरी न्यू आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०)

Umpo Power Corporation Limited
(A Public Limited Company)

REGD. NO. 1989/1990/उमप्रो/लेखा/पेंशन



पत्र सं०

6372

1989-1990

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुप्ति बोस पत्नी स्व० चितरंजन बोस

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	997 दिनांक 02.05.2000
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुप्ति बोस
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.01.1933
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1989 / 29.04.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5900-7100 / 37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 6,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 सं दि० 31.12.18 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त ₹० 8652/-दि० 01.01.18 से 30 प्रतिशत अति ₹० 12978/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7532

6372

1989-1990

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2. श्रीमती सुप्ति बोस पत्नी स्व० चितरंजन बोस, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-बी-7 प्रिया अपार्टमेंट, डी ब्लॉक, विकास पुरी, नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली-110018

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8438

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

21-02-19

कोषाधिकारी, कोषाधिकारी,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री धन प्रकाश गर्ग

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	1365	दिनांक 16.03.2001
(ग)	जन्मतिथि		14.06.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/पेंशन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का संशोधित भाग	₹	3014
(छ)	राशिकरण उपरान्त घटी पेंशन	₹	₹ 21281/-दि० 15.06.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अधिकारी सेवा	66	छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक क्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.06.18 के अनुसार)	13	तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु कार्यकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित वेतन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त वेतन में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	67500
(ङ)	राशिकृत वेतन	₹	3014
(च)	राशिकरण उपरान्त घटी पेंशन यदि राशिकरण मांग पुनर्स्थापित न हुआ है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 64486/-दि० 15.06.16 तक तदुपरान्त ₹ 67500/-
(च)	पारिवारिक पेंशन (वृद्धि हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7574

8438

2000-2001

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निवेदन के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री धन प्रकाश गर्ग, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-के०डी०-114 कवि नगर, गाजियाबाद।

को इस प्रेषित से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समर्पक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

आसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9297

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सोशन लता जैन पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2172 दिनांक 10.03.2003
(ग)	जन्मतिथि	05.10.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सोशन लता जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.02.1943
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.2002/29.09.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/पेंशन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिंकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त संशोधन में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	लागू नहीं
(ङ)	राशिंकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ), (ङ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7575

9297

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसारी उच्चतम, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2 श्रीमती सोशन लता जैन पत्नी स्व० सुरेश चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-353/3, शास्त्री नगर, मेरठ।

को इस पत्र को प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित करें।

भुगतान प्राप्त करें।

3

उ०म०प्र० अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०/लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० म० प्र०
कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(U.P. Power Corporation Limited)

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN/132701UP109956C024928



पत्र सं०

6019

1986-1987

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श, कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बनारसी लाल कोहली

सेवानिवृत्त

वैयक्तिक सहायक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9967	दिनांक 11.09.1995
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1928
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1985
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹	2,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	10500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	59,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	29750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	29750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज़ान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	30 प्रतिशत दि० 01.01.16 से दि० 30.12.18 तक ₹० 8925/- तदुपरान्त दि० 01.01.19 से ₹० 11900/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7576

6019

1986-1987

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री बनारसी लाल कोहली, सेवानिवृत्त वैयक्तिक सहायक, पता-90/2, चन्दन नगर, आलमबाग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समकक्ष प्रेषित करें

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

गीता मिश्रा

लेखाधिकारी (पेंशन)

सं० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Undertaking

PENSION C/N: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12043

10-11

उ०प्र०/

दिनांक- 21-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मदन लाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4926	दिनांक 05.06.2010
(ग)	जन्मतिथि		15-03-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुलोचना कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02-10-1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-03-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		मन्व्य वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7577

12043

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्री मदन लाल, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता जी-420 पी०पी०सी० गेट के सामने, गोविन्द पुरम, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर अनुमति प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० साकार का संप्रक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

Public Enterprise Undertaking

पेंशन PENSION (12/2010) 1999SGC02492B



पत्र सं०

6677

1991-1992

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

सहारनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सेवक सिंह भाटिया

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1137 दिनांक 08.09.2000
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1934
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मोहिन्दपुर कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.12.1939
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1992
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	5900-7100/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 7,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32820
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 32820
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	61 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72100
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7578

6677

1991-1992

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड-प्रथम, परिचर्मांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2 श्री सेवक सिंह भाटिया, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता- 230 ए०एस०, माडल टाउन एक्टेशन, लुधियाना-141002,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

MRV...
18/2/18
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० प्रावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(A Government Undertaking)

पंशन PENSION CIN:U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11398

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिवशंकर पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4437	दिनांक 08.05.2009
(ग)	जन्मतिथि		03.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लालमनी पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.09.1953
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7579

11398

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्री शिवशंकर पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- ग्राम-पलकहा, डा० धौरहरा वाया चौबेपुर, जिला-वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राकित भवन, लखनऊ।

महेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
18/2/18
पति



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-11322010P1999SGC024928



पत्र सं०

10986

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रकाश चन्द्र जोशी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3664	दिनांक 24.07.2006
(ग)	जन्मतिथि		05.04.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रेनू जोशी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.03.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4560
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23045
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4560
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	67090
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7580

10986

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-11/304, मलहार, सहारा स्टेट जानकीपुरम, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्राक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

18/2/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12401

10-11

उ०म०प्र० /

दिनांक- 21-02-19

कोषाधिकारी,

मिर्जापुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जग नारायण मिश्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5256	दिनांक 27.04.2011
(ग)	जन्मतिथि		01-01-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती दुर्गा मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23-02-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244 दि० 27.07.26 तक तदुपरान्त 83050
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7582

12401

10-11

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, मिर्जापुर

2. श्री जगनारायण मिश्रा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ग०नं० 1228/44, राजा विजयपुर की कोठी, वार्ड नं० 9, सिविल लाइन्स, मिर्जापुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मिर्जापुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN. U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12323

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उमाकान्त तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5156	दिनांक	07.02.2011
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती सुलेखा तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			14.07.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹		62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹		31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		18648
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		68218
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7582

12323

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री उमाकान्त तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-609 एल्लिको कालोनी उदयन-2, रायबरेली रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
रायबरेली रोड, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

REGISTRATION NO. 132201UP1999SR024928



पत्र सं०

12329

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

रायबरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अजुर्न सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6110	दिनांक 19.06.2013
(ग)	जन्मतिथि		21.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निर्मला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.12.1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	64.030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31015
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7584

12329

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, रायबरेली।

2/ श्री अजुर्न सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-427/30, अमर नगर, रायबरेली,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार रायबरेली को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समर्थित/प्रमाणित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10787

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बृज मोहन मिश्र

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3542	दिनांक	38824
(ग)	जन्मतिथि			22.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती बाला मिश्र
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			15.05.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹		31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		9871
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		21984
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		59 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		74734
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹		74734
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		9871
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		64863
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7585

10787

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री बृज मोहन मिश्र, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-304 ओरिड एन्डिओ, पार्क न्यू एपार्टमेंट्स, सीतापुर रोड, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक

भुगतान प्राप्त करे।

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करे।

भुगतान प्राप्त करे।

भुगतान प्राप्त करे।

भुगतान प्राप्त करे।

भुगतान प्राप्त करे।

भुगतान प्राप्त करे।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7923

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेशन

दिनांक

21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र मेहरोत्रा

सेवानिवृत्त

अधीक्षण
अभियन्ता

का पेशन/पारिवारिक पेशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेशन/पारिवारिक पेशन का वितरण

(क)	पेशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	852	दिनांक 15.11.1999
(ग)	जन्मतिथि		18.12.1940
(घ)	पारिवारिक पेशन का नाम		श्रीमती उर्मिला मेहरोत्रा
(ङ)	पारिवारिक पेशन की जन्मतिथि		02.09.1938
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	20,400
(ङ)	भूल पेशन	₹	27350
(च)	पेशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेशन		
(क)	मूल पेशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74250
(छ)	पारिवारिक पेशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेशन/पारिवारिक पेशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेशन/पारिवारिक पेशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेशन/पारिवारिक पेशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेशन)

पत्र सं०

7586

7923

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेशन

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

उप मुख्य लेखाधिकारी, के०को, 14/71 सिविल लाइन, कानपुर।

श्री वीरेन्द्र मेहरोत्रा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-16/107, सिविल लाइन, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष समयक स्थिति पर

भुगतान प्राप्त करें।

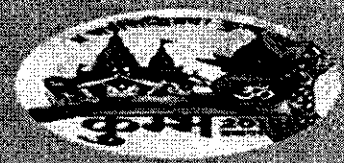
लेखाधिकारी (पेशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U37201UP1999SCC024928



पत्र सं० 12848 2012-2013 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुनील कुमार गर्ग सेवानिवृत्त निदेशक (वर्क्स एण्ड प्रोजेक्ट) का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5706 दिनांक 05.06.2012
(ग)	जन्मतिथि	18.04.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,98,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 84130
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7587 12848 2012-2013 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री सुनील कुमार गर्ग, सेवानिवृत्त निदेशक (वर्क्स एण्ड प्रोजेक्ट), पता-ए-1547, इन्दिरा नगर, मीना मार्केट के पास, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13215

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनय कुमार सक्सेना

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6165	दिनांक 03.08.2013
(ग)	जन्मतिथि		02.04.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आशा सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.04.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	59,490
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29745
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11898
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	17847
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 29745/-दि० 01.04.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17847
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11898
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66402
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 78300/-दि० 01.04.2020 तक तदुपरान्त
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7582

13215

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री विनय कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी-89, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०म०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०म०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(UP Power Corporation Limited)

PENSION DIN 113201UPR999566024928



पत्र सं०

11541

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामायण धर दुबे

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4449	दिनांक 26.05.2009
(ग)	जन्मतिथि		29.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती गायत्री दुबे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.04.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.01.2009 ✓
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9730
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20440
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9730
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	68570
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7589

11541

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण समूह-प्रथम, पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2. श्री रामायण धर दुबे, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-455, शिवाजी नगर कालोनी, पोस्ट शिवपुरी नई कालोनी, आजाद चौक रूस्तमपुर, गोरखपुर।

को इस प्रमाण से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(U.P. Power Corporation Limited)

(U.P. Government Enterprise)

REGISTRATION NO. 09/2010/P-1998/5000/24928



पत्र सं०

9701

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सोनिया भाटिया पत्नी स्व० सुशील कुमार भाटिया सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2385 दिनांक 19.10.2003
(ग)	जन्मतिथि	02.10.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सोनिया भाटिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.02.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	06.08.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(व)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13560
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7590

9701

2003-2004

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती सोनिया भाटिया पत्नी स्व० सुशील कुमार भाटिया, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-2/227, विकास नगर, गोमती नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Under Government Ownership)

पेंशन PENSION CIN-UP2201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9892

03-04

उ०म०प्र०/

दिनांक- 21-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवी सिंह

सेवानिवृत्त

दफादार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2555	दिनांक 16.03.2004
(ग)	जन्मतिथि		18-12-43
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-03
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	6,800
(ङ)	मूल पेंशन	₹	7670
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	1258
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6412
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	43,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	21950
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	21950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	21950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	1258
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	20692
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7591

9892

03-04

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री देवी सिंह, दफादार सेवानिवृत्त पता 538क/582 त्रिवेणी नगर-तृतीय, नियर वाटर टैंक गोपाल ट्रेडर्स, सीतापुर रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10167

04-05

उ०प्र०/

दिनांक- 21-2-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमा एलहेन्स पत्नी स्व० वीरेन्द्र कुमार एलहेन्स सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2861 दिनांक 30.10.2004
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमा एलहेन्स
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	19.06.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पॉचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	-
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7592

10167

04-05

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ
- श्रीमती प्रमा एलहेन्स पत्नी स्व० वीरेन्द्र कुमार एलहेन्स, सहायक लेखाधिकारी (दिवंगत), पता 77ए-78, सोमदत्त विहार, निकट जागृति विहार, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पत्ति का भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, देवसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

निमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
प्रतिष्ठित भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/N 132201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10789

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3637 दिनांक	5.7.06 -389031
(ग)	जन्मतिथि		31.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उर्मिला अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	64464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7593

10789

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।
- श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-संत ब्रजमोहन अग्रवाल, अध्यात्मिक निकेतन, अनंगपुर, फरीदाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

को सापेक्ष भुम्पक स्थापित कर
भुगतान प्राप्त करें।
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10993

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती आशारानी दर्मा पत्नी स्व० राजाराम दर्मा

सेवानिवृत्त

उप महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3784 दिनांक 11.10.2006
(ग)	जन्मतिथि	24.04.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशारानी वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.10.1945
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2001/22.04.2007
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 21,350
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14476
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,47,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7594

10993

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्रीमती आशारानी दर्मा पत्नी स्व० राजाराम दर्मा, सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक पता-19 दीनदयाल नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: B32201UP1999SC0024928



पत्र सं०

6266

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

21-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती खुशीदा मोईन पत्नी स्व० मोईनुद्दीन

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

9441

दिनांक

12-10-1993 34254

(ग) जन्मतिथि

श्रीमती खुशीदा मोईन

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

17.02.1946

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.12.1988/27.02.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

चौथा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

5900-7100/37400-67000 (10000)

(घ) वेतन

₹

6,900

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

16410

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका सं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,44,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

लागू नहीं

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

43260

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7595

6266

1988-1989

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती खुशीदा मोईन पत्नी स्व० मोईनुद्दीन, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-बी-1/49, सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

म. र. व. म. म.

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12835

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती आशा कुमारी पत्नी स्व० लाल बहादुर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6746 दिनांक 30.03.2015
(ग)	जन्मतिथि	31.10.1968
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आशा कुमारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.07.1975
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	09.02.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 54,420
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	27210
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16326
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 71650/- दि० 09.02.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7596

12835

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्रीमती आशा कुमारी पत्नी स्व० लाल बहादुर, सहायक अभियन्ता, पता:- ग्राम अमिता (बुद्धि का पुरा), घोसी, मऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी। को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

पुनरीक्षण/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।



पत्र सं०

12635

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 21-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 3303 दि० 13.10.18 को निरस्त करते हुए निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5515	दिनांक 05.12.2011
(ग)	जन्मतिथि		10-07-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आमा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		21-07-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23274
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22830

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	199,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	99800
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	85024
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7597

12635

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, आगरा

2 श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल, महाप्रबन्धक सेवानिवृत्त पता 53 भावना स्टेट, कामायनी हास्पिटल के सामने, आगरा-मथुरा बाईपास रोड, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



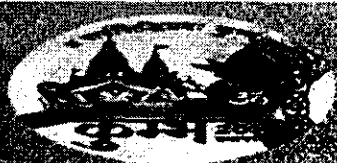
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का सम्पत्ति)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government owned company)

पंजीकरण सं० 1972/UP/1995/0022/2000



पत्र सं०

13159

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवेन्द्र कुमार

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6166	दिनांक
(ग)	जन्मतिथि		03.08.2013 44489
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशि रस्तोगी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25.06.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		18.08.1959
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		30.06.2013
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		छटा वेतनमान
(घ)	वेतन	₹	37400-67000 (10000)
(ङ)	मूल पेंशन	₹	76,100
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	38050
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15220
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	22830
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹	22830
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		66 छमाहियाँ

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84580
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगलान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगलान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7598

13159

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2 श्री देवेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-48, विजय नगर, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्राक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर मुगलान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

लेखाधिकारी (पेंशन)



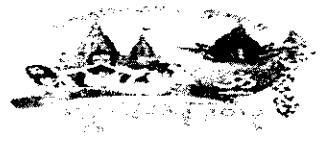
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7600

11770

09-10

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधे श्याम लाल श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षिता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

4689 दिनांक 30.11.2009

(ग) जन्मतिथि

01.08.1949

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती गीता श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

अंकित नहीं

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

31.07.2009

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000/(8700)

(घ) वेतन

47,230

(ङ) मूल पेंशन

23615

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

9446

(छ) राशिकरण के उपरान्त धटी पेंशन

14169

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

14169

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियाँ 40

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 12

(ख) निर्धारित वेतन

1,23,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

61550

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

61550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, को अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

61550

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

9446

(ङ) राशिकृत पेंशन

52104

(च) राशिकरण के बाद धटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जाये

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

36930

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7600

11770

09-10

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पूर्व-मध्य विद्युत वितरण निगम लि०, मोहपूदीपुर गोरखपुर।

2 श्री राधेश्याम लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मकान नं० 100 इम, न्यू माधोपुर कालोनी, सूरजकुण्ड, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9280 दिनांक 21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

20/02/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

1061

9269

2002-2003 उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इन्द्रदेव प्रसाद

सेवानिवृत्त

उप

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षिता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	3187 दिनांक 30.07.2005	
(ग)	जन्मतिथि		13.10.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शान्ती प्रसाद
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.10.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)/ 18400-22400	
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4180
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23170
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 86	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण ...		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4180
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संग्रह न लिया जावे	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1501

9269

2002-2003 उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गोविन्द नगर, कानपुर।

2. श्री इन्द्रदेव प्रसाद, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता: 3/85 कृदावना द्वितीय रायबरेली रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार,

कानपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9281 दिनांक-21.02.2019 के सापेक्ष स्वयं स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, UOPPO/का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7602

11056

2006-2007 उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवी सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3779 दिनांक 10.10.2006
(ग)	जन्मतिथि	08.05.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 64464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7602

11056

2006-2007 उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1 पेंशन वितरण अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी।
- 2 श्री देवी सिंह, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता बी 33/33, रोहित नगर, नरिया, वाराणसी।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार, वाराणसी

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, राफा गवन, लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9282 दिनांक-21.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
प्रमुख कार्यालय, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं० 7604

11085

06-07

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दुष्यन्त वीर सिंह रावत

सेवानिवृत्त

मुख्य

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

स्तर-द्वितीय

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिदर्शता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3836 दिनांक 17.11.06.

(ग) जन्मतिथि

16.10.1948

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती अमीता रावत

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

07.01.1953

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.10.2006

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 / ग्रेड पे-10000

(घ) वेतन

66,980

(ङ) मूल पेंशन

33490

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

13064

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

20426

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

20094

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियाँ 40

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 14

(ख) निर्धारित वेतन

1,72,200

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

लागू नहीं

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

86100

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

0

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

66100

(ङ) राशिकृत पेंशन

13064

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

73036

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

51680

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7604

11085

06-07

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री दुष्यन्त वीर सिंह रावत, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर द्वितीय, पता-2, 125/1, राजेन्द्र नगर, स्ट्रीट नं० 04, लेन नं० 7, कौलागढ़ रोड, देहरादून-248001।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9284 दिनांक-21.02.2019 के सापेक्ष समकक्ष विधित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7605

12449

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम यादव

सेवानिवृत्त

पैट्रोल मैन

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5290 दिनांक 27.05.2011
(ग)	जन्मतिथि	30.04.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मुन्नी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे-4200
(घ)	वेतन	₹ 19,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 9940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3912
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 6028
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 9780 दि० 29.04.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5868
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 40

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 6
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 26200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 26200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3912
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ ₹ 22288 दि० 04.07.2026 तक ₹ 26200
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 26200 दि० 29.04.2016 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 15720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7605

12449

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक-20.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राम यादव, सेवानिवृत्त पैट्रोल मैन, पता-न्यू कालोनी तृतीय लेन, जियामऊ हजरतगंज (गार्गव भवन के सामने), लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार

लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9285 दिनांक-21.02.2019 के सापेक्ष सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7606

13486

14-15

उ०म०प्र० /

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शशि कान्त राय

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6473	दिनांक 04.06.2014
(ग)	जन्मतिथि		04.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मीरा राय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22.11.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 38500 दि० 03.07.2018
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 99800 दि० 03.07.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7606

13486

14-15

उ०म०प्र० / दिनांक-21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री शशि कान्त राय, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-529 डी/0437, प्लट नं० ई-29 राम कृष्ण पुरम कल्यापुर, (पश्चिम) लखनऊ-226022

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 9286 दिनांक: 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7607

10217

04-05

उ०म०प्र० /

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री योगेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	3068 दिनांक 08.04.2005
(ग)	जन्मतिथि	04.08.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उर्मिला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.07.1950
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ 66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7607

10217

04-05

उ०म०प्र० / दिनांक:21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2 श्री योगेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एल०-21-ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़। को प्रेषित पत्रांक 9267 दिनांक: 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7609

8002

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कुमार वार्धाय

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	654 दिनांक	07.04.1999
(ग)	जन्मतिथि		18.12.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शीला वार्धाय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.01.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹	20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7609

8002

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक 21.02.2019

प्रतिस्तिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़।

2. श्री कृष्ण कुमार वार्धाय, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-3/422 ए, मेरिस रोड, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़।

को प्रेषित पत्रांक 9289 दिनांक 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7610

8003

98-99

उ०प्र०/

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री त्रिलोकी नाथ सिंह गंगवार

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	932	दिनांक 10.02.2000
(ग)	जन्मतिथि		28.02.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		10650-15200/15600-39100 ग्रेड पे-6600
(घ)	वेतन	₹	15,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	17127
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	17127
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 11
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	91,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	45550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	45550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	45550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7610

8003

98-99

उ०प्र०/ दिनांक:21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री त्रिलोकी नाथ सिंह गंगवार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-21/418, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 9290 दिनांक: 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7611

8004

98-99

उ०प्र०/

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शारदा चन्द्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	677 दिनांक 06.05.1999
(ग)	जन्मतिथि	28.12.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुधारानी श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.10.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7611

8004

98-99

उ०प्र०/ दिनांक:21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 उप मुख्य लेखाधिकारी केस्को, 14/71, सिविल लाइन, कानपुर।

2 श्री शारदा चरण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्ति सहायक लेखाधिकारी, पता-हा०न०-7, रतन विला, 7/33, तिलक नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रांक 9291 दिनांक: 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7612

8006

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,
कोषागार, झाँसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री योगेन्द्र सिंह जादौन

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

क्र.	विवरण	अधिवर्षता
(क)	पेंशन का प्रकार	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	608 दिनांक 06.02.1999
(ग)	जन्मतिथि	01.02.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रुषा जादौन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.08.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6270
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7612

8006

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक:21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड झाँसी।

2. श्री योगेन्द्र सिंह जादौन, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-वातायन, डी-1, हरिशंकर पुरम, झाँसी रोड, खालियर (म०प्र०)-474002।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार झाँसी। को प्रेषित पत्रांक 9292 दिनांक: 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति मवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7613

10905

06-07

उ०म०प्र० /

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुनील कुमार निगम

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3653 दिनांक 14.07.2006
(ग)	जन्मतिथि	05.04.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता निगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.08.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/ ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9871
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21984
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9871
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 73729
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7613

10905

06-07

उ०म०प्र० / दिनांक-21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री सुनील कुमार निगम, सेवानिवृत्ति अधिशाली अभियन्ता, पता-सी-96, सेक्टर-एच अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9293 दिनांक: 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7614

8033

2011-2012 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम नाथ सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1725	दिनांक 28.02.2002
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शारदा त्यागी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.11.1947
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000	ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹	18,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14	तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7614

8033

1998-1999 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-21.02.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2 श्री राम नाथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-49बी, सेक्टर-23, राज नगर, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गाजियाबाद।

को प्रेषित पत्रांक 9294 दिनांक-22.02.2019 के साथ संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7615

8054

1999-2000

उ०प्र०/

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, मिर्जापुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमा देवी मिश्रा पत्नी स्व० अर्जुन मिश्रा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1033 दिनांक 06.06.2000
(ग)	जन्मतिथि	05.08.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमा देवी मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.09.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1998 / 16.11.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 65
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7615

8054

1999-2000

उ०प्र०/ दिनांक:21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मिर्जापुर।

2. श्रीमती प्रमा देवी मिश्रा पत्नी स्व० अर्जुन मिश्रा, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-द्वारा श्री कैलाश लाल श्रीवास्तव, पथरहीया जिला-मिर्जापुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मिर्जापुर।

को प्रेषित पत्रांक 9295 दिनांक: 22.02.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

21/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7616

8055

1999-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रघुवीर सिंह मलिक

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिदर्वता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

862 दिनांक 27.11.1999

(ग) जन्मतिथि

04.02.1941

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती राजदुलारी

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

20.07.1948

2. (क) सेवानिवृत्त/दिगंत तिथि

28.02.1999

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900

(घ) वेतन

₹ 18,650

(ङ) मूल पेंशन

₹ 24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹ पुनर्स्थापित

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹ 24295

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹ लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹ 14730

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

तालिका नं० 13

दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,35,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

67500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2010 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2010 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

67500

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

पुनर्स्थापित

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

67500

(ज) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

40500

(ण) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7016

8055

1999-2000

उ०म०प्र० / दिनांक:21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।

2 श्री रघुवीर सिंह मलिक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-चर्च कम्पाउण्ड, बाजोरिया मार्ग, सहारनपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर। को प्रेषित पत्रांक 9296 दिनांक: 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, सहारनपुर।
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7618

8051

1999-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, सोनमद्र।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वेद प्रकाश

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	947 दिनांक 26.02.2000
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्री शारदा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1991
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14220
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7618

8051

1999-2000

उ०म०प्र० / दिनांक:21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत उत्पादन खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, पूर्वान्चल पिपरी सोनमद्र।

2 श्री वेद प्रकाश, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-ग्राम विल्ली, डाला रोड, जिला- सोनमद्र।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सोनमद्र। को प्रेषित पत्रांक 9298 दिनांक 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7619

8065

1999-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-21.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, देवरिया।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बालेश्वर तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	873 दिनांक 07.12.1999
(ग)	जन्मतिथि	01.03.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 26500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7619

8065

1999-2000

उ०म०प्र० / दिनांक:21.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया।
- 2 श्री बालेश्वर तिवारी, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-कठकुर्इयां रोड, गण्डक कालोनी, पड़रौना, जनपद-कुशीनगर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

देवरिया।

को प्रेषित पत्रांक 9300 दिनांक: 22.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12337

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र कुमार कोहली

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5294	दिनांक 28.05.2011
(ग)	जन्मतिथि		23.10.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सन्तोष कोहली
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्ररतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7621

12337

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, केस्को, 14/71 सिविल लाइन, कानपुर।
2. श्री राजेन्द्र कुमार कोहली, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-164 कृष्णा नगर, उन्नाव।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पत्ति का प्रमाणित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूचना, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12339

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहम्मद महमूद

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5226	दिनांक 31.03.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.03.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नफीसा बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		13.11.1963
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 32015/-दि० 28.12.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 83050/-दि० 28.02.2018 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7622

12339

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगर, वाराणसी।
- श्री मोहम्मद महमूद, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-म०नं०-एश्वर-21/100, इग लिशिया लाइन, वाराणसी कैंन्ट-221002, को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समर्थन प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राफि भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
राफि भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION (CIN)-2201UP1999SC0024928



पत्र सं०

10828

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र सिंह राघव

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4821 दिनांक	23.03.2010
(ग)	जन्मतिथि		08.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	50,820
(ङ)	मूल पेंशन	₹	25410
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	6250
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19160
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,34,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) अतिरिक्त पेंशन के उपरान्त	₹	67250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	6250
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	61000
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7623

10828

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री धन नरेन्द्र सिंह राघव, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-बी-1/138, सेक्टर-3 चिरंजीव विहार, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित यंत्रांक

दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Undertaking

PAN-PENSION NUMBER 2201031099SC024928



पत्र सं०

9992

04-05

उ०प्र०/

दिनांक- 21-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ऊषा अरोरा पत्नी स्व० जगदीश चन्द्र अरोरा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता/पारि०पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

3000

दिनांक

10.02.2005

(ग) जन्मतिथि

05-02-46

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती ऊषा अरोरा

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

21-05-1951

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

29-02-2004/03-10-16

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे 8900

(घ) वेतन

₹

20,000

(ङ) मूल पेंशन

₹

24295

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

3040

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

21255

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

139,100

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

69550

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

69550

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

69550

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

69550

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

3040

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

66510 दि० 03.10.2016 तक

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

41730 दि० 04.10.16 से प्रारम्भ

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7624

9992

04-05

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2. श्रीमती ऊषा अरोरा पत्नी स्व० जगदीश चन्द्र अरोरा, सहायक अभियन्ता पता -177, गोविन्द पुरम, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सहायक को-ऑपरेटिव)

10002000/2000/2000/2000/2000

10002000/2000/2000/2000/2000

पुनरीक्षण नं० 10002000/2000/2000/2000/2000



पत्र सं०

10788

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
फर्रुखाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व० छोटे लाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3523/3323 दिनांक 13.04.2006/27.07.2009
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कृष्णा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.04.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2005/23.02.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10650-15200
(घ)	वेतन	₹ 13,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9425
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 85,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25740
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7625

10788

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फर्रुखाबाद।
- श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व० छोटे लाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम खानपुर, मसेनी, फर्रुखाबाद-209801.

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फर्रुखाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

9117

2001-2002

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

21-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैय्यद महमूद हुसैन

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1961 दिनांक	31.08.2002
(ग)	जन्मतिथि		10.07.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राना महमूद
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.01.1948
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4450
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22900
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2-प्रतिशत-क्वॉट के उपरान्त	₹	83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4450
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	79150
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7626

9117

2001-2002

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री सैय्यद महमूद हुसैन, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-3/63 विकास नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रों

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13178

2013-2014

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 21-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

बहराइच

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 6074 दि० 14.01.19 को निरस्त करते हुए निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6175 दिनांक	13.08.2013
(ग)	जन्मतिथि		25.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विद्यावती सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	67,920
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33960
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13584
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20376
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 33960/- दि० 24.07.2018 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20376
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13584
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74516
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 88100/- दि० 24.07.2020 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7628

13178

2013-2014

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बहराइच।
- श्री अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बसंत विहार कालोनी, नौवागढ़ी निकट देहात थाना कोतवाली, बहराइच।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बहराइच को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सापेक्ष समर्थ स्थापित कर

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
बहराइच, बहराइच

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7631

8077

1999-2000 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
बागपत।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरसिंह वर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1010 दिनांक 10.05.2000	
(ग)	जन्मतिथि		02.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कान्ता वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.08.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600 / 14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे-8700	
(घ)	वेतन	₹	16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	18013
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18013
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹	63400
(झ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7631

8077

1999-2000 उ०म०प्र०/ले

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बड़ौत।
- श्री नरसिंह वर्मा, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-डी०एस० भवन बुटाना नियर बस स्टैंड, बड़ौत।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार बागपत।

को प्रेषित पत्रांक 9301 दिनांक-23.02.2019 के साथ सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7632

9700

2003-2004 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
शाहजहाँपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सगीर अहमद खॉं

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2648 दिनांक 10.06.2004	
(ग)	जन्मतिथि		20.06.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000 ग्रेड-पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7632

9700

2003-2004 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, शाहजहाँपुर।

2. श्री सगीर अहमद खॉं, सेवानिवृत्ता सहायक अभियन्ता, पता-एन०टी०आई० के सामने, मोहल्ला-लोधीपुर, मकान नं०-2, शाहजहाँपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

शाहजहाँपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9302 दिनांक-23.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7633

10015

2004-2005 उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती बचनी देवी पत्नी स्व० लच्छूधर
प्रसाद सेवानिवृत्त इलेक्ट्रीशियन

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	2683 दिनांक 20.07.2004
(ग)	जन्मतिथि	18.05.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बचनी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5300-8600 ग्रेड-पे-4200
(घ)	वेतन	₹ 7,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5323
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	06 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 49,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ -
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 14820
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7633

10015

2004-2005 उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिरासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती बचनी देवी पत्नी स्व० लच्छूधर प्रसाद, सेवानिवृत्ता इलेक्ट्रीशियन, पता-537/400 भरतनगर, योगिता स्कूल के पीछे, मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9303 दिनांक-23.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3 अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7634

11719

2009-2010

उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, सिगरा वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीन्द्र कुमार विद्यार्थी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4678 दिनांक 23.11.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.09.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेखा विद्यार्थी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	24.09.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 40

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 80650
(क)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चान न लिया जायें	₹ 70628
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7634

11719

2009-2010

उ०म०प्र० / दिनांक:22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।

2. श्री श्रीन्द्र कुमार विद्यार्थी, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-बी-130, एफ-2 राम प्रस्थ कालोनी गाजियाबाद-201011।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

सिगरा

को प्रेषित पत्रांक 9304 दिनांक: 23.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7635

7677

97-98

उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, रामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सिफातुन नबी खान

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	421 दिनांक	04.02.1998
(ग)	जन्मतिथि		12.08.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती हस्तीन बानो
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.01.1949
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹	19,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	26521
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	26521
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	5865
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियाँ 64

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	72000
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7635

7677

97-98

उ०म०प्र० / दिनांक:22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, रामपुर।

2 श्री सिफातुन नबी खान, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-98 एच०आई०जी० नूर महल के पास आवास विकास कालोनी रामपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार रामपुर। को प्रेषित पत्रांक 9305 दिनांक: 23.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मनोहरा सिंह (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेशन PENSION CIN: U82201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10796

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुमन सिंह पत्नी स्व० ओमवीर सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेशन/पारिवारिक पेशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेशन/पारिवारिक पेशन का विवरण

(क)	पेशन का प्रकार	पारिवारिक पेशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3531 दिनांक 13.04.2006
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेशन का नाम	श्रीमती सुमन सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेशन की जन्मतिथि	04.07.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	03.08.2005/29.12.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹ 21,900
(ङ)	मूल पेशन	₹ 26500
(च)	पेशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेशन	
(क)	मूल पेशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 78800
(ख)	पेशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेशन (साधारण दर पर)	₹ 47280
(झ)	अतिरिक्त पेशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेशन/पारिवारिक पेशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेशन/पारिवारिक पेशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेशन/पारिवारिक पेशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेशन)

पत्र सं० 7637

10796

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्रीमती सुमन सिंह पत्नी स्व० ओमवीर सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-66, आर०के० पुरम, गैलाना रोड, आगरा।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेशन)उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

पावर कारपोरेशन लि०

पावर कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

11745

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीराम जी

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	स्वैच्छिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4639 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	04.11.2009
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुनीता तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.01.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7640

11745

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री श्रीराम जी, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-एम०डी०-1/378, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

विकास महरोत्रा

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लखनऊ



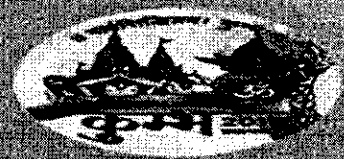
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-UP42010P1999506024928



पत्र सं०

6552

1990-1991

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम दुलारे सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8621	दिनांक 18.10.1991
(ग)	जन्मतिथि		01.11.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बह्मचारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	6,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7641

6552

1990-1991

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री रामदुलारे सिंह, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-एच०आइ०जी०-104, आवास विकास कालोनी, दक्षिणी बेलिया हाता, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथ सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पञ्जीय मेहरोत्रा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
गोरखपुर, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION (CIN: U32201UP1998SGC024928)



पत्र सं०

11415

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5695	दिनांक 18.05.2012
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शुभवंती देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.02.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12288
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22527
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,82,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	91350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	91350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12288
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	79062
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7642

11415

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-जंगल मातादीन उर्फ सरस्वतीपुरम, पोस्ट-पी०ए०सी०, कैम्प, बिछिया गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

मनोज महेश्वरी

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

शाखा, गोरखपुर

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।



उ०प्र० भावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० भावर कारपोरेशन लि०)

भारत सरकार, नया दिल्ली

प्राप्त पत्र सं० ११६४७ दिनांक २००९-२०१०



पत्र सं०

11647

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 20.07.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हीरा लाल

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5829	दिनांक 27.12.2012
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रभा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05.05.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	60,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20724
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18102
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,56,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68854
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7643

11647

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वन्वित विद्युत वितरण निगम लि०, 57 जार्ज टाउन, प्रयागराज।

2 श्री हीरा लाल सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-449, राजरूपपुर, प्रयागराज।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(Signature)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10797

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी स्व० राम सुधित सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3627 दिनांक 24.06.2006
(ग)	जन्मतिथि	05.05.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.04.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.2006/25.03.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹ 63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11042
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20813
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7644

10797

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी स्व० राम सुधित सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, पता-9/314 विकास नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



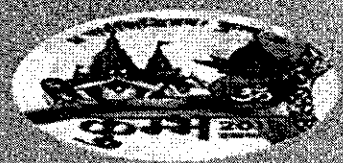
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10800

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लल्लन उपाध्याय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3517	दिनांक 07.04.2006
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4550
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19745
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4550
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65000
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7645

10800

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2 श्री लल्लन उपाध्याय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एस०-8/265, सी०-खुजरी रोड, पाण्डेयपुर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष समीक्षा/पुष्टि कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8794

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कासगंज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1564	दिनांक	37170
(ग)	जन्मतिथि			16.02.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती मृदुला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			16.08.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹		21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3417
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23933
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3417
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	रु० 73083/-दि० 04.01.17 तक तदुपरान्त रु० 76500/-दि० 05.01.17 से	
(छ.)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7646

8794

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, कासगंज, एटा।
- श्री रमेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-रेनुका निकेतन गोशाला के सामने नदरई गैट कासगंज, जि०-कासगंज।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

कासगंज

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के सम्बन्ध में स्थापित कर

मुद्रांक प्राप्त करें।

18/2/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12346

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बब्बन सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5199	दिनांक 09.03.2011
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7647

12346

2010-2011

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
- श्री बब्बन सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-975, चारफाटक से पावर हाउस कालोनी रोड, मोहददीपुर पो० मोहददीपुर जनपद गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित किए भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12335

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5253	दिनांक 26.04.2011
(ग)	जन्मतिथि		17.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती लता श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.12.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 83050 /-दि० 16.07.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7648

12335

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्धल विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।

2. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न० एस० 29/431-ए-31 मेहता नगर, कालोनी, शिवपुर, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

11, Panchsheel Park, Connaught Place, New Delhi-110029

(पेंशन निधि का कार्यालय)

पेंशन/पेंशनर का नं० 0522011909550024928



पत्र सं०

8180

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधेश्याम अग्रवाल

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	818	दिनांक 28/01/1999
(ग)	जन्मतिथि		05.07.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पुष्पा अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.04.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		63000-78000/21350-23975
(घ)	वेतन	₹	22,925
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	31500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,81,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	90900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹	90900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	90900
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54540
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7649

8180

1999-2000

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांशी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री राधेश्याम अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता-3/185 ए विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(UP Government Undertaking)

PENSION C/N: U3220110/1999SCG024928



पत्र सं०

13407

13-14

उ०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मुन्नी देवी

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6352	दिनांक 03.02.2014
(ग)	जन्मतिथि		21-12-53
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-13
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	16,820
(ङ)	मूल पेंशन	₹	8410
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3364
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	5046
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	43,900
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	21950
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	21950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	21950
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3364
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	18586
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7650

13407

13-14

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती मुन्नी देवी, चपरासी सेवानिवृत्त पता म० नं० 538क/588बी, बसन्त विहार, त्रिवेणी नगर, लखनऊ-226020

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8981

01-02

उ०म०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, झांसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरि प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिकर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1740 दिनांक 14.03.2002
(ग)	जन्मतिथि	30.09.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शान्ती पालीवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16876
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-09-01
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन ग्रेड (ग्रेड पे)	10650-15200 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 19,550
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन नदी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रस्तर पर तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 139,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संचालित पेंशन	₹
(क)	मूल पेंशन निर्धारण प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सज्ञान न लिया जायें	₹ 66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (नदी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7651

8981

01-02

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, झांसी
- श्री हरि प्रसाद, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 1176 मेघराज एडवोकेट कम्पाउण्ड, सिविल लाइन, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार झांसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ-1

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

कोषाधिकारी, कोषागार



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN/ U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12475

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

22/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश कुमार अरोरा

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6580	दिनांक 16.09.2014
(ग)	जन्मतिथि		26-09-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शशी अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10-07-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-09-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	69,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹	(5 प्रति० की कटौती के पश्चात) 33075
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	33075
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20889
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	182,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	91350
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	91350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	(5 प्रति० की कटौती के पश्चात) 86782
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	86782
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	54810
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7652

12475

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2. श्री जगदीश कुमार अरोरा, अधिकासी अभियन्ता, सेवानिवृत्त पता प्लेट नं०-22 हैप्पी टावर, रतन लाल नगर, कानपुर-208022

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर को प्रेषित पत्रांक दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

30



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12399

10-11

उ०म०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राकेश कुमार सक्सेना

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5276	दिनांक 12.05.2011
(ग)	जन्मतिथि		28-11-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पुष्पा सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-07-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-11-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7653

12399

10-11

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री राकेश कुमार सक्सेना, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 5/720 विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

30

श्री...



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(A Government Undertaking)

PENSION LINE 022201010699SGC024928



पत्र सं०

12476

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र जायसवाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5987	दिनांक 18.02.2013
(ग)	जन्मतिथि		11-10-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरोजनी देवी जायसवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		14-07-1957
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-10-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	47,230
(ङ)	मूल पेंशन	₹	(8 प्रति० की दण्ड कटौती के पश्चात) 21726
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	8690
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	13036
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14169
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	123,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	61550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	(8 प्रति० दण्ड की कटौती के पश्चात) 56626
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	8690
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	47936 दि० 17.05.2028 तक तदुपरान्त 56626
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7654

12476

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2 श्री रमेश चन्द्र जायसवाल, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता सी-876 एम०आई०जी० विश्व बैंक कालोनी, बर्रा, कानपुर नगर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर को प्रेषित पत्राक दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०

अंक



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12460

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक- 22/11/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5328	दिनांक 28.06.2011
(ग)	जन्मतिथि		23-01-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कैलाश देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर का जन्मतिथि		10-03-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/निर्धनता तिथि		31-01-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन देय (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	18,980
(ङ)	मूल पेंशन	₹	9490
(च)	पेंशन का राशि (पूर्व नाम)	₹	3356
(छ)	राशिकरण के अन्तर्गत घटा पेंशन	₹	6134
(ज)	पारिवारिक पेंशन दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन दर पर	₹	5694
(ण)	पेंशन योग्य उचित सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 का प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रकल्पित तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2013 के अनुसार)	6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	49,400
4.	प्रकल्पित वेतन दिनांक 01.01.2016 के अन्तर्गत पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	24700
(ख)	पेंशन हेतु अतिरिक्त काम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दि० 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 की अवधि तक सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	24700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3356
(च)	राशिकरण के अन्तर्गत पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो मुआवजा के अन्तर्गत न लिया जायें	₹	21344 दि० 28.09.26 तक तदुपरांत 24700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (दर पर)	₹	14820
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(च) में संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 29.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7655

12460

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अधिकारी, वाराणसी विवरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
- श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, चपरासी सेवानिवृत्त पता बॉक बरिडोला, पोस्ट वरजीह, जिला देवरिया

को इस आदेश से प्रेरित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पत्ति का भुगतान प्राप्त करें।

3

अतिरिक्त सूचना, पेवसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक- 22/11/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

वाराणसी

पत्र सं० 12432 11-12 उ०प्र०/ दिनांक- 22/2/19
कोषाधिकारी,
कोषागार, जौनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत
श्रीमती अंजू शां पत्नी स्व० कृष्णा शां सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क) पेंशन का प्रकार		पारि०पेंशन	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	5497	दिनांक	16.11.2011
(ग) जन्मतिथि			12.11.1954
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती अंजू शां
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			08-04-1969
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			21-08-10
(ख) तत्समय लागू वेतनमान			छठां वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ) वेतन	₹		59,480
(ङ) मूल पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹		लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			14315 दि० 21.08.20 तक
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		8589
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियां	
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			
(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹		153,000
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		76500
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		0
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹		लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		76500 दि० 21.08.20 तक
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45900
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7656 12432 11-12 उ०प्र०/ दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, जौनपुर

2 श्रीमती अंजू शां पत्नी स्व० कृष्णा शां, सहायक अभियन्ता पता अगम कुआ, पहाड़ी रोड, निकट सहारा गोदाम, पटना
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार जौनपुर को प्रेषित पत्राक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



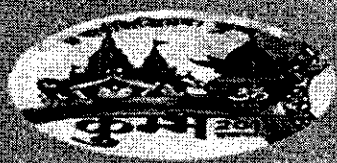
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UP Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U3220(U.P.1999SGC024928)



पत्र सं०

13523

2014-2015

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

24/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुभाष मोहन मित्तल

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6586	दिनांक
(ग)	जन्मतिथि		19-09-2014
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती निशा मित्तल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		26.08.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		05.07.1958
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		31.08.2014
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		छठा वेतनमान
(घ)	वेतन		37400-67000 (10000)
(ङ)	मूल पेंशन	₹	77,000
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	38500
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15400
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	23100
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	रु० 38500/-दि० 27.08.19 तक
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		23100

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	रु० 99800/-दि० 27.08.2021 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7657

13523

2014-2015

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।

2. श्री सुभाष मोहन मित्तल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-153/1, जागृति विहार, गड रोड, मेरठ-250004,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
 18/2/19
 कोषाधिकारी (पेंशन)
 कोषागार मेरठ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-113201UP1999SG0024728



पत्र सं०

6374

1989-1990

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

22/2/19

कोषाधिकारी, कोषागार,

बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राज बाला देवी पत्नी स्व० जवाहर सिंह राना

सेवानिवृत्त

अधिकासी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9633	दिनांक 12-05-1994
(ग)	जन्मतिथि		34466 24.09.1926
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राज बाला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		18.01.1933
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.1984 / 22.04.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		3400-4750 / 15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹	4,125
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	9507
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	22860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	170 01.01.16 से 170 31.12.17 तक 20 प्रातशत आतारक्त रू० 4572 /-दि० 01.01.18 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त रू० 6858 /-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7658

6374

1989-1990

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचर्माचल विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।

2 श्रीमती राज बाला देवी पत्नी स्व० जवाहर सिंह राना, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता-588, सिविल लाइन, बुलन्दशहर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

बुलन्दशहर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

18/2/19
लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION No. US2201HP1999SC024928



पत्र सं०

12667

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक- 22-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र कुमार पाल

सेवानिवृत्त

वशि लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5932	दिनांक 29.12.2012
(ग)	जन्मतिथि		02-12-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रभा पाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02-01-1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192 (दि० 29.03.28 तक)
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32980 (दि० 01.12.16 तक)
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	171,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	85550
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192 (दि० 29.03.28 तक)
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	85550 दि० 01.12.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7659

12667

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2 श्री राजेन्द्र कुमार पाल, वशि लेखाधिकारी सेवानिवृत्त पता 92 बी०, 93 गोपाल नगर, बाईपास रोड आरामशीन के पीछे, कानपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार

कानपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर, मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

नाम: ...



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Owned Enterprise)

पंजीकरण सं० 13220/UP/09SG0024928



पत्र सं०

13174

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6111	दिनांक 20.06.2013
(ग)	जन्मतिथि		10.04.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पूनम श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	67,940
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33970
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13588
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20382
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20382
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2-प्रतिशत बन्ड के उपरान्त	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13588
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74512
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7660

13174

2012-2013

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-68, सरयू विहार कालोनी, मु० वजीरगंज, फैजाबाद।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

18/1/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



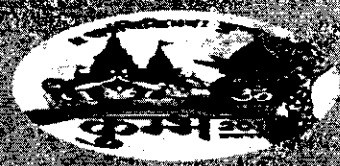
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(UP Government Undertaking)

पं० सं० २६५३०/१८१८०३२२०१/१९९९९८०२४९२८



पत्र सं०

12431

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुधेश्वर राय

सेवानिवृत्त

सहा०अभि०

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5306 दिनांक 06.06.2011
(ग)	जन्मतिथि	02-01-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती निरी राय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04-02-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-01-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 32015 दि० 01.01.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70244 दि० 06.09.26 तक तदुपरान्त 83050
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7661

12431

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी
- श्री सुधेश्वर राय, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता बी-33/14, पी-2 गौधी नगर विस्तार, पो०-सुन्दर नगर, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० प्र० वि० लि०
अद्विष्ट भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

A Government Undertaking

REGISTRATION NO. 13220/10/1999SGC021928



पत्र सं०

12332

10-11

उ०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5186	दिनांक 26.02.2011
(ग)	जन्मतिथि		15-09-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विशाखा गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		28-03-1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-09-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7663

12332

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद

2. श्री विजय कुमार, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता डी०-184 प्रेमनगर, गली नं० 5, लाइन पार, मुरादाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UPPCL Power Corporation Limited

U.P. Government Undertaking

PENSION C/N: 022201021999SG024928



पत्र सं०

12333

10-11

उ०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ब्रह्म दत्त

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5296 दिनांक 26.05.2011
(ग)	जन्मतिथि	06-06-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरोज
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03-12-1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 188,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 94100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7664

12333

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1/ अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2/ श्री ब्रह्म दत्त, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 11/351 सेक्टर-11, वसुन्धरा कालोनी, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पत्ति का मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

दिमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN: 032201UP1999SCC024928



पत्र सं०

12413

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 22/11/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राना आबिदी पत्नी स्व० सैय्यद सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।
हसन सज्जाद आबिदी

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5322 दिनांक 24.06.2011
(ग)	जन्मतिथि	28.04.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राना आबिदी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18-04-1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	13-07-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32015 दि० 11.07.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 11.07.20 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7665

12413

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती राना आबिदी पत्नी स्व० सैय्यद हसन सज्जाद आबिदी, पता 444/129-3 सी, अली कालोनी, राधा ग्राम ठाकुरगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक-

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

दिमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)
सं० प्र० पा० कारपोरेशन लि०
लखनऊ



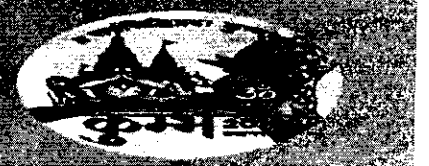
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार की उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION ORDER NO. 220102499SGC024928



पत्र सं०

12410

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लाल चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5324	दिनांक 28.06.2011
(ग)	जन्मतिथि		09-06-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	49,330
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24665
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7837
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	16828
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	126,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	63400
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	63400
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7837
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	55563 दि० 01.08.26 तक तदुपरान्त 63400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7666

12410

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री लाल चन्द्र गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी सेवानिवृत्त पता ए-223, आवास विकास कालोनी, हरदोई

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

अभि. भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

J:\POWER CORPORATION\2017\2018\2019\2020\2021\2022\2023\2024\2025\2026\2027\2028\2029\2030\2031\2032\2033\2034\2035\2036\2037\2038\2039\2040\2041\2042\2043\2044\2045\2046\2047\2048\2049\2050\2051\2052\2053\2054\2055\2056\2057\2058\2059\2060\2061\2062\2063\2064\2065\2066\2067\2068\2069\2070\2071\2072\2073\2074\2075\2076\2077\2078\2079\2080\2081\2082\2083\2084\2085\2086\2087\2088\2089\2090\2091\2092\2093\2094\2095\2096\2097\2098\2099\2100



पत्र सं०

12435

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक- 22/11/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हीरा सिंह नेगी

सेवानिवृत्त

कार्या०

सहायक-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5437 दिनांक 14.09.2011
(ग)	जन्मतिथि	12-06-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गंगा नेगी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15-12-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06--2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹ 31,240
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 15620
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 6248
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9372
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	15620 दि० 11.06.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9372

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 82,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 41200
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 41200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 41200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 6248
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 34952 दि० 01.10.26 तक तदुपरान्त 41200
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 41200 दि० 11.06.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7667

12435

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री हीरा सिंह नेगी, कार्यालय सहायक-प्रथम सेवानिवृत्त पता एल-2/47 विनय खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
U.P. Government Undertaking

पेंशन PENSION CIN: U42201UP1999SCC024928



पत्र सं०

12477

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, प्रयागराज

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राजकली पत्नी स्व० राम हर्ष यादव सेवानिवृत्त सहायक लेखाकार का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5417 दिनांक 02.09.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.08.1959
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजकली
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22-03-1968
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	25-12-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 5400/6600
(घ)	वेतन	₹ 24,710
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	12355 दि० 24.12.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7413
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	9 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 65,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 32600
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 32600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 32600 दि० 24.12.20 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 19560
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 0

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7668

12477

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, प्रयागराज

2 श्रीमती राजकली पत्नी स्व० राम हर्ष यादव, पता घामापुर, अब्दालपुर सोरांव, इलाहाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार प्रयागराज को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
प्रतिष्ठित भवन लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंजन PENSION CIN-1322010P1999SGC024928



पत्र सं०

12472

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5379	दिनांक 04.08.11
(ग)	जन्मतिथि		15-03-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मंजू लता श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		07-07-1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-03-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18648
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31080 दि० 14.03.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68218 दि० 04.11.26 तक तदुपरान्त 80650
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7669

12472

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी

2. श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता बी-17/64 तिल माण्डेश्वर, भेलूपुर, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंजन PENSION C/N: 0322010E-1999SGC024928



पत्र सं०

12459

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 22/12/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5383 दिनांक 09.08.2011
(ग)	जन्मतिथि	01-06-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती आरती श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03-06-1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-05-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ 32015 दि० 31.05.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 70244 दि० 09.11.26 तक तदुपरान्त 63050
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 31.05.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7670

12459

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी

2. श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता बी-38/63, ए-3 वृजवाश नगर कालोनी, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

पं० (PENSION) (UIN) 032701102999500021928



पत्र सं०

12458

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक- 22/12/19

कोषाधिकारी,

कोषागार, मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगमोहन सिंह

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5561	दिनांक 13.01.2012
(ग)	जन्मतिथि		03-08-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रमा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03-07-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-08-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		38050 दि० 02.08.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	199,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	99800
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84580 दि० 17.02.27 तक तदुपरान्त 99800
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	99800 दि० 02.08.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7671

12458

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा

2. श्री जगमोहन सिंह, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता म० नं० 26, सेक्टर-6 श्री राधापुरम इस्टेट विस्तार, नेशनल हाईवे-2, मथुरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मथुरा को प्रेषित पत्रांक दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

पंजीकरण सं० १८/२०१०-११/१९९९८०२१२३



पत्र सं०

12425

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्द्र बिहारी गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5340	दिनांक 05.07.2011
(ग)	जन्मतिथि		04-05-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमन गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		27-10-1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-05-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		36940 दि० 03.05.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	193,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	96900
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	82124 दि० 01.08.26 तक तदुपरान्त 96900
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	96900 दि० 03.05.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7672

12425

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री चन्द्र बिहारी गुप्ता, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त पता सी-1589, राजाजीपुरम, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लिखित रूप से
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12457

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

22/2/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आशिफ मसूद सिद्दीकी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5384	दिनांक 09.08.2011
(ग)	जन्मतिथि		01-07-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती हरीना बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05-02-1960
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-11
(ख)	तत्कालीन लागू वेतनमान		छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400 67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		32015 दि० 30.06.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमद्वारा तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण समय पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जायें	₹	70244 दि० 01.09.26 तक तदुपरांत 83050
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	83050 दि० 30.06.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7673

12457

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसाक्षी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

श्री आशिफ मसूद सिद्दीकी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता प्लॉट नं० 35, आदिल नगर, कल्याणपुर परिसर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसाक्षी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

www.upco.co.in

पुनर्वसन संख्या: 2010/0935002/921



पत्र सं०

12452

11-12

उ०प्र०/

दिनांक- 22/2/19

कोषाधिकारी,
कोषागार, बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लोकेन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5470	दिनांक 13.10.2011
(ग)	जन्मतिथि		04-06-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आशा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22-01-1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		36940 दि० 03.06.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22164

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14-17 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	193,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	96900
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	82124 दि० 13.01.27 तक तदुपरान्त 96900
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	96900 दि० 03.06.16 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7674

12452

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली

2. श्री लोकेन्द्र गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 3/15 सुरेन्द्र शर्मा नगर, बरेली

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UP Power Corporation Limited

(UP Government Undertaking)

पेंशन PENSION/IN-032201UP1899SGC024928



पत्र सं०

11971

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधेश्याम

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5039	दिनांक 04.10.2010
(ग)	जन्मतिथि		05.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बीना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		10.10.1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	(4 प्रतिशत दण्ड के बाद) 29837
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19815
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,61,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	(4 प्रतिशत दण्ड के बाद) 77424
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	67402
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7675

11971

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।
- श्री राधेश्याम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-सी० 770/1, राजेन्द्र नगर, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
पता-सी० 770/1, राजेन्द्र नगर, बरेली।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पंशन/PENSION CN: 1132201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7878

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सरला सिंह पत्नी स्व० वीरेश्वर सिंह

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	514 दिनांक 31.07.1998
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सरला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.08.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1998/08.03.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	26000/80000
(घ)	वेतन	₹ 26,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 24000
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	टेबल नं०57 शासन का
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 2,25,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 67500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7878

7878

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

22/12/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती सरला सिंह पत्नी स्व० वीरेश्वर सिंह सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-प्रथम, पता-2/291 विशाल खण्ड, गामती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION C/N 112/2017UP1999560024928



पत्र सं०

9392

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र भारद्वाज

सेवानिवृत्त

अधिशायी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अनिवार्य सेवानिवृत्त	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3389	दिनांक 21.01.2006
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरोज भारद्वाज
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.02.1946
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		22.04.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹	19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	20932
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3704
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	17228
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	12560
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		64 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,38,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	67152
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	67152
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67152
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3704 दि० 21.04.2021 तक
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	63448
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

7677

9392

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

22/02/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशायी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।
- श्री रमेश चन्द्र भारद्वाज सेवानिवृत्त अधिशायी अभियन्ता, पता-ए०-2/116, सेक्टर-5, रोहनी नोर्थ, नई दिल्ली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साक्ष्य स्थापित कर
भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशायी अभियन्ता, वेबसाइट उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Government Undertaking)

पेंशन PENSION (CIN: 132201UP1999SG0024928)



पत्र सं०

9400

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कुमुद देवी पत्नी स्व० मुरारी पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2132 दिनांक 24.01.2003
(ग)	जन्मतिथि	04.09.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कुमुद देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2002/15.09.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2678

9400

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक 25/11/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगरा, वाराणसी।
- श्रीमती कुमुद देवी पत्नी स्व० मुरारी पाण्डेय सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-कै-67/84/बी-2, नती इगली, वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8952

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अनीता गुप्ता पत्नी स्व० मदन मोहन गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2733 दिनांक 23.08.2004
(ग)	जन्मतिथि	24.11.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीता गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.03.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹ 19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व) 2 प्रतिशत दण्ड के उपरान्त	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7680

8952

2001-2002

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22/12/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- श्रीमती अनीता गुप्ता पत्नी स्व० मदन मोहन गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०नं०-1034, ब्रह्मपुरी मेरठ शहर (भगवत चक्की वाली गली)।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन मोहन गुप्ता
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UOP Power Corporation Limited

राज्य शासन, दिल्ली

पेंशन PENSION का सं० 10322010/प० 10956/2024/328



पत्र सं०

11874

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

22.02.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्दा

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता,

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4958	दिनांक	26.07.2010
(ग)	जन्मतिथि			05.11.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती ऊषा रानी गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			05.03.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.11.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹		70,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹		35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		56460
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7681

11874

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,परिचर्याचल विद्युत वितरण निगम लि०,नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2. श्री रमेश चन्दा सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-पार्क व्यू अपार्टमेंट, बी-601, ई-10बी, सेक्टर-61, नोएडा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12356

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार

सेवानिवृत्त

दफादार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5293	दिनांक	27.05.2011
(ग)	जन्मतिथि			08.02.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती चन्द्रावती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			08.02.1951
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			9300-34800 (4800)
(घ)	वेतन	₹		19,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹		9940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3976
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		5964
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		5964
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		06 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		52,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		26200
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		26200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3976
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		22224
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		15720
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7631-A

12356

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री अशोक कुमार सेवानिवृत्त दफादार, पता-गुडियन पुरवा एच० रोड, जानकीपुरम, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के आदेश सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, लखनऊ



संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०

संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०

संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०

संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०



पत्र सं०

10786

2005-2006

संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

सुल्तानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती हरिहर देवी पत्नी स्व० झमई राम

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3576 दिनांक 18.05.2006
(ग)	जन्मतिथि	03.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती हरिहर देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.10.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2006/14.06.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100
(घ)	वेतन	₹ 31,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9555
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	0
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 83,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 24990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7682-A

10786

2005-2006

संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०

दिनांक:

22/12/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सुल्तानपुर।
- श्रीमती हरिहर देवी पत्नी स्व० झमई राम, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-म०न०-533, गाविन्द नगर, दरियापुर, सुल्तानपुर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सुल्तानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुगतान प्राप्त करें।

के सम्बन्ध सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन लाल देवता
लेखाधिकारी (पेंशन)
संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०
सुल्तानपुर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7920

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

22-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1157 दिनांक 25.09.2009
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पार्वती शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.05.1950
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23150
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2884
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20266
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2884
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64616
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7683

7920

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 6 साकेत कालोनी, अलीगढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

अलीगढ़

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10794

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नरेन्द्र सहाय सक्सेना

सेवानिवृत्त

कार्यालय

सहायक-प्रथम

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3432	दिनांक 17.02.2006
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शाशि सहाय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		03.07.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		8550-13500/15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹	11,025
(ङ)	मूल पेंशन	₹	12181
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2916
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	9265
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4962
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	33600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	33600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2916
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	30684
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	20160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7604

10794

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 22/12/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री नरेन्द्र सहाय सक्सेना सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक-प्रथम, पता-10-फैजाबाद रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7686

7114

1993-1994 उ०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

मु० उजैर सिद्दीकी

सेवानिवृत्त

संयुक्त सचिव

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9438 दिनांक 08.10.1993	
(ग)	जन्मतिथि		02.07.1935
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कुदसिया उजैर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		11.11.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1993
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	5000-6300/37400-67000 ग्रेड पे-8900	
(घ)	वेतन	₹	5,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29154 (20 प्रतिशत अति सम्मिलित)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	29154
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.2016 से दि० 30.06.2020 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त 13110/- एवं दि० 01.07.2020 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त 19665/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7686

7114

1993-1994 उ०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. मु० उजैर सिद्दीकी, सेवानिवृत्ता संयुक्त सचिव, पता-405, अन्वून किला, रायबरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ
लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9306 दिनांक-23.02.2019 के सापेक्ष सम्पन्न होना चाहिए।
भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7687

6455

1989-1990 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
गाजियाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ओम प्रकाश धमीजा

सेवानिवृत्त

मुख्य

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8327 दिनांक 11.01.1991	
(ग)	जन्मतिथि		22.03.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती प्रेमलता धमीजा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.07.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.1990
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6700-7500/63000-78000	
(घ)	वेतन	₹	7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹	37800 (20 प्रतिशत सम्मिलित)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	37800
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	85700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.2016 से दि० 28.02.2017 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त 17140/- एवं दि० 01.03.2017 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त 25710/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रतर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7687

6455

1989-1990 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री ओम प्रकाश धमीजा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-बी-9/3, गिर्योवाली नगर, नई दिल्ली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक 9307 दिनांक-23.02.2019 के सापेक्ष सम्बंधित कार्य को भुगतान प्राप्त करें।



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7688

6457

1989-1990 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

कु० शकीला खातून पुत्री स्व० मुजीबुल हसन

सेवानिवृत्त

अधिशाली

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9132 दिनांक 05.01.1993
(ग)	जन्मतिथि	24.12.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	कु० शकीला खातून
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.09.1963
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1990/06.12.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600/37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 5,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ग)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ -
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7688

6457

1989-1990 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (लेसा), सेक्टर-6 जानकीपुरम विस्तार, 33/11 के०वी० विद्युत उपकेंद्र, लखनऊ।

2. कु० शकीला खातून पत्नी स्व० मुजीबुल हसन, सेवानिवृत्ता, अधिशाली अभियन्ता, पता-ए-815, एच०आई०जी०, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9308 दिनांक-23.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7689

6456

1989-1990 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
अलीगढ़।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अनु चक्रवर्ती पत्नी स्व० अनिल कुमार चक्रवर्ती सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9529 दिनांक 06.01.1994
(ग)	जन्मतिथि	26.04.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनु चक्रवर्ती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.01.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	30.04.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	4250-5600/37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 4,250
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	58 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ -
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7689

6456

1989-1990 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, अलीगढ़।
- श्रीमती अनु चक्रवर्ती पत्नी स्व० अनिल कुमार चक्रवर्ती, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-एल०आई०जी०-31, अवतिका-1 रामगढ़ रोड अलीगढ़।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 9309 दिनांक-23.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित की भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7890

6459

1989-1990 उ०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शशि जैन पत्नी स्व० जागेश जैन

सेवानिवृत्त

मुख्य

अभियन्ता
(स्तर-प्रथम)

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8845 दिनांक 22.04.1992
(ग)	जन्मतिथि	16.03.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशि जैन
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	24.11.1942
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.1990 / 16.08.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	65 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ -
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7890

6459

1989-1990 उ०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती शशि जैन पत्नी स्व० जागेश जैन, सेवानिवृत्ता, मुख्य अभियन्ता (स्तर-प्रथम), पता-ए-433, इन्दिरा नगर लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9310 दिनांक-23.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7691

6467

1989-1990 उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मोहिन्द्र सिंह थंडी

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8662 दिनांक 29.11.1991	
(ग)	जन्मतिथि		13.03.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2600-4000 / 15600-39100 ग्रेड पे-5400	
(घ)	वेतन	₹	3,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	15735 (20 प्रतिशत सम्मिलित)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15735
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	35550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	35550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	35550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.2016 से दि० 29.02.2016 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त 7110/- एवं दि० 01.03.2016 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त 10665/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7691

6467

1989-1990 उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।
- श्री मोहिन्द्र सिंह थंडी, सेवानिवृत्ता, सहायक अभियन्ता, पता-आशा पटी, रामपुर पायल, लुधियाना, पंजाब-141418

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

सहारनपुर

को प्रेषित पत्रांक 9311 दिनांक-23.02.2019 के सापेक्ष तुरन्त प्रेषित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7692

9391

2002-2003 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री नैमी चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2399 दिनांक 31.10.2003	
(ग)	जन्मतिथि		03.09.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम		श्रीमती प्रमा वार्धेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि		18.03.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड-पे 8900	
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040 दि० 31.01.2019 तक
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040 दि० 31.01.2019 तक
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7692

9391

2002-2003 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।

2. श्री नैमी चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त, सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-58/175/2, डा० एम०के० रावत के सामने, अयोध्या कुँज, (खेरिया मोड़), आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक 9312 दिनांक-23.02.2019 के सापेक्ष संप्रकृतिस्थपित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7693

9228

2002-2003 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री लक्ष्मी दत्त उपाध्याय

सेवानिवृत्त

प्रशासनिक

अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1983 दिनांक 19.09.2002	
(ग)	जन्मतिथि		04.05.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विजयलता उपाध्याय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		04.09.1950
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.05.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-13500/15600-39100 ग्रेड पे-5400	
(घ)	वेतन	₹	12,675
(ङ)	मूल पेंशन	₹	14324
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2150
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	12174/- दि० 02.12.2017 तक तदुपरान्त 14324/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	3803
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियां
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	75,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	37700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	37700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2150
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	35550/- दि० 02.12.2017 तक तदुपरान्त 37700/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	22620
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7693

9228

2002-2003 उ०म०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री लक्ष्मी दत्त उपाध्याय, सेवानिवृत्त, प्रशासनिक अधिकारी, पता-554 ख/44, विशेष नगर, आलमबाग लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9313 दिनांक-23.02.2019 के द्वारा सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7701

10930

06-07

उ०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद।

पी०पी०ओ० संख्या 6843

दिनांक 04.02.2019 के आशिक संशोधन में निर्गत।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र कुमार गोयल

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3989 दिनांक 07.05.2007
(ग)	जन्मतिथि	08.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुधा रानी गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.04.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000/(10000 ग्रेड पे)
(घ)	वेतन	₹ 65,630
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32815
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10805
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22010
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19689
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 40
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,72,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 86100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 86100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10805
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹ 75295 दि० 29.12.2021 तक तदुपरान्त ₹ 86100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51660
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7701

10930

06-07

उ०प्र०/ दिनांक:22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचालन विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
- श्री राजेन्द्र कुमार गोयल, सेवानिवृत्ति अधीक्षण अभियन्ता, पता-फ्लैट नं०-206, वैष्णो देवी अपार्टमेंट, आर 1/3, राज नगर सेक्टर-1 (समीप वी०आर० अस्पताल), गाजियाबाद।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद। को प्रेषित पत्रांक 9302 दिनांक: 23.02.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7702

9382

02-03

उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुरादाबाद।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोविन्द सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2271 दिनांक 28.06.2003
(ग)	जन्मतिथि	15.08.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती स्नेहलता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचव वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/8900
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ ₹ 21255 दि० 17.08.2018
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 66510
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7702

9382

02-03

उ०म०प्र० / दिनांक:22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिचमौचल विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद।

2. श्री गोविन्द सिंह, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-डी-170, प्रेम नगर कालोनी, लाइन पार, गली नं०-5, मुरादाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद। को प्रेषित पत्रांक 9303 दिनांक: 23.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

22/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7703

8019

1998-1999

उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय किशोर अनिल

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1309 दिनांक 08.02.2001
(ग)	जन्मतिथि	08.01.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शकुन्तला वार्ण्य
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.09.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचव वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7703

8019

1998-1999

उ०म०प्र० / दिनांक:22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़।
- श्री विजय किशोर अनिल, सेवानिवृत्ति मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-एचआईजी-36पी०, अवतिका फेज-1 ए०डी०ए० कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ (उ०प्र०) 202001।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक 9304 दिनांक: 23.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7704

8027

98-99

उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमा देवी पत्नी स्व० लाल चन्द्र सेवानिवृत्त लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	646 दिनांक 27.03.1999
(ग)	जन्मतिथि	07.08.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.04.1963
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	01.11.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 61

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7704

8027

98-99

उ०म०प्र० / दिनांक-22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।

2. श्रीमती विमा देवी पत्नी स्व० लाल चन्द्र, सेवानिवृत्ति लेखाधिकारी, पता-3/7 हाइडिल कालोनी, प्रयाग नरायन रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9305 दिनांक: 23.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7707

8514

2000-2001

उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, कन्नौज।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हीरा लाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1161	दिनांक 27.09.2000
(ग)	जन्मतिथि		05.01.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		अंकित नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/8900
(घ)	वेतन	₹	17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	20831
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20831
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		छमाहियां 56
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	57273
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	65550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65550
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7707

8514

2000-2001

उ०म०प्र० / दिनांक:22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कन्नौज।

2 श्री हीरा लाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-ग्राम लालपुर, मौजा-डडौनी, पो०-सकरावा, जनपद-कन्नौज।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कन्नौज।

को प्रेषित पत्रांक 9308 दिनांक: 23.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

22/2/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7709

8035

98-99

उ०प्र०/

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, सुल्तानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अनीता प्रसाद पत्नी स्व० चुन चुन सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	714 दिनांक 01.07.1999
(ग)	जन्मतिथि	13.11.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीता प्रसाद
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	11.11.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.1998/29.11.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 18,650
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 1,35,000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7709

8035

98-99

उ०प्र०/ दिनांक:22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता विद्युत वितरण-खण्ड-प्रथम, मध्योच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सुल्तानपुर।

2 श्रीमती अनीता प्रसाद पत्नी स्व० चुन चुन प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-अनीता सदन 98/5, पयागीपुर, सुल्तानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सुल्तानपुर। को प्रेषित पत्रांक 9310 दिनांक: 23.02.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7710

8930

2001-2002

उ०म०प्र० /

दिनांक-22.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम चन्द्र गुप्ता

सेवानिवृत्त

निजी
सचिव-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1549 दिनांक 15.09.2001
(ग)	जन्मतिथि	03.07.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमला गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 19,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3396 पुनर्स्थापित दि० 14.12.2016
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20899 दि० 14.12.2016 तक तदुपरान्त ₹ 24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियां 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3396
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ ₹ 64104 दि० 14.12.2016 तक तदुपरान्त 67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7710

8930

2001-2002

उ०म०प्र० / दिनांक:22.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राम चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त निजी सचिव, पता-म०नं० बी-7, नारायण नगर निकट फैजाबाद रोड, लखनऊ-226016।

को इस आशय से प्रेषित कि यह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9311 दिनांक: 23.02.2019 के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

22/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी (विशेष)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7713

6436

1989-1990 उ०प्र०/

दिनांक-23.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हिमांशु शेखर बोस

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	9288 दिनांक 25.05.1993	
(ग) जन्मतिथि		06.11.1931
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.11.1989
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		चौथा वेतनमान
(म) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600/37400-67000 ग्रेड पे-8700	
(घ) वेतन	₹	4,375
(ङ) मूल पेंशन	₹	16457
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	16457
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	62 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,23,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	61550
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	57820
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	61550
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	61550
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण नाम पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.2016 से दि० 30.10.2016 तक 20 प्रतिशत अतिरिक्त 12310/- एवं दि० 01.11.2016 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त 18465/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अध्या उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7713

6436

1989-1990 उ०प्र०/

दिनांक-23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री हिमांशु शेखर बोस, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-36/1, जवाहर लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार,
लखनऊ।

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9333 दिनांक-25.02.2019 के सापेक्ष सुस्पष्ट स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7717

8081

1999-2000 उ०म०प्र०/

दिनांक-23.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी स्व० नरेन्द्र
बहादुर सिंह

सेवानिवृत्त

वित्त परामर्शी

एवं मुख्य
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशन

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

722 दिनांक 09.07.1999

(ग) जन्मतिथि

01.07.1941

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती शान्ती सिंह

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

11.11.1944

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30.06.1999 / 14.08.2001

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

16400-20000 / 37400-67000 ग्रेड-पे 8900

(घ) वेतन

₹

19,100

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

14577

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,35,000

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

67500

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

लागू नहीं

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

40500

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7717

8081

1999-2000 उ०म०प्र०/

दिनांक-23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, (पेंशन सेल) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

2 श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी स्व० नरेन्द्र बहादुर सिंह, सेवानिवृत्ता वित्त परामर्शी एवं मुख्य लेखाधिकारी, पता-बी-15, सेक्टर-के, अलीगंज, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

आदर्श कोषागार,

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9337 दिनांक-24.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

7720

8636

2000-2001 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कौशल कुमार राय

सेवानिवृत्त

वरिष्ठ कार्मिक
अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1346 दिनांक 07.03.2001
(ग)	जन्मतिथि	07.07.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गायत्री राय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.08.1943
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	25.11.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 / 37400-67000 ग्रेड-पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2475
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 24875
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	45 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	-
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 50625
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	-
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2475
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 69625/- (दि०-07.06.2016 को पुनर्स्थापित) पेंशन 72100/- दि० 07.06.2016 से
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7720

8636

2000-2001 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.02.2019

व्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पेंशन वितरण अधिकारी एवम् अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, वाराणसी।

2. श्री कौशल कुमार राय, सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पता-ई-46, नन्द निवास, अशोक पुरम, डाफी, (बी०एच०यू०), वाराणसी।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 9340 दिनांक-26.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7730

8068

1999-2000

उ०प्र०/

दिनांक-23.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, आगरा।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शिवदान सिंह वर्मा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	734 दिनांक 24.07.1999
(ग)	जन्मतिथि	12.11.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शीला सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.10.1948
2. (क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	30.11.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400/37400-67000 ग्रेड पे-10000
(घ)	वेतन	₹ 20,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 26500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	₹ तालिका नं० 14
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 76500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7730

8068

1999-2000

उ०प्र०/ दिनांक-23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

2. श्री शिवदान सिंह वर्मा, सेवानिवृत्ति मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-463, सेक्टर-9 सिकन्दरा, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा। को प्रेषित पत्रांक 8350 दिनांक: 24.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7731

8091

1999-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-23.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राधिका देवी पत्नी स्व० कृष्ण कुमार सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता पाण्डेय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	858 दिनांक 20.11.1999
(ग)	जन्मतिथि	29.01.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधिका देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1999/02.10.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	10650-15200/15600-39100 ग्रेड पे-6800
(घ)	वेतन	₹ 13,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 4170
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 11
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 85,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 42900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25740
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7731

8091

1999-2000

उ०म०प्र० / दिनांक-23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल गोरखपुर।

2. श्रीमती राधिका देवी पत्नी स्व० कृष्ण कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-सी०-102/585 कालीजी मन्दिर मोहदीपुर गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9351 दिनांक 24.02.2019 के साथ सम्पूर्ण संप्रतिष्ठित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7736

8041

98-99

उ०प्र०/

दिनांक-23.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, बरेली।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम अवतार गुप्ता

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1259 दिनांक 15.12.2000
(ग)	जन्मतिथि	09.02.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशी वाला गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	04.03.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि	28.02.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे-8700
(घ)	वेतन	₹ 15,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 2205 पुनर्स्थापित दि० 15.03.2016
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20845 दि० 15.03.2016 तक तदुपरान्त ₹ 23050
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 12
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 2205
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ ₹ 59345 दि० 15.03.2016 तक तदुपरान्त 61550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7736

8041

98-99

उ०प्र०/ दिनांक-23.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, काटजू मार्ग, बरेली।

2. श्री राम अवतार गुप्ता, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता-334-सी, ब्रह्मपुरा तकिया चौक, भूड, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार, बरेली। को प्रेषित पत्रांक 9356 दिनांक 24.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

20



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



पत्र सं०

7744

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 23-2-2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आशीष कुमार मित्रा

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-द्वितीय

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	388 दिनांक	09.12.1997
(ग)	जन्मतिथि		23.09.1939
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कमला मित्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		31.12.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.09.1997
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74250
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7738

7744

1997-1998

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1

उप मुख्य लेखाधिकारी, के०को, 14/71, सिविल लाइन, कानपुर।

2

श्री आशीष कुमार मित्रा सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-द्वितीय, पता-73, इन्कमटैक्स हाउसिंग सोसाइटी, विनायकपुर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथ समक स्थानाधिकार

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7741

8924

2001-2002

उ०म०प्र० /

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री खातून निशा पत्नी स्व० मो० लतीफ अंसारी सेवानिवृत्त दफ्तरी कम साइक्लोस्टाइल का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	परिवारिक पेंशनर
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2314 दिनांक 05.08.2003
(ग)	जन्मतिथि	06.09.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती खातून निशा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06.10.1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.2000 / 27.10.2013
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4500-7500 / 5200-20200 / 3000
(घ)	वेतन	₹ 7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 3500
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 5
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 43,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 13110
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7741

8924

2001-2002

उ०म०प्र० / दिनांक:25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती खातून निशा पत्नी स्व० मो० लतीफ अंसारी, सेवानिवृत्ति दफ्तरी कम साइक्लोस्टाइल आपरेटर, पता-योगिता माण्टेसरी स्कूल के पास भरत नगर, महिवाव, थाना मोहिबुल्लापुर, जिला गोरखपुर, उ०प्र०। को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार लखनऊ। को प्रेषित पत्रांक 9361 दिनांक: 26.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7744

8080

1999-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, रामपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी स्व०
जहीरुद्दीन हैदर खान

सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशनर

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

829 दिनांक 13.01.1999

(ग) जन्मतिथि

13.10.1940

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती फरीदा बेगम

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.01.1958

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.10.1998 / 26.05.2008

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

पांचवा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

10650-15200 / 15800-39100 ग्रेड पे-6600

(घ) वेतन

₹

14,875

(ङ) मूल पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

लागू नहीं

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹

लागू नहीं

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

10088

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियाँ 62

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444

तालिका नं० 11

दि० 11.04.2018 के अनुसार)

(ख) निर्धारित वेतन

₹

88,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक

01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

44200

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित

₹

लागू नहीं

पेंशन

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स

₹

लागू नहीं

के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित

₹

लागू नहीं

सकल पेंशन

(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

लागू नहीं

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

लागू नहीं

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो

₹

लागू नहीं

चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

लागू नहीं

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

26520

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7744

8080

1999-2000

उ०म०प्र० / दिनांक:25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, रामपुर।

2. श्रीमती फरीदा बेगम पत्नी स्व० जहीरुद्दीन हैदर खान, सेवानिवृत्ति सहायक अभियन्ता, पता-मं.सं. 25, घेर, गिल्लियान जेल रोड, धाना-गंज, रामपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार रामपुर।

को प्रेषित पत्रांक 9384 दिनांक: 26.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7746

11114

06-07

उ०म०प्र० /

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुरेन्द्र कुमार चौहान

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3969 दिनांक 26.03.2007
(ग)	जन्मतिथि	04.04.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुधा ठाकुर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	30.12.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 40

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7746

11114

06-07

उ०म०प्र० / दिनांक:25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिराशी अभियन्ता विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, परिचमौचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।
- श्री सुरेन्द्र कुमार चौहान, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-285 न्यू आवास विकास, सहारनपुर-247001।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर। को प्रेषित पत्रांक 9386 दिनांक: 26.02.2018 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिराशी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 7747

8130

1999-2000

उ०प्र०/

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	840 दिनांक 27.10.1999
(ग)	जन्मतिथि	14.05.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.07.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे-8900
(घ)	वेतन	₹ 17,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	छमाहियाँ 66
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 13
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 67500
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7747

8130

1999-2000

उ०प्र०/ दिनांक:25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी केसको, 14/71, सिविल लाइन, कानपुर।

2. श्री रामेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्ति लेखाधिकारी, पता-133/117 ओ-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर। को प्रेषित पत्रांक 9387 दिनांक 26.02.2019 के साथै संपूर्ण स्थापित करें।

3.

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7750

9077

2001-2002

उ०म०प्र० /

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी,

कोषागार, सहारनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मनजीत कौर पत्नी स्व० सोविन्दर सिंह सेवानिवृत्त अधिशासी अभिनयता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशनर
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	1935 दिनांक 14.08.2002
(ग) जन्मतिथि	06.01.1944
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मनजीत कौर
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1946
2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2002
(ख) तत्समय लागू वेतनमान	पांचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000/10000
(घ) वेतन	₹ 20,400
(ङ) मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 16410
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	₹ लागू नहीं

3. दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका नं० 14
(ख) निर्धारित वेतन	₹ 1,48,500
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 44550
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7750

9077

2001-2002

उ०म०प्र० / दिनांक:25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभिनयता विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।
- श्रीमती मनजीत कौर पत्नी स्व० सोविन्दर सिंह, सेवानिवृत्त अधिशासी अभिनयता, पता-536, धुमन नगर गली नं० 10, सरहिन्द रोड, पटियाला (पंजाब)।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सहारनपुर। को प्रेषित पत्रांक 9370 दिनांक: 26.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभिनयता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10088

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 23.02.2019

कोषागार

वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री परमेश्वर चौधरी

अधिवर्षता

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2924 दिनांक 13-12-2004
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सनीचरी चौधरी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	18.08.1992
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (37400-67000 ग्रेड पे० 8900)
(घ)	वेतन	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	24,295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 13
(ख)	निर्धारित वेतन	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	69,550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	66510 दिनांक 13.03.2020 तक तदुपरान्त 69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7751

10088

04-05

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्धल, विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगस वाराणसी
- श्री परमेश्वर चौधरी से०नि० सहायक अभियन्ता, पता गो० धरहरा पो० कुम्हैला जिला बलिया
- को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमप्रो पावर कार्पोरेशन लि०

(उमप्रो पावर कार्पोरेशन लि०)

U. P. Power Corporation Limited

U. P. Power Corporation Limited

PENSIONING C/N 93720101/95950024928



पत्र सं०

7314

1994-1995

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक: 23/02/19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कैलाश चन्द्र गोविल

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9947 दिनांक 14.08.1995
(ग)	जन्मतिथि	12.07.1937
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किरन कुमारी गाविल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1995
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	3400-4750
(घ)	वेतन	₹ 4,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 2647
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 882
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 1765
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 1588
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 85,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 42910
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(।)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 42900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 42900
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25740
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7752

7314

1994-1995

उमप्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।
2. श्री कैलाश चन्द्र गोविल सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-136/4 गोविल निकेतन देवीनगर, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रो पा० का० लि०, शक्ति भवन, लेखनक।

लेखाधिकारी (पेंशन)



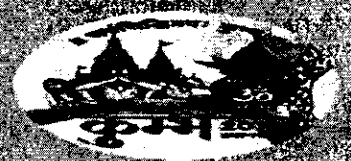
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1099SGC024928



पत्र सं०

12655

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक- 25.02.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सुमन

सेवानिवृत्त

अनुसेवक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5593	दिनांक 08.02.2012
(ग)	जन्मतिथि		06-12-151
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुरजा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		08-09-1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	19,480
(ङ)	मूल पेंशन	₹	9740
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3896
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	5844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	5844
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	50,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	25450
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	25450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	25450
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3896
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	21554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	15270
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7755

12655

11-12

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री राम सुमन, चपरासी सेवानिवृत्त पता मकान नं० 602/1444 कृष्ण विहार, डगरिया दुबंगा, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विनोद कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

REGISTRATION NO. 152201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12408

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक- 25-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रिजवानुल हसन फाजली

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5782	दिनांक 18.08.2012
(ग)	जन्मतिथि		04-02-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आरफा फाजली
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15-10-1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28-02-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	67,940
(ङ)	मूल पेंशन	₹	33970
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13588
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20382
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20382

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	177,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	88700
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13588
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	75112
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7757

12408

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
2. श्री रिजवानुल हसन फाजली, अधिशाली अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 4/647ए, दोधपुर, अलीगढ़-202002

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
100, Ganga Road, Lucknow-226002

PUNJ BENSIN CINRUS2200126165002626



पत्र सं०

12424

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रेखा निगम पत्नी स्व० रवीन्द्र कुमार सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5316 दिनांक 15.06.2011
(ग)	जन्मतिथि	04.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेखा निगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	13-04-1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-10/29-12-15
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छटा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 32015 दि० 03.07.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 03.07.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

12424

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती रेखा निगम पत्नी स्व० रवीन्द्र कुमार निगम, सहायक अभियन्ता पता सी-3174 सेक्टर-6, न्यू टेम्पो स्टैंड रोड, एम०आई०एस० चौराहा, राजाजीपुरम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-.....उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12203/10-11 दिनांक 25.02.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र संख्या 4336 दिनांक 08.12.2018 को निरस्त करते हुए निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्री रवि प्रकाश मिश्र, सेवानिवृत्त कार्मिक अधिकारी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	5157 07.02.2011
(ग)	जन्मतिथि	19.11.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मंजू मिश्र
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02.03.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतन आयोग
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 Grade Pay Rs. 10000
(घ)	वेतन	Rs. 61,600.00
(ङ)	मूल पेंशन	Rs. 30,800.00
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	Rs. 12,320.00
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	Rs. 18,480.00
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 18,480.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका न० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 124
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 162,300.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	Rs. 81,150.00
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	Rs. 81,150.00
(ङ)	राशिकृत पेंशन	Rs. 12,320.00
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	Rs. 68,830.00
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 48,690.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 7760 उ०प्र०/लेखा/पेंशन/ 12203/10-11

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री रवि प्रकाश मिश्र, सेवानिवृत्त कार्मिक अधिकारी पता- मिश्र भवन, 98 गोलार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

निदेशक कोषागार
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



सं० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(सं० प्र० सरकारी कोष प्रणाली)



पत्र सं०

10791

2005-2006

उ० प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25.07.17

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री धर्म चन्द

सेवानिवृत्त

महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3518	दिनांक	12.04.2006
(ग)	जन्मतिथि			31.12.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती किरन अरोरा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			06.10.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400/37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹		21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		6525
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20825
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		78800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		6525
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		72275
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में अंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुफ्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुफ्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7761

10791

2005-2006

उ० प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री धर्म चन्द, सेवानिवृत्त महाप्रबन्धक, पता-डी-2312, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुफ्तान प्राप्त करें

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

महानिरीक्षक
लेखाधिकारी (पेंशन)
21/7/17



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9650

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25-02-19

आदर्श कोषागार

लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती गीता सिंह पत्नी स्व० राजेन्द्र पाल सिंह पारिवारिक अधिशासी का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में। अभियन्ता

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	801 दिनांक 09-09-1999
(ग)	जन्मतिथि	16.08.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती गीता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.10.1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	12.05.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)
(घ)	वेतन	20,400
(ङ)	मूल पेंशन	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	55 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या 14
(ख)	निर्धारित वेतन	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	74,250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7763

9650

03-04

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
2. श्रीमती गीता सिंह पत्नी स्व० राजेन्द्र पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, पता 209 इन्साफ नगर, पानी गॉव इन्दिश नगर लखनऊ
3. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

23/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CINA 032201UP1999SGC824928



पत्र सं०

10808

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री फारूख अहमद

सेवानिवृत्त

आशुलिपिक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3550	दिनांक	20.04.2006
(ग)	जन्मतिथि			04.02.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती रिजवाना बी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			08.10.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			15600-39100 (6600)
(घ)	वेतन	₹		31,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹		15925
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4972
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		10953
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		9555
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		11 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		83,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		41650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		83900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4972
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		78328
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		24990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7764

10808

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री फारूख अहमद सेवानिवृत्त आशुलिपिक, पता-268/79/6 मास्टर कन्वैया लाल रोड तकिया, ऐशबाग, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर
भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

09/02/2019

लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

पेंशन PENSION NUMBER 201UP1999SEP0249285



पत्र सं०

10807

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जागेश्वर प्रसाद

सेवानिवृत्त

दफ्तरी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3509 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	31.03.2006
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	02.07.1945
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	श्रीमती कलावती
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	अंकित नहीं
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	31.07.2005
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	पंचम वेतनमान
(घ)	वेतन	6290+3145
(ङ)	मूल पेंशन	6,300
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	4718
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	1887
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	2831
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	2835
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	66 छमाहियाँ

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	06 ए० तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	41,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	20700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	20700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	1887
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	18813
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	12420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7765

10807

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/12/19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री जागेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त दफ्तरी, पता-146 विद्युत कालोनी, कृष्णा नगर, मानस नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited



पत्र सं०

4916

1984-1985

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विमल चन्द्रिका मित्तल पत्नी स्व० भगवान्
स्वरूप मित्तल

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	675 दिनांक 01.05.1999
(ग)	जन्मतिथि	08.07.1926
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विमल चन्द्रिका मित्तल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	17.03.1932
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1984
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6700-7500/63000-79000
(घ)	वेतन	₹ 6,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 24120
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	लागू नहीं
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ 01.01.16 से 16.03.17 तक 20 प्रतिशत रु० 10284/- तदुपरान्त दि० 17.03.17 से अग्रेतर 30 प्रतिशत अतिरिक्त रु० 15426/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

2766

4916

1984-1985

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती विमल चन्द्रिका मित्तल पत्नी स्व० भगवान् स्वरूप मित्तल, पता-टी/7, 802, पार्श्वनाथ प्रेसिडेंज-द्वितीय सेक्टर- 93ए, नोएडा-201304

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष संपर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government, Lucknow

पुनर्निर्माण सं0-2010/89950002-22



पत्र सं0

9381

2002-2003

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मुनीश्वर सहाय

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	2339	दिनांक 29.08.2003
(ग)	जन्मतिथि		08.07.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मिथलेश बिसारिया
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		22.04.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		22.04.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹	21,900
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4000
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं0	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,57,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	78800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	78800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4000
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹0 74800/-दि0 21.10.2018 तक
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	47280
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

9381

2002-2003

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/12/19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिरासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री मुनीश्वर सहाय सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता-1/882, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ0 प्र0 पा0 लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11731

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, को-

हाथरस

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

म शर्मा

सोयानिबृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पाणिनी	आर का विवर			
(क)	पेंशनर का नाम		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी० संख्या	4766	दिनांक	04.02.2010
(ग)	जन्म तिथि			04.08.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कुष्णा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि			अंकित नहीं
2. (क)	सेवा विवर			31.08.2009
(ख)	तत्कालीन वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान (ग्रेड बैंड)			37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹		58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹		29290
(च)	पेंशन का अंगीकृत भाग	₹		9446
(छ)	राशिकरण उपरान्त प्राप्त पेंशन	₹		19844
(ज)	पाणिनी पेंशन बढी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पाणिनी पेंशन साधारण दर पर	₹		17574
(ण)	पेंशनर की सरकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3. दिनांक	01.01.2016 को प्रकटित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पेंशनर का जन्म तिथि (आदेश सं०-444 दिनांक 18.07.2017 के अनुसार)		13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,52,000
4. प्रकटित वेतन के आधार पर वेतनांक 01.01.2016 से संबंधित पेंशन				
(क)	मूल पेंशन (निर्धारित प्रकटित वेतन के अनुसार)	₹		76000
(ख)	पेंशनर की सरकारी सेवा में होने की स्थिति में निर्धारित वेतन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 18.07.2017 के अन्तर्गत लागू वेतनमान के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त वेतन में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित वेतन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		76000
(ङ)	राशिकरण भाग	₹		9446
(च)	राशिकरण भाग बढी पेंशन यदि राशिकरण भाग पूर्णतः प्रकटित है तो उसका संज्ञान न लिया जाये	₹		66554
(छ)	पाणिनी पेंशन (बढी दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पाणिनी पेंशन (साधारण दर पर)	₹		45600
(झ)	अंतिम वेतन (अ.यु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु (1) में आगति पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 के बाद दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7768

11731

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

28/2/19

प्रति कोषाधिकारी को सूचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आदेश निर्गत विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, हाथरस।

2. श्री सोयानिबृत्त सहायक अभियन्ता पता - 13 बी, समनगर कालोनी, हाथरस।

3. कोषाधिकारी कोषागार हाथरस को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

मुग्तान प्राप्त करें।

के सम्बन्ध में स्थापित कर

3

श्री अग्नि-वेबसाइट, उ०प्र० पा० कार० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

मदन बिहारी शर्मा
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० कार० लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION DIN-03/2016/1999SGC024928



पत्र सं०

12430

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री बलजीत सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5312	दिनांक 13.06.2011
(ग)	जन्मतिथि		15-12-49
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुमित्रा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19-11-1961
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-09
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62,150
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31075
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21053
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18645
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70628 दि० 29.07.26 तक तदुपरान्त 80650
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

12430

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद
- श्री बलजीत सिंह, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 3सी/136, बुद्धि विहार कालोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

कोषाधिकारी (पेंशन)
प्राप्त करें।

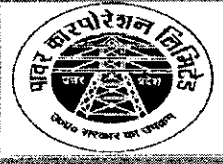
3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

कोषाधिकारी (पेंशन)

लेखा

उ० प्र० पा० का० लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12309

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उमा शंकर गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5223 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	29.03.2011
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	20.12.1950
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	श्रीमती कृष्ण गुप्ता
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	01.07.1954
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	31.12.2010
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	छठा वेतनमान
(घ)	वेतन	37400-67000 (8900)
(ङ)	मूल पेंशन	64,030
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	32015
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	12806
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	19209
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	19209
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	40 छमाहियाँ

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	1,66,100
4	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

ड

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7770

12309

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/01/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री उमा शंकर गुप्ता सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-प्लॉट नं०-2 नार्थ ब्लॉक बी, गौरी बिहार, सरोजनी नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-0322011UP1999500024928



पत्र सं०

10896

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश चन्द्र कपूर

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्धता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3672	दिनांक 31.07.2006
(ग)	जन्मतिथि		25.06.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुनन्दा कपूर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.02.1953
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11042
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20813
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,77,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11042
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	77658
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

10896

2006-2007

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/12/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री रमेश चन्द्र कपूर सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता- 501, आरचिड ब्लॉक, एल्टिको पार्क न्यू अपार्टमेंट, सीतापुर रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN- U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10809

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सुभाष चन्द्र

सेवानिवृत्त

अधिरासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3652 दिनांक 14.07.2006
(ग)	जन्मतिथि	08.07.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती बीना सोम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000
(घ)	वेतन	₹ 20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 13864
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 5545
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 8319
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9000
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	61 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 5545
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 60005
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7772

10809

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिरासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०,विक्टोरिया,पार्क,मेरठ।

2. श्री सुभाष चन्द्र सेवानिवृत्त अधिरासी अभियन्ता, पता-6/260 श्रद्धापुरी फेज-प्रथम,ककर खेड़ा मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्बन्ध में स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिरासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

8079

99-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती प्रमिला पाण्डे पत्नी स्व० दशरथ प्रसाद

सेवानिवृत्त

दफ्तरी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	683 दिनांक 12.05.1999
(ग)	जन्मतिथि	18.12.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती प्रमिला पाण्डे
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1953
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.1998/10.11.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पाँचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4200-6400/5200-20200 ग्रेड पे 2600
(घ)	वेतन	₹ 5,800
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 3932
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	4 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 35,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 17700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 10620
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7773

8079

99-2000

उ०म०प्र० /

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

25/12/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्रीमती प्रमिला पाण्डे पत्नी स्व० दशरथ प्रसाद (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता एफ 997, राजाजीपुरम, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का समूह)

U.P. 2007-2008 (U.P. 2007-2008)

(U.P. 2007-2008)

U.P. 2007-2008 (U.P. 2007-2008)



पत्र सं०

9374

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शशि कान्त

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2244	दिनांक	09.06.2003
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती रेखा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			04.04.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			03.12.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹		22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		4270
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23080
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		4270
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 76880/दि० 06.09.18 तक तदुपरान्त ₹ 81150/-	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुरूप इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7774

9374

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2. श्री शशि कान्त, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता-सी-34, सेक्टर-34, नोएडा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के संपेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)



पत्र सं०

10977

2006-2007

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कुलदीप चन्द्र रस्तोगी

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3711	दिनांक 30.08.2006
(ग)	जन्मतिथि		22.06.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुनीता रस्तोगी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		30.01.1956
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		53710+10000 (63710)
(घ)	वेतन	₹	63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9536
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22319
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		57 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	72200
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72200
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9536
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	62664
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

10977

2006-2007

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/12/19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री कुलदीप चन्द्र रस्तोगी, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-3/35 विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सम्पन्न सम्पत्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
25/12/19
शक्ति भवन, लखनऊ-3



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

PENSION (CIN: 032201UP1999SCCO24928)



पत्र सं०

12442

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मसुदुल हक

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6599 दिनांक 26.09.14
(ग)	जन्मतिथि	01-07-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती इशरत जहाँ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	02-06-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-06-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17574
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 152,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 76000
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

12442

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-न्यूल विद्युत वितरण निगम लि०, गोरखपुर
2. श्री मसुदुल हक, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता मो० घोसीपुर, तिवारीपुर थाना रोड, निकट मस्जिद, गोरखपुर
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



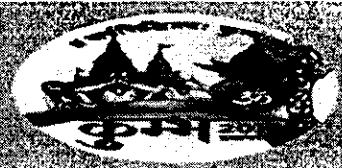
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13722

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
बरेली

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6906 दिनांक 07.11.2015
(ग)	जन्मतिथि	03.04.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती पुष्पारानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.01.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 63,180
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31590
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12636
(छ.)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 18954
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 31590/-दि० 02.04.2020 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18954
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,65,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 82700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(।)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 82700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12636
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70064
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 82700/-दि० 04.04.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49620
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7777

13722

2015-2016

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/12/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।
- श्री राजेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-एस-98, गंगा नगर, निकट सिख मिशनरी स्कूल बदायूँ रोड, बरेली।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार बरेली को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(विद्युत, पानी, गैस, ताप, शक्ति, इत्यादि)

(विद्युत, पानी, गैस, ताप, शक्ति, इत्यादि)

पंजीकरण सं० १०१०/१९९८/१९९८



पत्र सं०

7915

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: १९/०२/१९

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री चन्द्र मोहन शर्मा

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	549	दिनांक 29.10.1998
(ग)	जन्मतिथि		26-04-1940 26-06-1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आरती शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		16.11.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		59 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	66375
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	72100
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	72100
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

1773

7915

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री चन्द्र मोहन शर्मा, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-5/891, विकास नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

लेखाधिकारी (पेंशन)

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन)



पत्र सं०

14165

2017-2018

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उमेश नारायण तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7269	दिनांक 27.07.2017
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नीरा तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.07.1957
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		15600-39100 (5400)
(घ)	वेतन	₹	35,860
(ङ)	मूल पेंशन	₹	17930
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	7172
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	10758
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		₹ 17930/-दि० 29.06.2022 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10758 तदुपरान्त
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	92,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	46350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	46350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	7172
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	39178
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	₹ 46350/-दि० 29.06.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	27810 तदुपरान्त
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

14165

2017-2018

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री उमेश नारायण तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता-म०न०-डी-43, सर्वोदय नगर, पोस्ट-सर्वोदय नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

25/12/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Government Undertaking)

पंजन REGISTRATION NO. U32201UP1999SG0021928



पत्र सं०

10798

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय कुमार

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3765 दिनांक 29.09.2006
(ग)	जन्मतिथि	25.07.1966
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रचना सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	16.02.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 15,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 9779
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9779
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	28 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 26113
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 61550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7780

10798

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/02/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री विजय कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-उपनिदेशक (निर्माण), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन, मण्डी परिषद, देहरादून।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

MR. Kumar
25/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन
मण्डी परिषद, देहरादून



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Power Corporation Limited)

Pension Form-18/2017/UPPSC/02/1928



पत्र सं०

10053

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामधनी गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4142	दिनांक 08.02.2008
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सरस्वती गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	32,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	5825
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21525
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	5825
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70675
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

र०७८/

10053

2004-2005

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/02/18

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री रामधनी गुप्ता, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-बी-34, सेक्टर-एल, एल०डी०ए० कानपुर रोड, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
25/02/18
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12672

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

गोण्डा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवेश मिश्रा

सेवानिवृत्त

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5636 दिनांक 20.03.2012
(ग)	जन्मतिथि	05.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्रावती मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.04.1957
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 19788
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

12672

2011-2012

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, गोण्डा।

2. श्री देवेश मिश्रा, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी, पता-ग्राम चकरीत, पोस्ट-पाण्डे चौरा, जिला-गोण्डा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गोण्डा

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०को०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(U.P. Power Corporation Limited)

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CN-132201UP/999SPC024928



पत्र सं०

13397

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अनिल कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6408	दिनांक 11-02-2014 44740
(ग)	जन्मतिथि		22.02.1954
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रेनु अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.01.1957
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		28.02.2014
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	77,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	38500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	15400
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23100
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	23100
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,99,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	15400
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	84400
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7703

13397

2013-2014

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25/2/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री अनिल कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-म०न०-बी-503, फौरचुना अपार्टमेंट, 15 जोपलिंग रोड, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

18-12-2017

18-12-2017

18-12-2017



पत्र सं०

8766

2000-2001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजपाल सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1489	दिनांक 27.07.2001
(ग)	जन्मतिथि		30.12.1942
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती द्रोपा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2000
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000
(घ)	वेतन	₹	18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2320
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21975
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66	छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	67500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	67500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2320
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	65180
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लामप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

8766

2000-2001

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/12/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्री, अलीगढ़।

2. श्री राजपाल सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-रामसहाय, यू०सी०ओ०, बैंक के पास, जहाँ सिकन्दरपुर, अलीगढ़ जवान, उत्तर प्रदेश, -202126,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

भुगतान प्राप्त करें

के सम्पर्क स्थापित कर

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
25/12/19
अलीगढ़



उ०प्र० प्रावर कारपोरेशन लि०

(स०प्र० सरकार का उपक्रम)

पञ्जाब प्रदेश, भारत

पञ्जाब प्रदेश, भारत



पत्र सं०

6220

87-88

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

हरिद्वार

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विष्णु प्रसाद

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9703	दिनांक 10.08.1994
(ग)	जन्मतिथि		19.03.1930
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नोर्ली देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.1988
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		2600-4000
(घ)	वेतन	₹	2,750
(ङ)	मूल पेंशन	₹	1527
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	1527
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	458
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	59,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	29750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	29750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	29750
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	17850
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.2016 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त रू० 8925/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7786

6220

87-88

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/12/19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उत्तराखण्ड विद्युत वितरण निगम लि०, हरिद्वार।
- श्री विष्णु प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-मो० जहरन, पो० ज्वालापुर, जिला-सहारनपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार हरिद्वार को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सम्पर्क सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

25/12/19
लेखाधिकारी (समीक्षा)
पञ्जाब प्रदेश, भारत



उ०प्र० गावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० साकार काउपलम)

सहायक अभियन्ता, पता-1/161, विकास नगर, कुर्सी रोड, लखनऊ।

पिन कोड-226001, फ़ोन-2536022/223



पत्र सं०

12966

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

फ़ैजाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रमेश कुमार सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5950	दिनांक 21.01.2013
(ग)	जन्मतिथि		07.07.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती माधुरी सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		17.01.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	64,340
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32170
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12868
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19302
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19302
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		0

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12868
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70182
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7787

12966

2012-2013

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, फ़ैजाबाद।

2. श्री रमेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-1/161, विकास नगर, कुर्सी रोड, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार फ़ैजाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सम्मेलन सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० गावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(स०प्र० सरकार का उपक्रम)

पता: 561/322, सिन्धुनगर लखनऊ

पं० सं० 11344, 2008-2009 उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन दिनांक:



पत्र सं०

11344

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4185	दिनांक 10.06.2008
(ग)	जन्मतिथि		22.05.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राकेश शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.08.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹	58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹	29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9446
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19844
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	17574
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,52,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9446
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66554
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7788

11344

2008-2009

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25/02/19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-561/322, सिन्धुनगर लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

25/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9210

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

कोषाधिकारी, कोषागार,
जौनपुर।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विजय प्रकाश लाल

सेवानिवृत्त

सहायक

लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1912 दिनांक 30-07-2002	
(ग)	जन्मतिथि		01.07.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती आशा अस्थाना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.06.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड-पे-8900
(घ)	वेतन	₹	16,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹	23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	2467
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20583
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,30,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	65300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	2467
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	62833/- दि०-18.10.2017 तक 65300/- दि०-17.10.2017 से अग्रेतर
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	39180
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

77-81

9210

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25/02/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, जौनपुर।

श्री विजय प्रकाश लाल, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी पता-म०नं०-151डी, वल्लोचटोला, अचला देवी मार्ग, सिपाह, जौनपुर।

2. को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

कोषागार जौनपुर

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

को सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12324

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार गौतमबुद्धनगर

विषय- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेमनाथ सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5315 दिनांक 15.06.2011
(ग)	जन्मतिथि	23.03.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजेश्वरी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	03.02.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा; दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

2790

12324

10-11

उ०प्र०/

दिनांक- 25/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिधमॉंचल विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

2. श्री प्रेमनाथ सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 11/14 पाम रोड, शिवा सन सिटी, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गौतमबुद्धनगर

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, राशि गवना, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

राशि गवना, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Owned Enterprise)

REGD. NO. 101/1995-1996/202428



पत्र सं०

12434

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

जौनपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम कुमार गुप्ता

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6542	दिनांक 14.08.2014
(ग)	जन्मतिथि		20-08-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती ऊषा गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06-01-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-08-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11810
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19270
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11810
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68840 दि० 14.11.29 तक तदुपरान्त 80650
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से ~~दिए~~ जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7791

12434

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-25/11/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, जौनपुर

2. श्री राम कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता ग्राम व पोस्ट सकल डीहा बाजार, वाराणसी/चन्दौली

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार जौनपुर को प्रेषित पत्राक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट उ०प्र०पावरकारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12352

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, मथुरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कँवरजीत सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5680 दिनांक 07.05.2012
(ग)	जन्मतिथि	06.06.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती निर्मल जीत कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 58,580
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 29290
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19268
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	29290 दि० 05.06.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17574
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,52,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 76000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 76000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जायै	₹ 65978
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 76000 दि० 05.06.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45600
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7792

12352

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, मथुरा

2. श्री कँवरजीत सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता कोठी नं० 86, ग्वालियर रोड, नीलखा बाजार, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मथुरा

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के रापेस सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शांति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12326

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, देवरिया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री भोला प्रसाद सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5219 दिनांक 25.03.2011	
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1951	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती शान्ति देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹	60,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	3 प्रति० दण्ड के उपरान्त दि० 23.01.15 से 29294
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	11788
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	17506
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18120
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छम्हियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,55,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	77950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	3 प्रति० दण्ड के उपरान्त (77950-2339) 75611 दि० 23.01.2015 से
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	-
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	11788
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	63823
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	46770
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7793

12326

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया
- श्री भोला प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, पता कठिनार्थी चौराहा, जेल पुलिस चौकी, दामापुर जेल रोड देवरिया, जनपद देवरिया

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार देवरिया को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, देवरिया, उ०प्र०पा०क०लि०, शक्ति भवन, लेखनांक ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विनिर्देशक कोषागार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
भारत भवन, देवरिया



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12354

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, बदायूँ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री फरहत उल्ला खॉँ

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5339 दिनांक 05.07.2011
(ग)	जन्मतिथि	20.07.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ताहिरा बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10.06.1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 57,510
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 28755
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ 11502
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 17253
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	28755 दि० 19.07.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17253
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,51,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 75700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 75700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11502
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64198
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 75700 दि० 19.07.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

2794

12354

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-25/01/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योत्तर विद्युत वितरण नियम लि०, बदायूँ

2. श्री फरहत उल्ला खॉँ, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता मो० जलाल की सराय, बदायूँ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

बदायूँ

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12371

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सतीश कुमार सच्चर

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5285 दिनांक 21.05.2011	
(ग)	जन्मतिथि	14.03.1951	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती नीलम सच्चर	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	16.08.1955	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.03.2011	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹ 64,030	
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32015 दि० 13.03.2016 तक	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹ 83050	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70244	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 13.03.2018 तक	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

12371

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

2. श्री सतीश कुमार सच्चर, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 166, ग्रेटर गंगा कालोनी, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सर्वक स्थपित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०कालोनी, राफ़ी गवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

निमरोज कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

अतिरिक्त शासन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12374

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5529 दिनांक 17.12.2011	
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रेखा शर्मा	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अकित नहीं	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2009	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 गेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹ 62,160	
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21058	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80650	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80650	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका सञ्चालन न लिया जायै	₹ 70628	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 80650 दि० 31.12.2016 तक	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7796

12374

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, परिवर्धन विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

2 श्री राम कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता बी-99, शिवाजी कालोनी, लाल क्वार्टर रजवन, मेरठ कैंट, मेरठ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6385

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण सरन माथुर

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तार-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6966 दिनांक 11.12.1989
(ग)	जन्मतिथि	28.08.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कुसुम माथुर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	26.10.1934
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ (31500 + 6300) 37800 (20प्रति० अतिरिक्त सम्मिलित)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 85700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 85700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जाय	₹ 85700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से 27.08.16 तक 20प्रति० अतिरिक्त 17140, दि० 28.08.16 से 30प्रति० अतिरिक्त 25710

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आश्रित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6385

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-25/07/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री कृष्ण सरन माथुर, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर 1, पता 15/102, सेक्टर 15, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

13789

15-16

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नी स्व० राकेश कुमार वर्मा सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक तृतीय का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2018 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6864 दिनांक 14.09.2015
(ग)	जन्मतिथि	15.05.1969
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुनीता वर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.08.1972
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	02.03.2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹ 17,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹ -
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	8925 दि० 02.03.2025 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 5355
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	
3	दिनांक 01.01.2018 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 46,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2018 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 23300 दि० 02.03.2025 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 13980
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7790

13789

15-16

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)
25/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती सुनीता वर्मा पत्नी स्व० राकेश कुमार वर्मा, कार्यालय सहायक तृतीय (दिवंगत), पता 592ज/134 ब्रह्ममण्डोला, खरिका, तोलीबाग, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
विद्युत एवं यांत्रिक इकाई
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6340

89-90

उ०म०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जगदीश स्वरूप चावला

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6964 दिनांक 05.09.2009
(ग)	जन्मतिथि	15.04.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राज रानी चावला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.01.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.04.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600 / 14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 5,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 23050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23050
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	62 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 61550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 57820
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 61550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 61550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से 30.03.16 तक 20 प्रति० अतिरिक्त 12310, दि० 01.04.16 से 30 प्रति० अतिरिक्त 18465

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7799

6340

89-90

उ०म०प्र०/

दिनांक-25/2/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणीयल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
2. श्री जगदीश स्वरूप चावला, सेवानिवृत्त अधिकासी अभियन्ता, पता 4 लाजपत कुंज, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्री जगदीश स्वरूप चावला



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7801

12954

12-13

उ०म०प्र० /

दिनांक-26.02.2019

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती मंजू मटनागर पत्नी स्व० राजेन्द्र सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी
मोहन मटनागर

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

पारिवारिक पेंशनर

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

5860 दिनांक 11.10.2012

(ग) जन्मतिथि

22.06.1953

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती मंजू मटनागर

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

18.08.1955

2.(क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

31.07.2012

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 / 8700

(घ) वेतन

₹

66,020

(ङ) मूल पेंशन

₹

33010

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

13204

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

19806

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

₹ 33010 दि० 21.06.18 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

19806

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

छमाहियाँ 66

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

तालिका नं० 13

(ख) निर्धारित वेतन

₹

1,70,400

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

85200

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)/(घ) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2018 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)

₹

85200

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

13204

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय

₹

₹ 71996 दि० 25.07.2018 तक

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

₹ 85200 दि० 21.06.2020 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

5120 64336
लागू नहीं

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7801

12954

12-13

उ०म०प्र० / दिनांक:26.02.2019

प्रतिप्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती मंजू मटनागर पत्नी स्व० राजेन्द्र मोहन मटनागर, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी पता-268/22, रामपुरम, निकट, न्यू तिलक नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ।

को प्रेषित पत्रांक 9383 दिनांक: 27.02.2019 के सापेक्ष सम्पन्न स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7821

10178

2004-2005 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गंगाराम सिंह

सेवानिवृत्त

सहायक

अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2908 दिनांक 30.11.2004	
(ग)	जन्मतिथि		06.07.1946
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रानी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.2004
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पांचवा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	13890
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66510/- दि० 28.02.2020 तक तदुपरान्त 69550/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7821

10178

2004-2005 उ०म०प्र०/

दिनांक-25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी।
- श्री गंगाराम सिंह, सेवानिवृत्ता सहायक अभियन्ता, पता-बी-30/107, ई-7 एफ, प्रभात नगर कालोनी, नगवा लंका, वाराणसी-221005

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषागार

वाराणसी

को प्रेषित पत्रांक 9357 दिनांक-26.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण व्यापक मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

7826

6682

1991-1992 उ०म०प्र० /

दिनांक-25.02.2019

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्व० दुर्गादत्त मट्ट सेवानिवृत्त हेड सिव्थोरिटी गार्ड का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9613 दिनांक 16.04.1994
(ग)	जन्मतिथि	14.11.1932
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती देवकी देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.11.1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.1990 / 23.12.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चौथा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	1200-1800 / 5200-20200 ग्रेड पे-2600
(घ)	वेतन	₹ 1,290
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ 3500
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	31 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	04 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 28,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका सञ्ज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 9000
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7826

6682

1991-1992 उ०म०प्र० /

दिनांक-25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई, (पेंशन प्रकोष्ठ) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्व० दुर्गादत्त मट्ट, सेवानिवृत्त हेड सिव्थोरिटी गार्ड, पता-ग्राम-वेलतड़ी पोस्ट-वेलतड़ी जिला पिथौरा गढ़।

को इस आशय से प्रेषित कि वह आदर्श कोषागार, लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9362 दिनांक-26.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6386

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार हरदोई

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मिश्री लाल कनौजिया

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9567	दिनांक 01.03.1994
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती यशोधरा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		02.01.1936
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.1988
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		2225-3500/9300-34800 ग्रेड पे 4800
(घ)	वेतन	₹	2,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹	11608
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	11608
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ	
3	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	8 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	55,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	27600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूरी)	₹	27600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	27600
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	16560
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	

दि० 01.01.2016 से 30 प्रति 0 अतिरिक्त 8280

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7836

6386

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-25/2/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मध्योत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, हरदोई
- श्री मिश्री लाल कनौजिया, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता ग्राम मजेहटा, पो० गौरागंज, जनपद हरदोई

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

हरदोई

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण कार्यवाही कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, राकिा भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

ले०, लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०

रा० रा० न०, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Ltd. (UPPCL)

(U.P. Government Undertaking)

Noida Registration No. 187/KM/1999/2026



पत्र सं०

12436

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री जुल्लिकार अली बेग

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5277	दिनांक 12.05.2011
(ग)	जन्मतिथि		01-01-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रायका बेगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-12-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

2837

12436

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक-25/12/19

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़

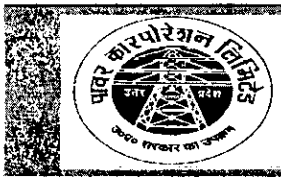
2. श्री जुल्लिकार अली बेग, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 4/271 नगला जमालपुर, जमजमगली, निकट मलिक हेल्थ फिटनेश क्लब, सिविल लाइन, अलीगढ़

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Undertaking

PENSION PLAN 1320 UPR 1985-024928



पत्र सं०

12422

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी स्व० राम कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5527 दिनांक 17.12.2011
(ग)	जन्मतिथि	02-01-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ऊषा शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23-11-1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-01-11/27-02-17
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 57,220
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 28610
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11444
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 17166
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	28610 दि० 01.01.18
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 17166
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहिया
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 151,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 75700
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 75700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 75700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11444
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 64256
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 75700 दि० 01.01.16
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 45420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7838

12422

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद

2 श्रीमती ऊषा शर्मा पत्नी स्व० राम कुमार शर्मा, लेखाकार पता 497/1 फूल बाग कालोनी, पुलिस चौकी के पीछे, जैमिनी पब्लिक स्कूल के पास, मेरठ शहर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०

श्री



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6369

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार मुरादाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती रोशन आरा बैगम पत्नी स्व० ए०ए० सेवानिवृत्त अधिशासी अगियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9981 दिनांक 12.10.1995
(ग)	जन्मतिथि	16.09.1930
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती रोशन आरा बैगम
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	27.03.1944
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1988
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	4250-5600/37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 5,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 6071
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,23,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्ण)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36930
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु 4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7839

6369

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-25/2/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशासी अगियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पश्चिमवेल विद्युत वितरण निगम लि०, मुरादाबाद।
- श्रीमती रोशन आरा बैगम पत्नी स्व० ए०ए० खान, अधिशासी अगियन्ता (दिवंगत), पता मोहल्ला घर साईद खान, फैजगंज, मुरादाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मुरादाबाद को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क समर्पित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिशासी अगियन्ता, वेबसाइट: उ०प्र०पावरकॉर्पोरेशन.ली०, शांति गवर्न, लखनऊ।

विमोक्ष कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शांति गवर्न, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12396

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री प्रेम प्रकाश दीक्षित

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अग्नियन्त्र

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5631 दिनांक 12.02.1951
(ग)	जन्मतिथि	12.02.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती किरन दीक्षित
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.08.1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	28.02.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 68,270
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 34135
(च)	पेंशन का राशिकृत माग	₹ 13654
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20481
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	34135 दि० 20.02.2016 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 20481
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,77,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 88700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 88700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 13654
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 75046 दि० 03.04.2027 तक तदुपरान्त 88700
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 53220
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

78840

12396

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

25/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अधिशासी अग्नियन्त्र, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री प्रेम प्रकाश दीक्षित, सेवानिवृत्त अधीक्षण अग्नियन्त्र, पता 3/159, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श कोषागार

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष समकक्ष स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अग्नियन्त्र, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12330

15-16

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मानु प्रताप राम

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता
स्तर-1

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5297 दिनांक 30.05.2011
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शकुन्तला
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.07.1958
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 11000
(घ)	वेतन	₹ 76,740
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38370
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15348
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23022
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 23022
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,98,700
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99350
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 99350
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15348
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 84002
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59610
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7841

12330

15-16

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)
25/2/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री मानु प्रताप राम, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1, पता 11/184, इन्दिरानगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श कोषागार

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के साथ सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उद्योग विभाग कारपोरेशन लि०

(उद्योग विभाग कारपोरेशन लि०)

पता: 22/336 काठगोला, रामनगर, वाराणसी-221008

फोन: 2220100, 2220101, 2220102, 2220103



पत्र सं०

13497

14-15

उ०म०प्र०/

दिनांक- 25.02.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शेख मुहम्मद नूरुल हक

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिर्वर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

6513

दिनांक

22.07.14

(ग) जन्मतिथि

05-06-54

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्री नफीसा परवीन

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

25-12-1956

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

30-06-14

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठा वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे 10000

(घ) वेतन

₹

77,000

(ङ) मूल पेंशन

₹

38500

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

₹

15400

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

₹

23100

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

38500 दि० 04.06.19 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

₹

23100

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

14 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

₹

199,600

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

₹

99800

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

₹

99800

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

₹

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

₹

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

₹

99800

(ङ) राशिकृत पेंशन

₹

15400

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

₹

84400

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

₹

99800 दि० 04.06.21 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

₹

59880

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

₹

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7842

13497

14-15

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री शेख मुहम्मद नूरुल हक, मुख्य अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 2/336 काठगोला, रामनगर, वाराणसी-221008

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करे।

3

अधिशासी अभियन्ता वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उपकरण का उपयोग लि०

(उपकरण का उपयोग लि०)

उपकरण का उपयोग लि०

पुनरुद्धार लि०



पत्र सं०

12427

11-12

उपकरण का उपयोग लि०

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अवध बिहारी त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

अधिकासी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पीपीओओ संख्या	5559 दिनांक 13.01.2012
(ग)	जन्मतिथि	25-07-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मीरा त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05-08-1959
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 76,100
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 38050
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 15220
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22830
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	38050 दि० 24.07.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 199,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 99800
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 99800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 99800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 15220
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 84580 दि० 13.04.27 तक तदुपरान्त 99800
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 59880
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

पत्र सं०

12427

11-12

उपकरण का उपयोग लि०

दिनांक-25/12/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर
2. श्री अवध बिहारी त्रिपाठी, अधिकासी अभियन्ता सेवानिवृत्त पता एफ-11 एम०आई०जी०, गुजनी, कानपुर-208022

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिकासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपकरण का उपयोग लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12395

10-11

उ०म०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र सिंह यादव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6941	दिनांक 21.12.2015
(ग)	जन्मतिथि	28.08.1950	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.08.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	58,930
(ङ)	मूल पेंशन	₹	25784
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10313
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15471
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,55,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	77950
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	68162
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10313
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	57849 दि० 21.03.2031 तक तदुपरान्त 68162
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु 4 (घ)/(ज) में आगमिता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

12395

10-11

उ०म०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिसूची अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, दक्षिणोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता मकान नं० 7 हरीश नगर कालोनी, 51 सिकन्दरा आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सापेक्ष स्थिति का भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०नि०, शक्ति गमन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपमहानगर कारपोरेशन लि०

(उपमहानगर का स्वरूप)

उपमहानगर का स्वरूप

उपमहानगर का स्वरूप



पत्र सं०

7462

1996-1997

उममप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण चन्द्र वार्ष्णेय

सेवानिवृत्त

उप महाप्रबन्धक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	153	दिनांक 27.09.1996
(ग)	जन्मतिथि		26.07.1938
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्दू वार्ष्णेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		23.11.1946
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.07.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	19,550
(ङ)	मूल पेंशन	₹	26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	26500
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	69550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.07.18 से ₹० 13910/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7845

7462

1996-1997

उममप्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उममप्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री कृष्ण चन्द्र वार्ष्णेय सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक, पता : ए-384, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

मुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उममप्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उमप्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

PENSION CIRCULAR 220/11-99/SGC024928



पत्र सं०

6357

89-90

उमप्रो/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, अलीगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती जाहिदा खातून पत्नी स्व०
राशिदुल्लाह खान

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि० पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8084 / 1810 दिनांक 16.05.90/30.04.2002
(ग)	जन्मतिथि	12.12.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती जाहिदा खातून
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	06-08-1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-12-89/20-01-14
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 4,875
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 123,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 36940
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7849

6357

89-90

उमप्रो/

दिनांक-25/12/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, अलीगढ़
- श्रीमती जाहिदा खातून पत्नी स्व० राशिदुल्लाह खान, सहायक अभियन्ता पता 4/11-1 बरगद हाउस कम्पाउण्ड, दोलापुर रोड, अलीगढ़
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार अलीगढ़ को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उमप्रो पावर कारपोरेशन लि०, राक्षस भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

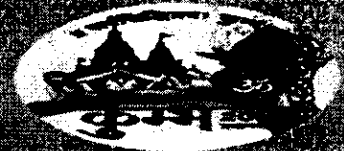
उम प्रो पावर कारपोरेशन लि०
राक्षस भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सार्वजनिक उपकरण)

पुनर्वासि/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन



पत्र सं०

7966

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 25.02.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती संतोषलता श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रेम नारायण श्रीवास्तव सेवानिवृत्त उप सचिव का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	630 दिनांक 11.03.1999
(ग)	जन्मतिथि	02.07.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती संतोषलता श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	22.02.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1998/12.05.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	14300-18300/37400-67000 (8700)
(घ)	वेतन	₹ 16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 11051
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,26,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7966

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्रीमती संतोषलता श्रीवास्तव पत्नी स्व० प्रेम नारायण श्रीवास्तव सेवानिवृत्त उप सचिव, पता-2/216, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्राक दिनांक के साक्षात् सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Government Enterprise

INCORPORATION IN 18/2/2011 & 19/05/2012



पत्र सं०

6351

89-90

उ०म०प्र० /

दिनांक- 25.07.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती चन्द्र प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3536 दिनांक 17.04.2006
(ग)	जन्मतिथि	08.07.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चन्द्र प्रभा श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	21-03-1941
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-89
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6700-7500/21350-23975/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 171,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6351

89-90

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्रीमती चन्द्र प्रभा श्रीवास्तव पत्नी स्व० कैलाश नाथ श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता स्तर-1 पता 3/244 विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

25/07/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

1012/2017/पावर कारपोरेशन लि०

पैन PENSION/0322010/1012/2017/2018



पत्र सं०

6356

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

कोषागार, शाहजहाँपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमलेश्वरी गुप्ता पत्नी स्व० रिक्की सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता लाल गुप्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7014/6356 दिनांक 11.01.90/09.07.2015
(ग)	जन्मतिथि	03.07.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमलेश्वरी गुप्ता
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	10-07-1945
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-07-89/02-02-15
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	15600-39100 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	₹ 4,125
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7923
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहिया
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 22860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

6356

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, शाहजहाँपुर
- श्रीमती कमलेश्वरी गुप्ता पत्नी स्व० रिक्की लाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता पता मोहल्ला अकब मस्जिद कॉच, शाहजहाँपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार शाहजहाँपुर को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3 अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
दिनांक-25/2/19
21/02/19
प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं० 6352 89-90 उ०प्र०/ दिनांक-
कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

कु० रुचि श्रीवास्तव पुत्री स्व० कृष्णा राम सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण			
(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9111 दिनांक	05.01.93
(ग)	जन्मतिथि		00-01-00
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		कु० रुचि श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		12-02-1967
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-07-89/11-11-93
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		3400-4750 / 10650-15200 / 15600-39100 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	₹	4,875
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	7923
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	88,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	26520
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं० 6352 89-90 उ०प्र०/ दिनांक- 25/01/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- कु० रुचि श्रीवास्तव पुत्री स्व० कृष्णा राम श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता पता मकान नं० 2/71 विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

21/02/19

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12962

12-13

उ०म०प्र० /

दिनांक-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० जुगुल
किशोर

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5820 दिनांक 15.09.2012
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1973
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती कमला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	07.04.1968
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	05.06.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5200-20200 ग्रेड पे 2200
(घ)	वेतन	₹ 11,790
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	5895 दिव० 05.06.2021 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 3865
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	36 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	3 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 15550 दि० 05.06.21 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 9330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

2056

12962

12-13

उ०म०प्र० /

दिनांक

25/12/19

लेखाधिकारी (पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व० जुगुल किशोर, (दिवंगत), पता मकान नं० 350, नई बस्ती पुराना बरफखाना, उदयगंज, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक

के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

पेंशन पेंशनर का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।



पत्र सं०

8284

99-2000

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री कृष्ण कान्त सिंह

सेवानिवृत्त

अनुभाग अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	884 दिनांक 15.12.99
(ग)	जन्मतिथि	25-11-41
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती चम्पा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30-11-99
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	14300-18300 / 37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ)	वेतन	₹ 16,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 22701 दि० 20.07.10 से
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ पुर्नस्थापित 01.02.15
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22701
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 13830

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

65 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	12 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 126,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 63400
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 63400
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 62440
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 61550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ 62440
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 62440
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ पुर्नस्थापित 01.02.15
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 62440
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 38040
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

7857

8284

99-2000

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

25/02/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री कृष्ण कान्त सिंह, अनुभाग अधिकारी सेवानिवृत्त पता डी-155/4 हाइडिल कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

21/02/19

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

Pension Pension Lin-132201UP-999SGG021928



पत्र सं०

12492

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री खेम चन्द्र चोपड़ा पति स्व० रमन बाला सेवानिवृत्त आशुलिपिक का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5419 दिनांक 01.09.2011
(ग)	जन्मतिथि	10-11-55
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्री खेम चन्द्र चोपड़ा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	29-09-1952
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	20-12-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	₹ 34,850
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	17425 दि० 09.11.20
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10455
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	9 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 90,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 45150 दि० 09.11.20 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 27090
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

पत्र सं०

२४१४०

12492

11-12

उ०प्र०/

दिनांक-

लेखाधिकारी (पेंशन)

25/12/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री खेम चन्द्र चोपड़ा पति स्व० श्रीमती रमन बाला चोपड़ा, आशुलिपिक पता एफ-383, राजाजीपुरम, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
३० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

12882

12-13

उ०प्र०/

दिनांक- 25-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम सुधार

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5749	दिनांक 13.07.2012
(ग)	जन्मतिथि		01.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती इन्दु देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.10.1960
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवांगत तिथि		31.12.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	65,960
(ङ)	मूल पेंशन	₹	32980
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13192
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	19788
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19788
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	85550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	85550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13192
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	72358
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	51330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्त-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7859

12882

12-13

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-न्चल विद्युत वितरण निगम लि०, सिगरा, वाराणसी
- श्री राम सुधार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता क्वाटर नं० बी-32/100 ए/217, साकेत नगर, लंका, वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)



उपमहाप्रबन्ध कार्यालय लि०

(संयोजक कार्यालय)

गोरखपुर, कोषागार, गोरखपुर



पत्र सं०

9500

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

25-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
गोरखपुर

**पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र सं० 4704 दि० 17.12.18 को
निरस्त करते हुये निर्गत**

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री उमाकान्त त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

उपमहाप्रबन्ध
क

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2689	दिनांक 22.07.2004
(ग)	जन्मतिथि		20.03.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.12.1946
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4207
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	₹ 23143/- दि० 21.10.18 तक तदुपरान्त ₹ 27350/-
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	81150
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4207
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	₹ 76943/- दि० 21.10.2018 तक तदुपरान्त ₹ 81150/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7862

9500

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।

2 श्री उमाकान्त त्रिपाठी, सेवानिवृत्त उपमहाप्रबन्धक पता-शारदा विहार, पंचवटी नगर, मखलिया बुजुर्ग, गोरखपुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गोरखपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०म०प्र०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

10907

06-07

उपग्रो/लेखा/पेंशन

दिनांक:-

25-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार गाजियाबाद

पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 6278 दि० 18.01.2019 को निरस्त करते हुये निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अशोक कुमार गोयल

सेवानिवृत्त

अधिकांसी अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओ संख्या	3659	दिनांक 19.07.2006
(ग)	जन्मतिथि		20.11.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मिथलेश कुमारी गोयल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		06.06.1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		10.03.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 GP. 10000	
(घ)	वेतन	₹	63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31,855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10,038
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21,817
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19,113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	₹	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83,600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	83,600
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10,038
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹	73,562
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50,160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०-

7663

10907 06-07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, परिचमोचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री अशोक कुमार गोयल, अधिकांसी अभियन्ता सेवानिवृत्त, पता के०एल०-61, कवि नगर, गाजियाबाद

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी,

कोषागार

गाजियाबाद

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिकांसी अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपावकालि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(Handwritten signature and stamp)



संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०

(संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०)

(संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०)

(संयुक्त नगर कार्यपालिका लि०)



पत्र सं०

6738

1991-1992

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 26.02.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्कर्म में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती राधा रानी गौड़ पत्नी स्व० रमेश दत्त गौड़

सेवानिवृत्त

मुख्य अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	12 दिनांक 13.12.1995
(ग)	जन्मतिथि	लागू नहीं
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राधा रानी गौड़
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	20.08.1938
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1991/17.10.1996
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6700-7500/63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 7,700
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,76,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 52950
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.08.2018 से 20 प्रति० अति० रू० 10590/-

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7657

6738

1991-1992

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,परिचर्माचल विद्युत वितरण निगम लि०,नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2. श्रीमती राधा रानी गौड़ पत्नी स्व० रमेश दत्त गौड़ सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, पता-डी-29, ग्रेटर कैलाश एक्सेल-प्रथम, नई दिल्ली 110048,

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्राक

दिनांक

के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक

दिनांक



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10826

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 26-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दीपचन्द्र सनवाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3574	दिनांक	17.05.2006
(ग)	जन्मतिथि			23.02.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती बीना अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			29.11.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			28.02.20060
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹		55,210
(ङ)	मूल पेंशन	₹		27605
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		7186
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		20419
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		16563
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,43,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		71650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹		71650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		7186
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		64464
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		42990
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7866

10826

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 श्री दीप चन्द्र सनवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-डी-125/2 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PEN. PENSION C/N: 132201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9395

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 26-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राधे श्याम अग्रवाल

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2510	दिनांक 06.02.2004
(ग)	जन्मतिथि		18.04.1945
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती उर्मिला अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15.09.1950
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2003
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		16400-20000/37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹	20,000
(ङ)	मूल पेंशन	₹	24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3040 दि० 24.03.2019 तक
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21255
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	14577
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,39,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	69550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	69550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3040
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	66510
(क)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	41730
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7269

9395

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।

2. श्री राधे श्याम अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-एल-1601, शास्त्री नगर, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार मेरठ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पेंशन

दिनांक

स्थान

पत्र सं०

12522

11-12

उमप्र० /

दिनांक- 26-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, आजमगढ़

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० छोटे लाल
मौर्या

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

		पारि०पेंशन	
(क)	पेंशन का प्रकार		
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5404	दिनांक 19.08.2011
(ग)	जन्मतिथि		17.01.1952
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती विद्यावती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01-01-1960
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		21-01-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		26630 दि० 20.01.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका नं०
(क)	निर्धारित वेतन	₹ 161,300
(ख)	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायँ	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 80650 दि० 20.01.20 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

12522

11-12

उमप्र /

दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, आजमगढ़

2 श्रीमती विद्यावती पत्नी स्व० छोटे लाल भौर्या, सहायक अभियन्ता पता ग्राम भदाव, पोस्ट माकटारी, जनपद आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आजमगढ़ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक— के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पाठकालि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

विन्यास अधिकारी (पेंशन)

2. 2011 (1997)

सं. प्र. सं. नं. १०७२/१९८३ दि.

श्रीरामः कथं तच्छ्रुत्वा



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12350

10-11

उ०प्र०/

दिनांक- 26.02.19

कोषाधिकारी,

कोषागार, गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरी सिंह वर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5234 दिनांक 13.04.2011
(ग)	जन्मतिथि	20.12.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ऊषा रानी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	12.09.1960
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32015 दि० 19.12.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2016 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 19.12.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7872

12350

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

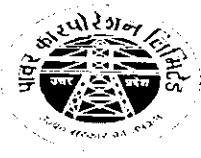
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)
- श्री वीरी सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता मकान नं० 23 यू०पी०एस०ई०बी० इंजीनियर्स कोर्पोरेट सोसाइटी, प्लॉट नं० पी-3, पाकेट पी-4, सेक्टर पी०एच०आई०-द्वितीय, ग्रेटर नोएडा

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गौतमबुद्धनगर को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

- अधिसारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, राप्ता मकान, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12348

10-11

उ०प्र०/

दिनांक- 27.02.19

कोषाधिकारी,

कोषागार सोनमद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री देवा ब्रता वासु

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1 पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5224 दिनांक 29.03.2011
(ग)	जन्मतिथि	15.07.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मन्जू वासु
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.09.1956
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.12.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹ 73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	36940 दि० 14.07.2015 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,93,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 96900 दि० 14.07.2017 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रसार-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7273

12348

10-11

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. उपमुख्य लेखाधिकारी, केन्द्रीय वित्त एवं बजट संगठन, अनपस तृतीय परियोजना, अनपस सोनमद

2. श्री देवा ब्रता वासु, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता 75(50) ईस्ट कालिया निवास, जे०आर०आर० रोड, पो०आ० नोना चन्दनपुर बैराकपुर, बैराकपुर कोलकाता-700122

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सोनमद को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के राफेस सम्पक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6417

89-90

उ०म०प्र०/

दिनांक- 26-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार गौतमबुद्धनगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रामेश्वर सिंह

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5744 दिनांक 12.07.2012
(ग)	जन्मतिथि	29.05.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ममता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	19.11.1941
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5000-6300/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 6,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ (23434 + 4687) 28121 (20 प्रति० अतिरिक्त सम्मिलित)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 28121
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	63 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ 62571
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ 65550
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से 30.04.16 तक 20प्रति० अतिरिक्त 13110, दि० 01.05.16 से 30प्रति० अतिरिक्त 19665

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु 4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7374

6417

89-90

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम,परिचर्यालय विद्युत वितरण निगम लि०,नोएडा (गौतमबुद्धनगर)
- श्री रामेश्वर सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता मकान नं० 438, सेक्टर-37, नोएडा

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गौतमबुद्धनगर

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्बन्ध स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6346

89-90

उ०प्र०/

दिनांक- 26 02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री गोपाल मिश्रा

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिदर्वता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9643 दिनांक 23.05.1994
(ग)	जन्मतिथि	02.01.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2225-3500/6500-11000/9300-34800 ग्रेड पे 4800
(घ)	वेतन	₹ 2,525
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 9559
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 9559
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	8 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 53,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 26800
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 26800
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(व)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 26800
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹

दि० 01.01.16 से 30प्रति० अतिरिक्त 8040

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7876

6346

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- श्री गोपाल मिश्रा, सेवानिवृत्त लेखाकार, पता 129, पाण्डव नगर, आगरा

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

आगरा

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

UPPCL Power Corporation Limited

(Uttar Pradesh Government Undertaking)

PENSION PLAN 0322/01UP/1999SG/002/1928



पत्र सं०

8016

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

26-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

झोंसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री दिनेश प्रसाद भटनागर

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	737	दिनांक 29.07.1999
(ग)	जन्मतिथि		20.04.1941
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती सुधा भटनागर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.07.1946
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30.04.1999
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		18400-22400/37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	20,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	27350
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,48,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	74250
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	74250
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	74250
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	44550
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7876

8016

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत कालोनी, झोंसी।
- श्री दिनेश प्रसाद भटनागर सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-102, राज अपार्टमेंट, आर०पी० कालोनी, ग्वालियर।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार झोंसी को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष तमके स्थापित कर

मुग्तान प्राप्त करें।

21/02/19

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

उ०

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6398

89-90

उ०म०प्र० /

दिनांक- 28.02.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री महेश सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	9682 दिनांक 13.07.1994
(ग)	जन्मतिथि	10.05.1930
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	लागू नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.05.1988
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	5000-6300/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 5,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹ (17930 + 5379) 23309 (30प्रति० अतिरिक्त सम्मिलित)
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 23309
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 10758
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹ 65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 39330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से 30प्रति० अतिरिक्त 19665

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7677

6398

89-90

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री महेश सिंह, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता 395/29, कश्मीरी मोहल्ला, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उपमो पावर कारपोरेशन लि०

(उपमो पावर कारपोरेशन लि०)

U.P. Power Corporation Ltd.

(U.P. Power Corporation Ltd.)

PUNERWASHAN LINE 1230/01/19/05/00/14/2



पत्र सं०

12437

11-12

उपमोपा०/

दिनांक-

26-07-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री आदित्य कुमार सक्सेना

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पीपीओओ संख्या	6499	दिनांक 05.07.14
(ग)	जन्मतिथि		07-05-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती बीना सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15-05-1954
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-05-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 10000
(घ)	वेतन	₹	73,880
(ङ)	मूल पेंशन	₹	36940
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	14776
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	22164
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	22164
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	193,800
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	96900
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	96900
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	96900
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	14776
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	82124
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	58140
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

12437

11-12

उपमोपा०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपमो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री आदित्य कुमार सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 48-बी बाबूगंज, नई बस्ती, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर मुग्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उपमोपा०/का०/लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

उपमो पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6416

89-90

उ०म०प्र०/

दिनांक- 26-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार गोरखपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र पति त्रिपाठी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8172 दिनांक 19.07.1990
(ग)	जन्मतिथि	09.10.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुशीला देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.10.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	2600-4000/15600-39100 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹ 3,625
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 15455
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 15455
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7728
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 71,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 35550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹ 35550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 35550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 21330
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ दि० 01.01.16 से 31.08.16 तक 20प्रति० अतिरिक्त 7110, दि० 01.10.16 से 30प्रति० अतिरिक्त 10665

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6416

89-90

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्व-चल विद्युत वितरण निगम लि०, मोहददीपुर, गोरखपुर।
2. श्री राजेन्द्र पति त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 42 कपा कुंज, ग्रा० गनेशपुर, पो० आनन्दनगर, जिला गोरखपुर

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

गोरखपुर

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्यक स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट: उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति गव-न, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति गव-न, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

6343

89-90

उ०प्र०/

दिनांक- 26-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सैयद मोहम्मद उमर पुत्र स्व० सैयद सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	8561 दिनांक 28.08.1991
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशन का नाम	श्री सैयद मोहम्मद उमर
(ङ)	पारिवारिक पेंशन की जन्मतिथि	20.12.1966
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.06.1989 / 13.01.2011
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	6700-7500 / 63000-78000
(घ)	वेतन	₹ 7,500
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(व)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	15 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,71,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 51420
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आमणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7880

6343

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री सैयद मोहम्मद उमर पुत्र स्व० सैयद मोहम्मद जफर, मुख्य अभियन्ता (सेवानिवृत्त/दिवंगत), पता 1-ए, लॉन्ग-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के साथै सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमल कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13463

14-15

उ०प्र०/

दिनांक- 26-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार बुलन्दशहर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती सुधा सिंह पत्नी स्व० सुरेन्द्र पाल सिंह

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पीपीओओ संख्या	6621 दिनांक 29.10.2014
(ग)	जन्मतिथि	01.01.1953
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती सुधा सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15.05.1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	20.02.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठों वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	8550-13500/9300-34800 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	₹ 32,780
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	16390 दि० 21.02.2012 से 31.12.2017 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 9834
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	9 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 85,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 42550 दि० 01.01.2016 से 20.02.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 25530
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू प्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

13463

14-15

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, बुलन्दशहर।
- श्रीमती सुधा सिंह पत्नी स्व० सुरेन्द्र पाल सिंह, लेखाकार (दिवंगत), पता 201, ईश्वरपुरी, मेरठ 250002

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

बुलन्दशहर

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० क० लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र०

श्रीमती सुधा सिंह



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का स्वपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U322011UP1999SGC024928



पत्र सं०

13732

15-16

उ०प्र०/

दिनांक- 26.02.19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत प्राधिकार पत्र सं० 6461 दि० 28.01.19 को निरस्त करते हुए निर्गत

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरूण कुमार तिवारी

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	6790	दिनांक 06.06.2015
(ग)	जन्मतिथि		01.02.1955
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रतन माला तिवारी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.11.1958
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-01-2015
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	68,260
(ङ)	मूल पेंशन	₹	34130
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	13652
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20478
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		34130 दि० 31.01.20 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	20478
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	176,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	88100
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	13652
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	74448
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	88100 दि० 30.01.2022 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागू हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

13732

15-16

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री अरूण कुमार तिवारी, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता डी-43 विनय नगर, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226023

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक-

के सापेक्ष सम्पत्ति स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN. 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11421

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 26-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मधुसूदन सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4270	दिनांक	04.02.2009
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1951
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कृष्णा लता सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			25.02.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			30.06.2008
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000(8900)
(घ)	वेतन	₹		67,600
(ङ)	मूल पेंशन	₹		33800
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		10651
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23149
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		20280
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,76,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		88100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		88100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		10651
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		77449
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		52860
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7893

11421

2010-2011

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. श्री मधुसूदन सिंह सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-म०न०-1/323, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10806

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

26-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम बचन राम

सेवानिवृत्त

चालक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3441	दिनांक	20.02.2006
(ग)	जन्मतिथि			01.01.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती चन्तारा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.12.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			8550-13500
(घ)	वेतन	₹		11,025
(ङ)	मूल पेंशन	₹		11328
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		1727
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		9601
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		7477
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		60 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		10 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		67,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		33500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		33500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		1727
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		31773
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		20100
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7894

10806

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री राम बचन राम सेवानिवृत्त चालक, पता-एल-3/9, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3.

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

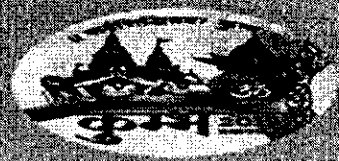
लेखाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)
कोषाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U37201UP1999SGC024928



पत्र सं०

11923

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

26-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री इस्मदार शेख

सेवानिवृत्त

अधीक्षण अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4822	दिनांक	25.03.2010
(ग)	जन्मतिथि			15.01.1950
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती रजिया शेख
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.01.2010
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹		71,720
(ङ)	मूल पेंशन	₹		35860
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		12432
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		23428
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		21516
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,88,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		94100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(।)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		94100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		12432
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		81668
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		56460 = 56760
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7895

11923

2009-2010

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री इस्मदार शेख सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-2/298, विशाल खण्ड, गोगली नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN-052701UP1999SGC024926



पत्र सं०

7838

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 26-2-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

कानपुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र कुमार महेश्वरी

सेवानिवृत्त

सहायक
लेखाधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	461	दिनांक	06.05.1998
(ग)	जन्मतिथि			12.03.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			लागू नहीं
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.03.1998
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)			16400-20000/37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹		17,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹		24295
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		पुनर्स्थापित
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		24295
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		64 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		13 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		1,31,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		65550
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		63564
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		65550
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		65550
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		65550
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		पुनर्स्थापित
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		65550
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		लागू नहीं
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	20 प्रतिशत रु० 65550/-का रु० 13110/-दि० 12.03.2020 से लागू	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7838

7838

1998-1999

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप मुख्य लेखाधिकारी, के०सी, 14/71, सिविल लाइन, कानपुर।
2. श्री राजेन्द्र कुमार महेश्वरी, सेवानिवृत्त साहायक लेखाधिकारी, पता-55/87 नयागंज, कानपुर-11।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष निम्नके स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

21/02/19
लेखाधिकारी (पेंशन)
उ० प्र० पावर लेखाधिकारी (पेंशन)
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION DIN-03/201UP/1995SGC024928



पत्र सं०

7979

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

26-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आगरा

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती विजय कुमारी कुलश्रेष्ठ पत्नी स्व०
जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ

सेवानिवृत्त

लेखाकार

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	656 दिनांक 07.04.1999
(ग)	जन्मतिथि	01.08.1940
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती विजय कुमारी कुलश्रेष्ठ
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	01.08.1948
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.1998/14.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	15600-39100
(घ)	वेतन	₹ 11,300
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 7662
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 69,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 34500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(I)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 20700
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7349

7979

1998-1999

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिकन्दरा, आगरा।
- श्रीमती विजय कुमारी कुलश्रेष्ठ पत्नी स्व० जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त लेखाकार पता:-33, पांडव न्यू शाहगंज, आगरा।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार आगरा को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साथ सम्यक स्थिति पर

भुगतान प्राप्त करें।

21/02/19

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० लेखाधिकारी (पेंशन), गेट

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

6387

89-90

उ०प्र०/

दिनांक- 26-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री ब्रह्म प्रकाश पाठक

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	7070	दिनांक 21.02.1990
(ग)	जन्मतिथि		15.10.1931
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती राज पाठक
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.1989
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		चतुर्थ वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		3400-4750/15600-39100 ग्रेड पे 6600
(घ)	वेतन	₹	4,375
(ङ)	मूल पेंशन	₹	16788
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	8394
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		64 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	11 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	80,900
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	40450
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	39225
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	33850
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	39225
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	39225
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	24270
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	दि० 01.01.16 से 30.09.16 तक 20प्रति० अतिरिक्त 7845, दि० 01.10.16 से 30प्रति० अतिरिक्त 11768

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

6387

89-90

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री ब्रह्म प्रकाश पाठक, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता 120/69, बेलदारी लेन, लालबाग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3 अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपरोक्त पावर कारपोरेशन लि०

(उपरोक्त सरकार का उपक्रम)

UPAROKT POWER CORPORATION LIMITED

(UPAROKT GOVERNMENT OF INDIA)

PRINCEPENSIONCIN11572031P 05956002 923



पत्र सं०

12376

10-11

उ०म०प्र० /

दिनांक- 26-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम बाबू पाण्डेय

सेवानिवृत्त

सुरक्षा प्रहरी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5233	दिनांक 08.04.2011
(ग)	जन्मतिथि		15-01-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती किरन देवी पाण्डेय
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		25-07-1959
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-01-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	16,470
(ङ)	मूल पेंशन	₹	8235
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3294
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	4941
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		8235 दि० 14.01.16 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	4941
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	42,600
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	21300
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	21300
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	21300
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3294
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	18006
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	21300 दि० 14.01.18 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	12780
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7901

12376

10-11

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्री राम बाबू पाण्डेय, सुरक्षा प्रहरी सेवानिवृत्त पता म०न० (592) 3बी/5, गोपाल नगर, खरिका रोड, तेलीबाग, लखनऊ
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

श्री राम बाबू पाण्डेय

श्री राम बाबू पाण्डेय



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(A Government Undertaking)

पंशन PENSION CINCUS 2201UE1989SGG024929



पत्र सं०

12390

10-11

उ०प्र०प्र० /

दिनांक- 26-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजू कुमार मिश्र

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5262	दिनांक 29.04.2011
(ग)	जन्मतिथि		05-06-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रंजना मिश्रा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		26-09-1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		30-06-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छटां वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 5400
(घ)	वेतन	₹	36,110
(ङ)	मूल पेंशन	₹	18055
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	18055
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		18055 दि० 04.06.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	10833
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	10 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	95,500
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	47750
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	47750
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	47750
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	47750
(ज)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	47750 दि० 04.06.17 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	28650
(ञ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7902

12390

10-11

उ०प्र०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2. श्री राजू कुमार मिश्र, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त पता 176, फेथफुल गंज, कानपुर-208004

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर सुनिश्चित प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(UP Government Undertaking)

पैन PENSION CIN 03220108 1999500024928



पत्र सं0

10825

2005-2006

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

26-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं0-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं0-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी0पी0ओ0 संख्या	4188 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	16.06.2008
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती मधु गर्ग
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	26.10.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.01.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31855
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 11042
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 20813
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं0 (आदेश सं0-444 दि0 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं0
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,66,100
4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं0-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 11042
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 72008
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं0-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं0-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं0

7403

10825

2005-2006

उ0म0प्र0/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि0, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।

2. श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-762, ब्रम्हपुरी, मेरठ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर
भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

UP Power Corporation Limited
(UP Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: 032201UP1999SGC024928



पत्र सं०

10465

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 26-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री रवि कुमार सक्सेना

सेवानिवृत्त

अधिशारी
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3223 दिनांक	31.08.2005
(ग)	जन्मतिथि		09.03.1947
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती नीना सक्सेना
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1954
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.03.2005
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000(10000)
(घ)	वेतन	₹	22,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3576
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23774
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	59 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,62,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	81150
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	72554
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	72100
(ग)(i)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	72544
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	3576
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	68968
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48690
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7904

10465

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री रवि कुमार सक्सेना सेवानिवृत्त अधिशारी अभियन्ता, पता-शालीमार स्टेट 430 ए, बीरबल सहानी मार्ग, गोमती किनारा, लखनऊ।
को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशारी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

PENSION CNL 01/2010/1999SC0024928



पत्र सं०

11832

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक: 27-07-19

कोषाधिकारी, कोषागार,
आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री अरुण कुमार

सेवानिवृत्त

अनुसेवक

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार		अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4720	दिनांक	23.12.2009
(ग)	जन्मतिथि			17.10.1949
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम			श्रीमती कान्ति सिंह
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि			10.07.1952
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि			31.10.2009
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान			छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)			9300-34800(4200)
(घ)	वेतन	₹		18,990
(ङ)	मूल पेंशन	₹		9495
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹		3356
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹		6139
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर			लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹		6139
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ	
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-			

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		06 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹		49,400
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन			
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹		24700
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹		लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹		लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹		24700
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹		3356
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹		21344
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹		लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹		14820
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹		लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7909

11832

2009-2010

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2 श्री अरुण कुमार सेवानिवृत्त अनुसेवक, पता-55/घ/116/1 गोविन्द नगर, नटखेड़ा, आलमबाग, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12525

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक- 27-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार, कानपुर नगर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री राम प्रकाश

सेवानिवृत्त

चपरासी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5609	दिनांक 29.02.2012
(ग)	जन्मतिथि		15-08-51
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती रामरती
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		05-08-1955
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-08-11
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		9300-34800 ग्रेड पे 4200
(घ)	वेतन	₹	20,480
(ङ)	मूल पेंशन	₹	10240
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4030
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	6210
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	6144
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	6 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	54,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	27000
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	27000
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	27000
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4030
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	22970
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	16200
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2018 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लम्पसुद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

12525

11-12

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, दक्षिणोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर

2 श्री राम प्रकाश, चपरासी सेवानिवृत्त पता ग्राम व पोस्ट कैथ, जिला जालौन

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार कानपुर नगर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

12380

10-11

उ०म०प्र०/

दिनांक- 27-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री हरि प्रकाश श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5300 दिनांक 31.05.2011
(ग)	जन्मतिथि	08-12-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती शशि श्रीवास्तव
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08-06-1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31-12-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 64,030
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 32015
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 12806
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 19209
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	32015 दि० 30.11.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 19209
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 166,100
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ 83050
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 83050
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 83050
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 12806
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण माग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ 70244
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ 83050 दि० 30.11.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 49830
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुग्तान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुग्तान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7911

12380

10-11

उ०म०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2 श्री हरि प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता/सेवानिवृत्त पता म०नं० 502/8सी, वृन्दावन आवास योजना पार्ट-2, रायबरेली रोड तेलीबाग, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी

आदर्श कोषागार

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुस्तान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

U.P. Power Corporation Limited

पञ्चम पेंशन पेंशन/पारिवारिक पेंशन



पत्र सं०

9222

02-03

उ०प्र०/

दिनांक- 27-02-19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती अनीस फातिमा पत्नी स्व०
कमरुज्जमा अंसारी

सेवानिवृत्त

अनुमाग अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारि०पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	1929 दिनांक 09.08.2002
(ग)	जन्मतिथि	01.07.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती अनीस फातिमा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	15-05-1951
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	08-01-02
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैड (ग्रेड पे)	16400-20000/37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹ 18,650
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 14730

(ग) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

59 छमाहियां

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 135,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹ लागू नहीं
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2016 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7912

9222

02-03

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिसासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
- श्रीमती अनीस फातिमा पत्नी स्व० कमरुज्जमा अंसारी, अनुमाग अधिकारी पता 2/70 हाइडिल कालोनी, प्राग नारायण रोड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक- के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3

अधिसासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

कोषाधिकारी,

कोषागार, वाराणसी।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्यत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत श्रीमती उषा देवी पत्नी शिवानन्द तिवारी सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ०संख्या एवं दिनांक	1888 10.07.2002
(ग)	जन्मतिथि	N/A
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती उषा देवी
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	08.04.1955
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.09.1997/24.10.2012
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतन मान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000
(घ)	वेतन	Rs. 18,200.00
(ङ)	पूर्व पाधिकृत पेंशन	N/A
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	N/A
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	N/A
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	Rs. 14,577.00
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	64 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	
(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	तालिका संख्या : 13
(ख)	निर्धारित वेतन	Rs. 135,000.00
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	N/A
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	N/A
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	N/A
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	N/A
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	N/A
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	N/A
(ङ)	राशिकृत पेंशन	N/A
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	N/A
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	N/A
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	Rs. 40,500.00
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	N/A

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०- 2415 उ०म०प्र० / लेखा / पेंशन / 9075 / 01-02 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- श्रीमती उषा देवी पत्नी स्व० शिवानन्द तिवारी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता- 16/51 डी-1 कोल्हुआ, विनायक कमछा, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी से सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।
- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं०

9218

02-03

उ०प्र०/

दिनांक- 27-02-19

कोषाधिकारी,

कोषागार देवरिया

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री सियाराम राय

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख) पी०पी०ओ० संख्या	2227	दिनांक 26.05.2003
(ग) जन्मतिथि		01.01.1943
(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम		लागू नहीं
(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		लागू नहीं
2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.12.2000
(ख) तत्समय लागू वेतनमान		पॉचवा वेतनमान
(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		14300-18300/37400-67000 ग्रेड पे 8700
(घ) वेतन	₹	17,100
(ङ) मूल पेंशन	₹	19143
(च) पेंशन का राशिकृत भाग	₹	3388 (पुनर्स्थापित 26.08.2018)
(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	15755
(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	लागू नहीं
(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमहियाँ
3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण		

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं० 444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)		12 तालिका नं०
(ख) निर्धारित वेतन	₹	1,30,600
4. प्रकल्पित वेतन के अन्तर्गत पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	65300
(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग) शासनादेश सं० 14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)	₹	65300
(ङ) राशिकृत पेंशन	₹	3388 (पुनर्स्थापित 26.08.2018)
(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संशोधन न लिया जायें	₹	61912 (दि० 01.01.16 से 25.08.2018) तदुपरान्त 65300
(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	लागू नहीं
(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं० 1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमिता पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7915

9218

02-03

उ०प्र०/

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, देवरिया

2 श्री सियाराम राय, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पत्रा द्वारा आर०एम०पी० सिंह, ग०नं० 126, वर्ड सं० 10, निकट इशास पब्लिक स्कूल, राधवन नगर, देवरिया

को इस अन्वय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार देवरिया को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०क०लि०, शांति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

सक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

पेंशन PENSION (U.P. 220101/1989SCC024928)



पत्र सं०

10707

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

27-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

आदर्श कोषागार, लखनऊ।

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती पुष्पा देवी शर्मा

सेवानिवृत्त

प्रशासनिक अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिपर्वता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3376 दिनांक
(ग)	जन्मतिथि	10.01.2006
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	03.11.1947
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	श्री प्रमोद कुमार शर्मा
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	07.07.1950
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	31.11.2005
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	पंचम वेतनमान
(घ)	वेतन	8550-13500/9300-34800 (5400/6600)
(ङ)	मूल पेंशन	13,775
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	15504
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	2249
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	13255
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	लागू नहीं
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	9303
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	66 छमाहियाँ

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका सं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	09 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	80,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	40100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	40100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	2249
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	37851
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	24060
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7916

10707

2005-2006

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- श्री पुष्पा देव शर्मा सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी पता-13 श्याम नगर, पिकनिक स्पोर्ट रोड खुर्रम नगर, लखनऊ।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श, कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० म० प्र० लेखाधिकारी (पेंशन) शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०)

18/07/2017 को जारी किया गया था।
पुनः प्रकाशित किया गया है।

पैन PENSION/CIN/US/2201081999SGC024928



पत्र सं०

9377

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

27-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

मेरठ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री मांगे राम सिंह धनखड़

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2117 दिनांक 13.01.2003
(ग)	जन्मतिथि	08.07.1943
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती फूल कौर
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	अंकित नहीं
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.07.2001
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹ 19,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 26500
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 3584
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 22916
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 15900
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,44,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 72100
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 72100
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 3584
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ ₹0 68516/- दि० 27.03.18 तक तदुपरान्त ₹0 72100/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 43260
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7916

9377

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्च विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया, पार्क, मेरठ।

2 श्री मांगे राम सिंह धनखड़ सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता-म०न०-1111, सेक्टर-7, अरबन एस्टेट, कुरुक्षेत्र-136118 (हरियाणा)

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

कोषागार

मेरठ

को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के साक्ष्य सम्पन्न प्रमाणित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

108, Park Road, Lucknow-226001

पं. नं० U.P. 1999SG024528



पत्र सं०

9371

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

27-02-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार अग्रवाल

सेवानिवृत्त

अधीक्षण
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2150	दिनांक 13.02.2003
(ग)	जन्मतिथि		09.10.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती मंजू अग्रवाल
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		19.06.1947
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.10.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		18400-22400 (10000)
(घ)	वेतन	₹	21,400
(ङ)	मूल पेंशन	₹	27350
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	4264
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	23086
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	16410
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		66 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-		

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,53,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	76500
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	76500
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	4264
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	₹ 72236/- दि० 12.05.18 तक तदुपरान्त ₹ 76500/-
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	45900
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7919

9371

2002-2003

उ०म०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।
2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, पता-निवास-632-बी०, शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION (N.J.F. 2201/UP/03935/024928)

पत्र सं०

10810

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

27.02.19

कोषाधिकारी, कोषागार,

गाजियाबाद

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री शक्ति सिंह

सेवानिवृत्त

अधिशाली
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	3609	दिनांक 12.06.2006
(ग)	जन्मतिथि		01.02.1948
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कमलेश
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		01.01.1954
2 (क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31.01.2006
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 (10000)
(घ)	वेतन	₹	63,710
(ङ)	मूल पेंशन	₹	30581
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	9871
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	20710
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	19113
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमाहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	14 तालिका सं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	1,67,200
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	83600
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)/(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	83600
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	9871
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹	73729
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	50160
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7920

10810

2005-2006

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रसितलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद।

2. श्री शक्ति सिंह, सेवानिवृत्त अधिशाली अभियन्ता, पता-193 सीमान्त विहार, कोशाब्दी, गाजियाबाद।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार गाजियाबाद को प्रेषित पत्रांक

दिनांक

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर

भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)

दिनांक

27.02.19



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० राकार का उपक्रम)

पूरा वि० प्र० कारपोरेशन लि०

पूरा वि० प्र० कारपोरेशन लि०

पूरा वि० प्र० कारपोरेशन लि०



पत्र सं०

9364

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

27-08-19

कोषाधिकारी, कोषागार,

सीतापुर

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्रीमती ज्ञान प्रभा पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह

सेवानिवृत्त

उपविधि अधिकारी

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	पारिवारिक पेंशन
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	2863 दिनांक 02.11.2004
(ग)	जन्मतिथि	02.08.1944
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती ज्ञान प्रभा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	05.07.1950
2(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	31.08.2002
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	पंचम वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	16400-20000 (8900)
(घ)	वेतन	₹ 18,200
(ङ)	मूल पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ लागू नहीं
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	₹ लागू नहीं
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 12340
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	45 छमाहियाँ
3.	दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-	

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका सं०
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,35,000
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ लागू नहीं
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ लागू नहीं
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ लागू नहीं
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुर्नस्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें	₹ लागू नहीं
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 40500
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का मुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7921

9364

2002-2003

उ०प्र०/लेखा/पेंशन

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मध्योच्च विद्युत वितरण निगम लि०, सीतापुर।
2. श्रीमती ज्ञान प्रभा पत्नी स्व० राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त उपविधि अधिकारी, पता-59, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर।

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार सीतापुर को प्रेषित पत्रांक

दिनांक के सापेक्ष सम्यक् स्थापित कर मुगतान प्राप्त करें।

3. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पा० का० लि०
शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार को सम्पत्ति)

U.P. Power Corporation Limited

मानक स्टेशन नं० १२३८६ दि० १०-११-२०१७



पत्र सं०

12386

10-11

उ०म०प्र० /

दिनांक-

२७-०२-१७

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	5283	दिनांक 13.05.2011
(ग)	जन्मतिथि		26-03-50
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम		श्रीमती कल्पना शर्मा
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि		15-11-1956
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि		31-01-10
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान		छठा वेतनमान
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)		37400-67000 ग्रेड पे 8900
(घ)	वेतन	₹	62,160
(ङ)	मूल पेंशन	₹	31080
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹	10022
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹	21058
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर		31080 दि० 25.03.15 तक
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹	18648
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा		40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :-

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹	161,300
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन	₹	80650
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹	80650
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹	लागू नहीं
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹	लागू नहीं
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹	80650
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹	10022
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायै	₹	70626
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹	80650 दि० 25.03.17 तक
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹	48390
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹	लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

12386

10-11

उ०म०प्र० /

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ

2. श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता सेवानिवृत्त निवास-26 अल्कापुरी, फेस-2, गायत्री मन्दिर के पीछे, कुर्सी रोड, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी आदर्श कोषागार लखनऊ को प्रेषित पत्रांक दिनांक-

के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार

लेखाधिकारी (पेंशन)

२०१७-१८ का आर्थिक वर्ष

२०१७-१८ का आर्थिक वर्ष



उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०

(उपग्रो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)



पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

13679

14 15

उपग्रो/

दिनांक- 27/02/19

कोषाधिकारी,

आदर्श कोषागार, लखनऊ

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

अधिसूची
अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क) पेंशन का प्रकार

अधिवर्षता

(ख) पी०पी०ओ० संख्या

6744 दिनांक 25.03.2015

(ग) जन्मतिथि

02.02.1955

(घ) पारिवारिक पेंशनर का नाम

श्रीमती रीता श्रीवास्तव

(ङ) पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

01.10.1950

2. (क) सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि

28.02.2015

(ख) तत्समय लागू वेतनमान

छठों वेतनमान

(ग) वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)

37400-67000 ग्रेड पे 8900

(घ) वेतन

72,060

(ङ) मूल पेंशन

36030

(च) पेंशन का राशिकृत भाग

14412

(छ) राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन

21618

(ज) पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर

36030 दि० 01.02.2020 तक

(झ) पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर

21618

(ण) पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा

40 छमहियाँ

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क) पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)

13 तालिका नं०

(ख) निर्धारित वेतन

1,86,900

4. प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन

(क) मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार

93450

(ख) पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन

लागू नहीं

(ग) शासनादेश सं०-4 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन

लागू नहीं

(ग)(1) उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन

लागू नहीं

(घ) दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्वी)

93450

(ङ) राशिकृत पेंशन

14412

(च) राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जायें

79038

(छ) पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)

93450 दि० 01.02.2022 तक

(ज) पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)

56070

(झ) अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)

लागू नहीं

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्ताव 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त विन्दु-4 (घ)/(ज) में आगमित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लागूप्रद हो, का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्ता होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं० 7923

13679

14-15

उपग्रो/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अधिसूची अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक इकाई, उपग्रो पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधिसूची अभियन्ता, पता डी 1/34, रोकटर एफ, जानकीपुरम, लखनऊ

को इस आशय से प्रेषित कि वह

कोषाधिकारी

आदर्श कोषागार

लखनऊ

को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पूर्ण कार्यवाही कर भुगतान प्राप्ता करें।

3

अधिसूची अभियन्ता, वेबसाइट, उपग्रोपाओकॉलिटो, शक्ति भवन, लखनऊ।

विमलेश कुमार
लेखाधिकारी (पेंशन)

शक्ति भवन, लखनऊ



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

पेंशन PENSION CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं०

11928

09-10

उ०म०प्र०/

दिनांक-27-2-18

कोषाधिकारी,

कोषागार वाराणसी

विषय:- कारपोरेशन आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं०-23 दिनांक 18.07.2017 एवं आदेश सं०-31 दिनांक 04.09.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत आदेश सं०-777 दिनांक 30.06.2018 के अन्तर्गत

श्री धर्मपाल जी श्रीवास्तव

सेवानिवृत्त

सहायक अभियन्ता

का पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

1. पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का विवरण

(क)	पेंशन का प्रकार	अधिवर्षता	
(ख)	पी०पी०ओ० संख्या	4833	दिनांक 03.04.2010
(ग)	जन्मतिथि	08.11.1949	
(घ)	पारिवारिक पेंशनर का नाम	श्रीमती राजेश्वरी श्रीवास्तव	
(ङ)	पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि	23.01.1953	
2.(क)	सेवानिवृत्त/दिवंगत तिथि	30.11.2009	
(ख)	तत्समय लागू वेतनमान	छठे वेतनमान	
(ग)	वेतनमान/वेतन बैंड (ग्रेड पे)	37400-67000 ग्रेड पे 8900	
(घ)	वेतन	₹ 62,160	
(ङ)	मूल पेंशन	₹ 31080	
(च)	पेंशन का राशिकृत भाग	₹ 10022	
(छ)	राशिकरण के उपरान्त घटी पेंशन	₹ 21058	
(ज)	पारिवारिक पेंशन बढ़ी दर पर	लागू नहीं	
(झ)	पारिवारिक पेंशन साधारण दर पर	₹ 18648	
(ण)	पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा	40 छमहियाँ	

3. दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण :

(क)	पे-मैट्रिक्स प्रक्रमवार तालिका नं० (आदेश सं०-444 दि० 11.04.2018 के अनुसार)	13 तालिका नं०	
(ख)	निर्धारित वेतन	₹ 1,61,300	
4.	प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 01.01.2016 को संशोधित पेंशन		
(क)	मूल पेंशन निर्धारित प्रकल्पित वेतन के अनुसार	₹ 80650	
(ख)	पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा कम होने की स्थिति में निर्धारित पेंशन	₹ लागू नहीं	
(ग)	शासनादेश सं०-14 दिनांक 01.05.2018 के अन्तर्गत लागू वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतन के अनुसार पेंशन	₹ लागू नहीं	
(ग)(1)	उपरोक्त ख एवं ग में से जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित सकल पेंशन	₹ लागू नहीं	
(घ)	दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित सकल पेंशन (राशिकरण से पूर्व)	₹ 80650	
(ङ)	राशिकृत पेंशन	₹ 10022	
(च)	राशिकरण के बाद घटी पेंशन यदि राशिकरण भाग पुनर्स्थापित हो चुका है तो उसका संज्ञान न लिया जाय	₹ 70628	
(छ)	पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर पर)	₹ लागू नहीं	
(ज)	पारिवारिक पेंशन (साधारण दर पर)	₹ 48390	
(झ)	अतिरिक्त पेंशन (आयु के अनुसार)	₹ लागू नहीं	

5. कारपोरेशन के आदेश सं०-1320 दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंगीकृत शासनादेश सं० 39 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर 4 के अनुसार कोषागार द्वारा संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा उपर्युक्त बिन्दु-4 (घ)/(ज) में आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो लाभप्रद हो का भुगतान वर्तमान में शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुरूप दिनांक 01.01.2018 से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2017 की अवधि का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की अनुमति प्राप्त होने पर तदनुसार इस सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

लेखाधिकारी (पेंशन)

पत्र सं०

7032

11928

09-10

उ०म०प्र०/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, पूर्वोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०, सिंगर, वाराणसी

2 श्री धर्मपालजी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, पता बी 13 विश्वनाथ पुरी कालोनी, ग्राम नासिरपुर, पो० रुसवाही, जनपद वाराणसी

को इस आशय से प्रेषित कि वह कोषाधिकारी कोषागार वाराणसी को प्रेषित पत्रांक 9244 दिनांक 18.02.2019 के सापेक्ष सम्पर्क स्थापित कर भुगतान प्राप्त करें।

3

अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि०, शांति भवन, लखनऊ ।

लेखाधिकारी (पेंशन)

लेखाधिकारी (पेंशन)